राज्य वित्त
वर्ष 2006-07 के बजटों का अध्ययन[1]

प्रस्तावना

राजकोषीय दायित्व विधान पारित करके राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की प्रकिया अपनाने के लिए अपनी वचनबद्धताओं के आलोक में राज्य सरकारों ने वर्ष 2006-07[2] के अपने बजट पेश किए। राजकोषीय असंतुलनों को कम करने के राज्य सरकारों के प्रयत्नों को, बारहवें वित्त आयोग द्वारा हिस्सेदारी वाले केंद्रीय करों और अनुदानों के माध्यम से और अधिक वित्तीय अंतरणों के कारण भी मदद मिली। इसके अलावा, दो राज्यों (तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने बिक्रीकर के बदले मूल्ययोजित कर प्रणाली लागू कर दी है। आशा है, इससे राज्य सरकारों के कर-संग्रह में वृद्धि होगी।

यह मानकर कि राजस्व-वृद्धि से ही राजकोषीय सुधारों में निरंतरता बनी रहेगी, राज्य सरकारों ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट में कर-प्रणाली को और व्यापक आधार प्रदान करने तथा युक्तियुक्त बनाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही राज्यों ने कर-प्रशासन में सुधार लाने, वर्तमान कर और करेतर वसूलियों को सुधारने और सुदृढ़ बनाने तथा राजस्व के नुकसान को समाप्त करने पर भी जोर दिया है। सरकारों के लेनदेन में और अधिक पारदर्शिता तथा दक्षता लाने की दृष्टि से कई राज्यों ने अपने राजकोषागारों का कंप्यूटरीकरण पूरा करने तथा सरकार के लेनदेनों के लिए ई-ट्रांसफर व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव किया है। बजट प्रस्तावों संबंधी दायित्वों में सुधार लाने के लिए कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की तर्ज पर 'आउटकम बजट' आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने 'जेंडर बजटिंग' आरंभ करने का भी प्रस्ताव किया है। कुछ राज्यों ने सरकारी क्षेत्र के अपने उपक्रमों के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन का प्रस्ताव किया है जिसमें लंबे समय से घाटे में चल रहे उपक्रमों को बजट सहायता कम करने के लिए उन्हें बंद कर देना भी शामिल है। पेंशन संबंधी अपनी बढ़ती देनदारियों को नियंत्रित रखने के लिए और अधिक राज्यों ने निर्धारित अंशदानों पर आधारित नई पेंशन योजना घोषित की। कुछ राज्यों ने खाली पदों को समाप्त करके, मितव्ययिता संबंधी उपाय करके तथा गैर-योजना खर्च कम करके अपने गैर-विकास खर्चों को कम करने का प्रस्ताव किया। खर्च की दृष्टि से, कई राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने का प्रस्ताव किया। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों की सुधार प्रक्रिया में मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों के बैंकर और ऋण प्रबंधक के रूप में राजकोषीय मुद्दों पर उन्हें और जागरूक बनाता रहा है। राज्य सरकारों के बाज़ार उधारों और समेकित ऋण शोधन निधि के मामले में भी भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न उपाय करता रहा है। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के लिए एक नए अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट की योजना भी शुरू की है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, शेष अध्ययन को निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। खण्ड II में अध्ययन का विहगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड III में राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत उपायों का विवरण

---

1 केंद्रीय वित्त प्रभाग और आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की सहायता से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के ***राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ)*** में तैयार किया गया। इसके लिए रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आइडीएमडी) से भी सहयोग मिला। 29 राज्य सरकारों के वित्त विभागों से मिली तकनीकी सहायता के लिए हार्दिक आभार। चुनिंदा राज्य सरकारों; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय; नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का कार्यालय, भारत सरकार; योजना आयोग और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के दौरे के समय उनसे प्राप्त अमूल्य तकनीकी जानकारियों के लिए आभार प्रकट किया जाता है।

2 वर्ष 2006-07 के लिए 29 राज्यों के राज्य बजटों (जिनमें से 4 लेखानुदान थे) के आधार पर राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में 29 राज्यों के बजट शामिल किए गए हैं। इसमें समेकित राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ राज्यवार विश्लेषण संबंधी जानकारी और ब्यौरे, जिसमें बजटीय आंकड़े शामिल किए गए हैं तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।

दिया गया है। खण्ड IV में राज्य सरकारों की समेकित बजट-स्थिति का विश्लेषण और आकलन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड V में राज्य सरकारों के राजकोषीय कार्यनिष्पादन का राज्यवार आकलन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड VI में राज्य सरकारों की बकाया देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) का विश्लेषण और आकलन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड VII में एक विशेष विषय-वस्तु के रूप में, भारत में सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले व्यय पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। खण्ड VIII में राज्य वित्त से संबंधित उभरते मुद्दे प्रस्तुत किए गए हैं तथा खण्ड IX में उपसंहार प्रस्तुत किया गया है।

अनुबंध 1 में राज्यों के बजटों में घोषित प्रमुख नीतिगत उपायों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। अनुबंध 2 में राज्य सरकारों के राजकोषीय दायित्वों संबंधी कानूनों का विवरण दिया गया है। अनुबंध 3 में, 2002-05 (औसत) और 2005-06 के संशोधित आकलनों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकारों (गैर-विशेष और विशेष) की राजकोषीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया गया है। अनुबंध 4 में विभिन्न देशों में राजकोषीय संघवाद का तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। परिशिष्ट सारणी 1 से 23 में 29 राज्य सरकारों के विभिन्न मानदंडों और राजकोषीय संकेतकों का समेकित चित्र प्रस्तुत किया गया है जबकि विवरण 1 से 50 में राज्यवार आंकड़े (परिशिष्ट I में राजस्व प्राप्तियां, परिशिष्ट II में राजस्व व्यय, परिशिष्ट III में पूंजीगत प्राप्तियां, परिशिष्ट IV में पूंजीगत व्यय) दिए गए हैं।

II विहगावलोकन

वर्ष 2004-05 के लेखाओं के प्रमुख संकेतकों के अनुसार, संशोधित अनुमानों से तुलना करने पर पर्याप्त सुधार परिलक्षित हुए। वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, बजट अनुमानों से तुलना करने पर, राजस्व घाटे में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी आई लेकिन सकल राजकोषीय घाटे में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि पूंजीगत परिव्यय में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकारों ने अपने-अपने बजटों में यह आश्वस्त किया है कि वे वर्ष 2006-07 में अपने बजटों में राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमानों को लेखाओं में परिलक्षित करने के बाद राजस्व घाटे, सकल राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के प्रमुख घाटा संकेतक स्पष्टतः ज्ञात होने लगे। इस बात पर ध्यान देना संगत होगा कि वर्ष 2004-05 के राजस्व लेखे में सुधार मुख्यतः गैर-ब्याज राजस्व व्यय में कमी के कारण हुआ। पूंजीगत परिव्यय में भी 6672 करोड़ रुपए की कमी (9.8 प्रतिशत) आयी जो पूंजीगत व्यय में 88 प्रतिशत कमी के बराबर है।

वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमानों से संकेत मिला कि बजट अनुमानों, खासकर राजस्व लेखे से तुलना करने पर राज्य सरकारों के राजकोषीय कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है। यह इस बात से स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमान में राजस्व घाटे में 31 प्रतिशत की कमी आई। राजस्व घाटे में कमी के बावजूद, पूंजीगत परिव्यय में 8302 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि (10.8 प्रतिशत) के कारण सकल राजकोषीय घाटे में 3338 करोड़ रुपए (3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 3.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा क्योंकि राजस्व घाटे में आई 0.2 प्रतिशत की कमी की पूर्ति पूंजीगत परिव्यय में उतनी ही वृद्धि के चलते हो गई।

राज्य सरकारों की वर्ष 2006-07 के दौरान समेकित स्थिति से यह पता लगता है कि राज्यों ने 2006-07 के दौरान अपने बजट में लगभग संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेने का अनुमान किया है। राजस्व घाटे में कमी के परिणामस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा 4,278 करोड़ रुपए (3.8 प्रतिशत) घटकर 109,610 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत) हो जाएगा । बजट में यह अनुमान किया गया है कि 2006-07 के दौरान प्राथमिक घाटा 14,709 करोड़ रुपए (59.1 प्रतिशत) कम होकर 10,185 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत) हो जाएगा । इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य सरकारों के 94,914 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत) के अधिशेष प्राथमिक राजस्व के बारे में बजट में, पिछले वर्ष के 81.0 प्रतिशत ब्याज भुगतान की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान 55.0 प्रतिशत ब्याज भुगतान के बराबर हो जाने का अनुमान किया गया है। बजट में यह अनुमान किया गया है कि वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व लेखे में राजकोषीय सुधार मुख्यतः, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, राजस्व प्राप्तियों की सहायता से राजस्व में वृद्धि करके प्राप्त करने का अनुमान किया गया है तथा यह भी अनुमान किया गया है कि राजस्व में पिछले साल की तुलना में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राज्यों का अपना गैर-कर राजस्व 1.3 प्रतिशत बना रहेगा। और अधिक अनुदानों तथा राज्य वित्त के पुनर्गठन के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए इन्सेंटिव के चलते राज्यों को अपने राजकोषीय सुधार तथा सुदृढ़ीकरण में सहायता मिली है। वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व घाटे में सुधार करने में, पिछले वर्ष की 15.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व व्यय में 11.3 प्रतिशत कमी आने से भी मदद मिलेगी। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, राजस्व व्यय के 13.3 प्रतिशत के स्तर पर बने रहने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान बजट में अनुमानित राजस्व व्यय की वृद्धि (11.3 प्रतिशत) के लिए पैसे की व्यवस्था मुख्यतः गैर-ब्याज राजस्व व्यय (80.4 प्रतिशत) से की जाएगी।

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में बहुत सुधार होने के बावजूद विभिन्न राज्यों के बीच बहुत ज्यादा अंतर बना हुआ है। देश में कुछ ऐसे राज्य (4 राज्य) हैं जिन्होंने बजट में राजस्व घाटे के बढ़ने का अनुमान लगाया है और अनेक राज्यों (14 राज्यों) ने उच्चतर सकल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। इस प्रकार केवल कुछ राज्यों में ही प्रमुख रूप से समग्र सुधार हो पाएगा। राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया के राज्यवार विश्लेषण से पता लगता है कि गैर-विशेष श्रेणी के राज्य राजस्व लेखे में सुधार के 87.0 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि संघीय बजट 2006-07 के साथ राज्य बजटों से यह संकेत मिलता है कि सहायता अनुदान के (वास्तविक स्तर से) 20.6 प्रतिशत अधिक का आकलन किया गया है जबकि भागीदारी वाले केंद्रीय करों के (वास्तविक स्तर से) 3.7 प्रतिशत कम का अनुमान किया गया है। यह नोट किया जाए कि, वर्ष 2006-07 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, राज्य सरकारों के राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे की समेकित स्थिति क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है। संघीय बजट 2006-07 के आंकड़ों के समायोजन के बाद, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, राज्य सरकारों का राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा क्रमशः पहले की तुलना में उच्चतर अर्थात 0.4 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि से प्राप्त होनेवाले धन संबंधी आंकड़ों में भी उतार-चढ़ाव होने का अनुमान है जिससे सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप के विकृत हो जाने की संभावना है।

राज्यों के राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे के अधिक होने के कारण, विशेषतः 1990 के दशक के उत्तरार्ध से, राज्य सरकारों के बकाया ऋणों में अनवरत वृद्धि होती रही है। लेकिन हाल के वर्षों में, वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद - दोनों की दृष्टि से उनके बकाया ऋणों में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, राज्य सरकारों की बकाया देनदारियों के, मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार 31.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है जो मार्च 2005 के अंत की 33.4 प्रतिशत की तुलना में कम होंगी। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतानों का अनुपात, जो वर्ष 2003-04 में 25.8 प्रतिशत था , मुख्यतः ऋण स्वैप योजना के कारण, वर्ष 2006-07 में कम होकर 19.1 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि के पक्ष में जारी की गई प्रतिभूतियां बकाया ऋणों का सबसे बड़ा भाग हैं तथा उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और बाजार से लिए गए उधारों का स्थान है। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे केवल 3 राज्य[3] हैं जिनका वर्ष 2005-06 में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 23.8 प्रतिशत से कम है, जबकि 14 राज्य[4] ऐसे हैं जिनका ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्ति अनुपात 15.0 प्रतिशत से कम है। 15.0 प्रतिशत का यह न्यूनतम अनुपात 12वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए संस्तुत लक्ष्य है। ऋण राहत के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने राज्यों के लिए ऋण समेकन तथा ऋणों को बट्टेखाते डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

राज्य वित्त के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गतिविधि अधिकांश राज्यों द्वारा राजकोषीय दायित्व कानून पारित करने से संबंधित है। राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाकर, राजकोषीय सुधार कानून से राजकोषीय अनुशासन में वृद्धि तथा और अधिक यथार्थवादी सुधार का मार्ग प्रशस्त होने का अनुमान है। नियम पर आधारित नीति से राज्य

---

3 तमिलनाडु, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ।

4 अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा,चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तरांचल

सरकारों की राजकोषीय नीति को और अधिक विश्वसनीयता भी प्राप्त होगी। इस बात को स्वीकार कर लेने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष की 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ''इसलिए राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के मामले में राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना समष्टि आर्थिक, वित्तीय, बाह्य क्षेत्र और बजट संबंधी निरंतरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही चूंकि उधार लिए गए संसाधनों का प्रयोग वर्तमान जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए करने से पिछले वर्षों में आस्ति-देयता के बीच का असंतुलन बढ़ा है इसलिए राजस्व घाटे को समाप्त करना तथा पर्याप्त राजस्व अधिशेष पैदा करना अनिवार्य है जिसका प्रयोग, देनदारी सृजित किए बिना, आस्तियों के निर्माण के लिए किया जा सके। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में कोई भी चूक होने से राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध के प्रारंभिक वर्षों में हुई उपलब्धियों में कमी आ सकती है। इसका राज्यों के स्तर पर अनवरत कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ सकता है जिसके चलते राजकोषीय दायित्व संबंधी कानूनों में निर्धारित लक्ष्यों को कम करना पड़ सकता है।'' इसलिए यह वांछनीय होगा कि जिन राज्य सरकारों ने राजकोषीय दायित्व संबंधी कानून बनाए हैं वे नियमों का पालन करें और साथ ही शेष राज्य नियम पर आधारित ढांचा अपनाने की दिशा में प्रयास करें। राज्यों को यह भी चाहिए कि वे, बारहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में सुझाई गई ऋण राहत योजना से लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से, केवल दिखावे के लिए अपने लेखाओं को अच्छा बनाकर प्रस्तुत करने के प्रयासों से बचें। राज्य सरकारों को बजट-संबंधी लेखाकरण और वर्गीकरण में पूरी ईमानदारी और सर्व-सम्मति बरतें।

सरकार की पूंजीगत आस्तियों के रखरखाव के लिए परिचालन और अनुरक्षण पर व्यय का स्तर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बारहवें वित्त आयोग ने इस स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया है तथा इस प्रयोजन के लिए खास तरह के अनुदानों की भी सिफारिश की है। राज्य सरकारों के कुल राजस्व व्यय में परिचालन और अनुरक्षण व्यय का अनुपात कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे कम होता रहा है। योजनाओं के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं से प्राप्त होनेवाले लाभों पर इसका असर पड़ेगा । दूसरी ओर राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में वेतन पर होने वाले व्यय का हिस्सा 1990 के दूसरे आधे भाग के दौरान बड़ा है तथा हाल के वर्षों में कम हुआ है। कुल राजस्व व्यय में वेतन के हिस्से का बड़ा होना राजस्व व्यय में कमी होने में कठिनाई पैदा करने का प्रमुख कारण है।

राज्य सरकारों द्वारा अपने चलनिधि के प्रबंधन पर असर डालने वाला एक मुद्दा राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी शेषों में भारी वृद्धि है, जैसाकि 14 दिवसीय मध्यावधि खज़ाना बिलों में उनके द्वारा किए गए निवेशों से स्पष्ट होता है। अधिशेष नकदी शेषों में अच्छी खासी वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए/के कारण राज्य सरकारों ने अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का प्रयोग करना बहुत कम कर दिया है। राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी शेषों में भारी वृद्धि का प्रमुख कारण अपेक्षाकृत ऊंची लागत वाले राष्ट्रीय लघु बचत निधि वाले संसाधनों से भारी आय होना, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाले करों और अनुदानों में वृद्धि, राज्यों के बजट संबंधी अनुमानों की तुलना में उनके अपने कर राजस्व में भारी उछाल आना है। लेकिन राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी शेषों में भारी उछाल के कारण उनके नकदी और वित्तीय प्रबंधन के लिए चुनौतियां भी पैदा की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'राज्य सरकारों की शेष राशियों के निवेश के लिए ढांचा तैयार करने के लिए गठित कार्यदल' इस मामले पर विशेष ध्यान दे रहा है।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को स्थायी तथा निरंतर बनाये रखने के लिए आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश तथा सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च करना अत्यंत आवश्यक हैं। तदनुसार इन क्षेत्रों पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में राज्यों को और अधिक खर्च करना पड़ेगा । इस पृष्ठभूमि में राजकोषीय सुधार का वांछनीय मार्ग राजकोषीय सशक्तिकरण होकर गुजरता है जिसके अंतर्गत बजट में राजस्व की आमद के क्षेत्र और आकार में विस्तार शामिल होगा । अन्य बातों के साथ-साथ नये कर लागू करके कर संग्रह में वृद्धि के राज्य सरकारों की ऋण नीति और कर प्रशासन में सुधार और अधिक जोरशोर से चालू रखा जाना चाहिए। साथ ही लेनदेन की लागत को न्यूनतम स्तर पर रखने और कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य सरकारों को अपनी कर प्रणाली की व्यापक समीक्षा करनी होगी जिससे कर राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी । इस परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त प्रयोगकर्ता प्रभारों की सहायता से करेतर राजस्व के रूप में संसाधन संग्रहन में वृद्धि करना तथा राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहेगा । लेकिन प्रयोगकर्ता प्रभारों को उपयुक्त स्तर तक बढ़ाना मुख्यतः तब संभव होगा जब राज्यों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में भी साथ-साथ सुधार होगा। राज्य बिजली बोर्डों और बिजली सेवाओं का खराब वित्तीय कार्य-निष्पादन राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय रहा

है। इसलिए बिजली क्षेत्र के मामले में लागत की वसूली में सुधार अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा समाज की कुछ वर्गों को मुफ्त / सब्सिडीयुक्त बिजली प्रदान किये जाने को ध्यान में रखते हुए। वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के लिए दी गई सब्सिडी राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रदत्त कुल सब्सिडी के 70.0 प्रतिशत से भी अधिक थी। राज्य बिजली बोर्ड कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडीयुक्त बिजली की आपुर्ति के कारण हुए घाटों को, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्रदान की जानेवाली सब्सिडी से तथा राज्य सरकारों से सब्सिडी प्राप्त करके, पूरा करने का प्रयास करते हैं।

राज्य बिजली बोर्डों और ऊर्जा संबंधी जनोपयोगी सेवाओं का खराब वित्तीय निष्पादन राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय रहा है। अतएव, ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में लागत वसूली में सुधार ने महत्व प्राप्त कर लिया है विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा कतिपय वर्गों को निःशुल्क/ सब्सिडी वाली बिजली देने के संदर्भ में । 2005-06 (सं.अ.) में कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी जानेवाली समग्र सब्सिडी के 70 प्रतिशत से भी अधिक थी। राज्य बिजली बोर्ड, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली देनेसे हुई अपनी यह हानि, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के ऊपर मढ़कर तथा राज्य सरकारों से मिलने वाले सहायता अनुदान (वित्तीय सहायता) के जरिए पूरा करने का प्रयास करते हैं।

चूंकि बिजली क्षेत्र का सुधार भी समग्र सुधार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है इसलिए राज्य सरकारों द्वारा बिजली संबंधी सब्सिडी के मुद्दे का समाधान किया जाना भी आवश्यक है। भारत सरकार के वर्ष 2005-06 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि ''वर्ष 2005-06 में राज्य सरकारों ने राज्य बिजली बोर्डों को प्रत्यक्ष रूप से 11,562 करोड़ रुपए का अंतरण किया, लेकिन साथ ही 15,987 करोड़ रुपए की आरक्षित सब्सिडी भी बनी रही जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि न केवल बिजली क्षेत्र के सुधार के मामले में बल्कि राज्यों की राजकोषीय स्थिति के सुधार के मामले में भी सुधारों का कितना महत्व हैं। ''

चूंकि सामाजिक क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय से संबंधित ज्यादातर जिम्मेदारियां राज्य सरकारों पर डाल दी गई है इसलिए बड़े पैमाने पर यह स्वीकार किया जाता है कि मानव विकास के स्तर के लिए और अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि अच्छे भविष्य के लिए सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले व्यय के स्तर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले व्यय के मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसे व्यय की पर्याप्तता है। देश में क्योंकि कई राज्यों में बहुत कम स्तर का मानव विकास प्राप्त किया है इसलिए राज्य सरकारों के लिए सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले खर्च का न्यूनतम स्तर तय कर दिए जाने पर जोड़ दिया जाना चाहिए जिससे बाद में मानव विकास के संकेतकों में सुधार आ सकेगा। सामाजिक क्षेत्र पर किए जाने वाले व्यय की प्रभावकारिता, अर्थात सामाजिक संकेतकों पर सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले व्यय का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग राज्यों में होनेवाले प्रभाव भिन्न-भिन्न होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में परिव्यय और परिणाम के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना आवश्यक होगा। केंद्र सरकार की तरह कई राज्यों ने वर्ष 2006-07 के अपने बजटों में 'आउटकम बजट' आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। अन्य राज्य भी ऐसा ही कर सकते हैं साथ ही यह जरूरी होगा कि राज्य अपने खर्चों की प्राथमिकता फिर से निर्धारित करें ताकि सामाजिक क्षेत्र पर पर्याप्त खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक क्षेत्र के खर्चों के अंतर्गत, मानव विकास पर और अधिक प्रभाव ड़ालने के लिए गैर-वेतन भाग का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। यह भी जरूरी होगा कि राज्य सरकारें सामाजिक क्षेत्रों के संबध में और अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दें। सेवाओं की उपलब्धताओं में सुधार होने से साधारण जनता इन सेवाओं के लिए भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित होगी तथा इसलिए राज्य सरकारों को इस मुद्दे को प्राथमिकता प्रदान करनी होगी ।

चूंकि केंद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग का गठन पहले ही कर दिया है इसलिए राज्यों को वेतन आयोग के पंचाट के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने कर्मचारियों पर लागू करने के मामले में अपनी क्षमता का आकलन करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। लेकिन राज्यों को वेतन के स्तर संबंधी निर्णयों पर सजग रहने की जरूरत होगी और अपनी राजकोषीय स्थिति, कर्मचारियों की संख्या, जनसंख्या के आकार और उत्पादक रोजगार के लिए अपेक्षित पूरक खर्च के साथ संतुलन

[5] संयुक्त विकास कार्यक्रम अध्ययन के अनुसार बुनियादी सामाजिक सेवाओं का तात्पर्य है - बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सेवाएं, कम लागत वाले पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण कार्यक्रम।

स्थापित करना होगा। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ने के परिणामस्वरूप राज्यों को अपना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है और उनकी राजकोषीय स्थिति भी सुधर रही है। राजस्व संग्रह में आई बहुत अधिक वृद्धि के कारण उसका उपयोग उत्पादक खर्चों के लिए तथा निवेश के लिए करना जरूरी होगा।

निष्कर्ष के रूप में, यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों ने प्रमुख घाटा संकेतकों के रूप में बहुत अधिक सुधार देखे हैं। लेकिन राज्यों के सामने राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया जारी रखने का एक चुनौतीभरा काम है ताकि वे उसे दीर्घावधि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में रूपांतरित कर सकें। अलग-अलग राज्यों के राजकोषीय कार्य-निष्पादन में भारी अंतर होने के कारण राजकोषीय दृष्टि से कमजोर राज्य सुधार के उपाय आरंभ करने के प्रयास कर सकते हैं ताकि वे राजकोषीय दृष्टि से सुदृढ़ राज्यों के बराबरी में आ सकें। जैसाकि रिज़र्व बैंक की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने राजस्व की वृद्धि के लिए राजकोषीय सशक्तीकरण पर जोर दे सकती हैं जिससे उन्हें, खर्च के स्वरूप को और अधिक सामाजिक क्षेत्र के खर्च तथा पूंजीगत परिव्यय की ओर ले जाने के लिए लचीलापन उपलब्ध होगा। इस परिप्रेक्ष्य में कर संबंधी सुधारों, उपयुक्त प्रयोगकर्ता प्रभार लगाने, सब्सिडी के तर्कसंगत बनाए जाने (बिजली क्षेत्र की सब्सिडी सहित) और राज्यस्तरीय सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन का काम महत्वपूर्ण हो जाता है।

III नीतिगत उपाय

राजकोषीय समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों द्वारा अतीत में लागू किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों के अच्छे परिणाम निकले हैं, जैसा कि घाटा संकेतकों और अन्य राजकोषीय संकेतकों में हुए सुधार से परिलक्षित होता है। राज्य सरकारों ने वर्ष 2006-07 के अपने-अपने बजट में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया जारी रखी। बारहवें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि के पहले वर्ष 2005-06 में राज्य सरकारों ने राजकोषीय पुनर्गठन के बारे में आयोग की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार भी, राज्य सरकारों के प्रयासों को सुकर बनाने और सुदृढ़ करने के अलावा, अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए अनेक उपाय करती रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी ओर से, अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट के रूप में सहायता प्रदान करने और बाजार उधार की उगाही करने के अलावा, राज्य सरकारों के राजकोषीय मामलों में परामर्शदाता की भूमिका निभाता रहा है।

राज्य सरकारों, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित विभिन्न नीतिगत उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे के पैराग्राफों में दिया जा रहा है।

III.1 राज्य सरकारें

राज्य सरकारें राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई कर रही हैं, जैसा कि वर्ष 2006-07 के बजट में प्रस्तावित विभिन्न उपायों से प्रकट होता है। राज्य सरकारों ने सामान्यतः गैर-योजना राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के प्रयासों के अलावा राजस्व वृद्धि को भी अपना लक्ष्य बनाया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने सामाजिक योजनाओं पर, विशेषतः गरीब वर्गों के लिए, व्यय में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। चालू वर्ष के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने, अपने को उन राज्यों की बराबरी पर लाने के लिए, जिन्होंने पहले ही वैट लागू किया है, वैट व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा, कई राज्य सरकारों ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय जवाबदेही संबंधी कानून बनाए हैं। इसके अलावा राज्यों ने कराधान तथा व्यय प्रबंध के क्षेत्र में और उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाएं लागू करके कई अन्य नीतिगत उपाय भी लागू किए हैं। प्रमुख नीतिगत उपायों का राज्यवार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे के पैराग्राफों में दिया जा रहा है।

III.1.1 राजस्व वृद्धि

शेष राज्यों में से 5 ने वर्ष 2006-07 के दौरान वैट लागू कर दिया है जिससे वैट लागू करने वाले राज्यों की संख्या (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित) 27 हो गई है। उत्तर प्रदेश ने वैट लागू करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन तमिलनाडु ने 1 जनवरी 2007 से यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय ले लिया है। जिन राज्यों ने वैट पहले ही लागू कर दिया है, उन्होंने कार्यविधि में सुधार, कर की दरों को युक्तियुक्त बनाने और अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए भी कदम उठाए हैं ताकि संबंधित राज्यों में वैट की व्यवस्था सुगमतापूर्वक लागू की जा सके।

राज्य सरकारों ने सामान्यतः करदाताओं का आधार बढ़ाने, बेहतर अनुपालन, कर की दरों को तर्कसंगत बनाए जाने, कर प्रशासन

की दक्षता में सुधार लाने, कर संबंधी कानूनों के सरलीकरण तथा आधुनिक और उन्नत कर-प्रणाली लागू करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे कुछ राज्यों को छोड़कर जिन्होंने नए कर लगाने की बात सोची है (महाराष्ट्र में लाटरी टिकटों पर कर, गोवा में प्रमाणित प्रयुक्त कारों की दुबारा बिक्री पर कर, राजस्थान में पुरानी गाड़ियों पर 'ग्रीन टैक्स'), अधिकांश राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रकार के करों की दरें कम करने तथा कुछ कर समाप्त करने का इरादा जाहिर किया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि 2 राज्यों (पंजाब और महाराष्ट्र) ने चुंगी-कर समाप्त करने का इरादा जाहिर किया है। दूसरी ओर केरल ने कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार की है जिनपर 20 प्रतिशत कर लगाया जाना है जो वैट व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित 12.5 प्रतिशत के अधिकतम स्तर से भी अधिक है। पंजाब ने पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से बांड जारी करने के लिए बजट में व्यवस्था की है। गुजरात और पश्चिम बंगाल ने भुगतान संबंधी बकायों की उगाही के लिए क्षमादान की योजनाएं तैयार की हैं। कई राज्य सरकारों ने स्टाम्प ड्यूटी में सुधार और उसे तर्कसंगत बनाए जाने पर जोर दिया है परंतु इसके साथ ही कई अन्य लिखतों पर भी कर लागू करने का निर्णय लिया है (जैसे मुख्तारनामा, स्वत्वविलेख संबंधी जमाराशियाँ)।

महाराष्ट्र, मेघालय और मिज़ोरम ने जल प्रभार बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। फिर भी कई राज्यों ने जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए बिजली की दरों में कमी करने का प्रस्ताव किया है (आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक,पंजाब और तमिलनाडु)।

III.1.2 व्यय प्रबंध

राज्य सरकारों ने बेहतर व्यय प्रबंध और गैर-विकास व्यय में कमी लाने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया है। सिक्किम और केरल सहित कई राज्यों ने भरती और नए पदों के सृजन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया है तथा मितव्ययिता बरतने के अलावा गैर-योजना खर्च में 10 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव किया है। अधिकांश राज्य सरकारों ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती की है। फिर भी विकास संबंधी खर्चों और पूंजीगत खर्च पर जोर दिया गया है। कई राज्य सरकारों ने कमज़ोर वर्गों के लिए बीमा योजनाओं का प्रस्ताव किया है। कुछ राज्यों (असम, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल) ने निर्दिष्ट प्रयोजनों तथा क्षेत्रों के लिए अलग से निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है।कई राज्य पूर्व निर्दिष्ट खर्चों में कमी लाने के लिए पेंशन सुधार कार्यक्रम भी लागू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने हडको से लिए गए ऋणों की अवधि के पुनर्निर्धारण तथा पुनर्गठन का प्रस्ताव किया है। तमिलनाडु ने, सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड से लिए गए ऋणों की पूरी बकाया देयताओं की चुकौती का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। राज्य सरकारें खर्च पर नियंत्रण करने की कोशिशें कर रही हैं (विशेषतः गैर- योजना खर्चों पर) लेकिन राज्य सरकारों के वर्ष 2006-07 के बजट में कई तरह की सब्सिडियों, माफियों और छूटों की घोषणाएं की गई हैं।

III.1.3 संस्थागत उपाय

राज्य सरकारों ने ऐसे संस्थागत उपाय आरंभ किए हैं जिनसे राजकोषीय अनुशासन की दिशा में अग्रसर हो सके। इस प्रकार राज्यों ने धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार के राजकोषीय मानदंडों (जैसे गारंटियां, ऋण शोधन निधियों की स्थापना और राजकोषीय जबाबदेही) संबंधी कानून लागू किए हैं । इस संबंध में अब तक 23 राज्यों ने राजकोषीय जबाबदेही संबंधी कानून पारित कर दिए हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न राजकोषीय मानदंड समाहित है (अनुबंध-2)। राज्यों ने समेकित ऋणशोधन निधि, गारंटी मोचन निधि और गारंटियों पर अधिकतम सीमा से संबंधित उपाय लागू कर दिए हैं (सारणी-1)।

अधिकांश राज्य सरकारों ने ऐसी समितियां/ कार्य दल गठित करने और नीतिगत उपाय करने के प्रस्ताव किए हैं जिनका लक्ष्य कुछ निश्चित उद्देश्य हासिल करना है, जैसे राजकोषीय जबाबदेही और बजट प्रबंध (असम), शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक तथा केरल), नीतियों का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग (झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र), मानव संसाधन विकास (असम, महाराष्ट्र), रोजगार संबंधी मुद्दे (असम, गोवा और हरियाणा), औद्योगिक क्षेत्र (बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु), कृषि और सिंचाई (हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल)। तमिलनाडु और उत्तरांचल ने प्रशासनिक सुधार आयोग भी गठित करने के प्रस्ताव किए हैं। असम ने कर सुधार आयोग गठित करने तथा नागालैंड ने राज्य महिला आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने 'जेंडर बजटिंग' का प्रस्ताव किया है। बिहार ने एक

सारणी 1 : राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार

राज्य	मूल्य वर्धित कर का कार्यान्वयन	राजकोषीय जवाबदेही कानून (एफआरएल) लागू	नई पेन्शन योजना (एनपीएस) शुरू	गारंटियों पर लागू अधिकतम सीमा	समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितंबर 2004	सां, सितंबर 2003	1999-00	जनवरी 2002
2. अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	नहीं	जून 1999	नहीं
3. असम	मई 2005	सितंबर 2005	नहीं	सां, सितंबर 2005	1999-00	नहीं
4. बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नहीं	नहीं	नहीं
5. छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नवंबर 2004	हां	2001-02	नहीं
6. गोवा	अप्रैल 2005	2006	अगस्त 2005	सां, 1993 (संशोधित, 2005)	जून 1999	अक्तूबर 2001
7. गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	प्र, 1963 (संशोधित, 2001)	दिसंबर 2003	फरवरी 2002
8. हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	जुलाई 2003
9. हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	2005	हां	नहीं	नहीं	नहीं
10. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2005-06
11. झारखंड	अप्रैल 2006	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
12. कर्नाटक	अप्रैल 2005	अप्रैल 2003	अप्रैल 06	सां, अप्रैल 1999	नहीं	मार्च 2000
13. केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	नहीं	2003	जून 2006	नहीं
14. मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	प्र	नहीं	जनवरी 2006
15. महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवंबर 2005	नहीं	1999	नहीं
16. मणिपुर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	दिसंबर 2004	सां, जनवरी 2005	नहीं	नहीं
17. मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	नहीं	नवंबर 1999	नहीं
18. मिजोरम	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं	1999-00	नहीं
19. नागालैंड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	सां, अगस्त 2005	नहीं	नहीं
20. उड़ीसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	प्र, नवंबर 2002	जनवरी 2003	2002-03
21. पंजाब	अप्रैल 2005	2003	नहीं	प्र, हां	हां	नहीं
22. राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	मई 2005	नहीं	1999-00
23. सिक्किम	अप्रैल 2005	नहीं	अप्रैल 2006	दिसंबर 2000	1999-00	2005-06
24. तमिलनाडु	नहीं	2003	अप्रैल 2003	सां, मई 2003	मार्च 2006	मार्च 2003
25. त्रिपुरा	अक्तूबर 2005	2005	उन	उन	उन	उन
26. उत्तरांचल	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	नहीं	जनवरी 2001	नहीं
27. उत्तर प्रदेश	नहीं	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28. पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	सां, अगस्त 2001	अप्रैल 1999	नहीं
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
योग	**27**	**23**	**18**	**17**	**17**	**11**

उ.न. : उपलब्ध नहीं प्र : प्रशासनिक सीमा सां : सांविधिक सीमा

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी पर आधारित

निवेश कौंसिल बनाने का प्रस्ताव किया है। असम और हिमाचल प्रदेश ने स्थानीय निकायों को और अधिक भूमिका दिए जाने का प्रस्ताव किया है। असम ने कृषि ऋण राहत आयोग तथा नाबार्ड से लिए गए ऋणों की मॉनिटरिंग के लिए एक प्रकोष्ठ गठित किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा ने भारत सरकार की तर्ज पर 'आउटकम बजट' तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

III.1.4 अन्य उपाय

राज्य सरकारों ने ऐसी कई योजनाओं का प्रस्ताव किया है जिनका उद्देश्य विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार में सुधार लाना है। राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू करती रही हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा खास उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकारें (उत्तरांचल, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़) 'सरकारी और गैर-सरकारी साझेदारी' योजना के अंतर्गत परियोजनाएं गठित करने की संभावनाओं का पता लगा रही हैं। कई राज्य सरकारों (असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली) ने बिजली संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट में बिजली परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव किया है तथा कुछ अन्य राज्यों ने अपने यहां बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

III.1.5 बिजली क्षेत्र के सुधार

राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बिजली क्षेत्र के सुधारों ने हाल के वर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर

लिया है। राज्यों ने सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों में निवेश किए हैं उनमें राज्य बिजली बोर्डों का हिस्सा बहुत बड़ा है तथा राज्य बिजली बोर्डों के खराब कार्य-निष्पादन का राज्य सरकारों के वित्त पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कृषि तथा घरेलू क्षेत्र को कम दरों पर बिजली बेचे जाने के कारण होने वाले नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी गई सब्सिडी की मात्रा हाल के वर्षों में बढ़ती रही है। राज्य बिजली बोर्डों को प्रत्यक्ष ऋण देने के अलावा राज्य सरकारों ने वित्तीय संस्थाओं को पर्याप्त गारंटियां भी दी हैं ताकि राज्य बिजली बोर्ड उनसे अपेक्षित संसाधनों की उगाही कर सकें।

अहलूवालिया समिति की सिफारिशों (2001) के आधार पर, सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों पर राज्य बिजली बोर्डों के बकायों के एकबारगी निपटान के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस संबंध में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और 28 राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों ने वर्ष 2003-04 के दौरान 1 अक्तूबर 2001 से (अर्थात पूर्वव्यापी प्रभाव से), सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों पर बकायों के बदले 28,984 करोड़ रुपए[6] के 15 वर्षीय बांड, 8.5 प्रतिशत वार्षिक की अत्यंत कम ब्याज-दर पर जारी किए जिनकी चुकौती 5 वर्ष के ऋण-स्थगन काल के बाद 10 वर्षों की अवधि में की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 10.0 प्रतिशत बांडों की प्रतिवर्ष बाजार में खरीद-बिक्री की अनुमति दी जाएगी। पिछले बकायों के राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूतिकरण तथा वर्तमान आपूर्ति के लिए पूर्ण भुगतान संबंधी अनुशासन की व्यवस्था लागू कर दिए जाने से, सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों की क्षमता में वृद्धि के लिए बाजार से अपेक्षित संसाधनों की उगाही और आसान हो जाएगी। इससे राज्य बिजली बोर्डों को अपने तुलन-पत्र साफ-सुथरा रखने में मदद मिली है जिससे वे अपने भावी निवेश कार्यक्रम के लिए धन जुटाने हेतु बाजार से निधि जुटा सकेंगे।

अधिकांश राज्यों ने ऐसे उपायों की रूपरेखा निर्धारित कर ली है जिनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश से संबंधित उपायों के माध्यम से, राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन उत्पादन, प्रेषण और वितरण के लिए 3 अलग-अलग निगमों में किया जाना, प्रेषण और वितरण संबंधी हानियों को कम करने के उपाय करना, बिजली की दरें बढ़ाना और सबसे महत्वपूर्ण विनियामक/टैरिफ प्राधिकारियों की स्थापना के लिए सांविधिक उपाय करके विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन करना है।

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों ने बिजली टैरिफ का ढांचा निश्चित करने के लिए अपने राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन किया है लेकिन तीन राज्यों (गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय) के राज्य विद्युत विनियामक आयोग मार्च 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। काम करने वाले 24 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों में से 20 राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने मार्च 2006 के अंत तक टैरिफ संबंधी आदेश जारी कर दिए थे। बिजली क्षेत्र के सुधार तथा पुनर्गठन के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा सारणी-2 में दिया गया है। 13 राज्यों ने अपने राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन कर दिया है तथा 9 राज्यों ने अपने राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने की अनुमति मांगी है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य बिजली बोर्डों के 3 निकायों (नामतः उत्पादन, प्रेषण और वितरण) में विभाजन के लिए अनिवार्य तारीख 10 जून 2004 निर्धारित की गई थी। 7 राज्यों में केवल बिजली विभाग हैं। सभी राज्यों ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

III.2 भारत सरकार

राज्य सरकारों के सुधार की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार विभिन्न उपाय करती रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए 8 कौशल विकास कार्यक्रमों से राज्य सरकारों को लाभ हुआ है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र ने राज्यों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

राज्य सरकारों की विकासात्मक और सामाजिक भूमिका में मदद करने के लिए केंद्र ने 2006-07 के अपने बजट में कई उपायों की घोषणा की है। केंद्र राज्यों द्वारा पूरक पोषण के लिए किए गए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत भाग सहायता के रूप में उपलब्ध करा रहा है। केंद्र ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से

[6] इस समय राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए बिजली बांडों की कुल राशि 31,581 करोड़ रुपए है।

सारणी 2 : राज्यों में बिजली क्षेत्र के सुधारों की स्थिति
(31 मार्च 2006 की स्थिति)

राज्य	विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन	असमूहित राज्य बिजली बोर्ड	राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन (एसइआरसी)	टैरिफ/एआरआर आदेश पारित	अन्य
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित, वितरण के निजीकरण को निर्धारित किया जाना है।
2. अरुणाचल प्रदेश	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	नहीं	–	–
3. असम	हां	हां	हां	हां	–
4. बिहार	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	–	चोरी निवारक कानून पारित
5. छत्तीसगढ़	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
6. गोवा	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां (कार्यरत नहीं)	–	–
7. गुजरात	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
8. हरियाणा	हां	हां	हां	हां	–
9. हिमाचल प्रदेश	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
10. जम्मू और कश्मीर	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां (कार्यरत नहीं)	–	–
11. झारखंड	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
12. कर्नाटक	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
13. केरल	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
14. मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
15. महाराष्ट्र	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
16. मणिपुर	हां (एमओए)	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां	–	–
17. मेघालय	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां (कार्यरत नहीं)	–	–
18. मिजोरम	हां (एमओए)	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां	–	–
19. नागालैंड	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	नहीं	–	–
20. उड़ीसा	हां	हां	हां	हां	वितरण का निजीकरण किया जाना है
21. पंजाब	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
22. राजस्थान	हां	हां	हां	हां	–
23. सिक्किम	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां	–	–
24. तमिलनाडु	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
25. त्रिपुरा	हां (एमओए)	हां	हां	हां	–
26. उत्तरांचल	हां	हां	हां	हां	–
27. उत्तर प्रदेश	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
28. पश्चिम बंगाल	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	हां	हां	हां	हां	वितरण का निजीकरण किया जाना है
योग	**29**	**13**	**27**	**20**	**11**

एमओयू : समझौता ज्ञापन एमओए : करार ज्ञापन एआरआर : अपेक्षित कुल राजस्व

टिप्पणी : मणिपुर तथा मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचित।

स्रोत : 1. वार्षिक रिपोर्ट 2005-06ए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।
2. विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट (www.powermin.nic.in), भारत सरकार।

विभिन्न शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है और वर्ष 2006-07 के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजनाएं आरंभ करने पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मुंबई शहर में जल निकास प्रणाली के लिए एक विशेष पैकेज को अनुमति दे दी गई है। केंद्र किसी विशिष्ट उद्योग पर ज्यादा जोर देनेवाले खास उद्योगों के विकास को आधार बनाकर नए नगर स्थापित करेगा जिनके अंतर्गत पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुछ परियोजनाएं विचाराधीन हैं। केंद्र ने जल निकायों में सुधार, नवीकरण और पुनर्गठन के लिए 23 जिलों और 13 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम तैयार किए हैं। केंद्र ने विशेष प्रयोजन वाली चाय निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा 5 राज्यों में 5 बहुत बड़ी बिजली परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा नागालैंड में केंद्रीय बागवानी संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट में, ऋणों के समेकन तथा राज्यों को वैट के माध्यम से होने वाले घाटों के बदले राहत और क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान किया है। सभी राज्यों में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने हेतु वर्ष 2006-07 के संघीय बजट में ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि-12 की राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिए जाने का प्रस्ताव है। बजट में, सरकारी और निजी साझेदारी वाले मॉडल के अंतर्गत कुछ खास परियोजनाओं के लिए ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि से निधि प्राप्त करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। चूँकि भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि-12 के अंतर्गत एक अलग उप-खंड निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान 4,000 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है।

III.3 भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों के बैंकर तथा लोक ऋण के प्रबंधक के रूप में, राजकोषीय मुद्दों पर राज्यों को और अधिक संवेदनशील बनाता रहा है। इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष 1997 से, राज्य सरकारों के वित्त से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए राज्यों के वित्त सचिवों की एक वार्षिक बैठक आयोजित कर रहा है। इस संस्थागत व्यवस्था से राज्य सरकारों के कई वित्तीय मुद्दों का समाधान ढूंढने में मदद मिली है। रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करता है तथा राज्यों के बाजार उधार कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है।

राज्य सरकारों के ऋण प्रबंध कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं ।

III.3.1 राज्य सरकारों के बाजार उधारों के लिए नीलामियां

चूंकि नीलामियों के माध्यम से मूल्य निश्चित करने में मदद मिलती है, बाजार अनुशासन बनाए रखा जाता है तथा द्वितीयक बाजार में अधिक चलनिधि उपलब्ध कराई जा सकती है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक नीलामी की व्यवस्था के अंतर्गत बाजार उधारों का हिस्सा क्रमशः और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करता रहा है। इस मुद्दे पर राज्यों के वित्त सचिवों के 7 अगस्त 2006 को आयोजित किए गए 18वें सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया और यह निश्चय किया गया कि राज्य सरकारें समग्र बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों की उगाही करने के लिए यथासंभव नीलामी व्यवस्था का उपयोग करेंगी ।

III.3.2 राज्य सरकारों के निवेश प्रबंध की योजना

इस समय राज्य सरकारों की समेकित ऋण शोधन निधियों तथा गारंटी मोचन निधियों का निवेश, रिज़र्व बैंक की बहियों में धारित सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है। 12वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि सभी राज्यों को सभी ऋणों के परिशोधन के लिए (और न कि केवल बाजार उधारों के लिए) ऋण शोधन निधि स्थापित करनी चाहिए तथा आपदा राहत निधि उसके वर्तमान रूप में बनाए रखनी चाहिए। आपदा राहत निधि संबंधी योजना मई 2006 में संशोधित की गई जिसमें, सभी ऋणों के परिशोधन के संबंध में 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया तथा आपदा राहत निधि में राज्यों के सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा तक उनके निवल वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बदले उन्हें विशेष अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने की व्यवस्था के संबंध में बेज़बरुआ समिति की सिफारिशों को भी शामिल किया गया ।

III.3.3 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की तरलता

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की कम तरलता के मुद्दे की समीक्षा करने और उचित उपायों की सलाह देने के लिए राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के मामले में एक कार्यदल (अध्यक्षः श्री वी.के शर्मा) गठित किया गया। कार्यदल की सिफारिशों को आधार बनाकर तथा राज्य सरकारों के ऋणों में निवेश-आधार और व्यापक बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं :

- गैर प्रतियोगी बिडिंग (इस समय केवल भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तक ही सीमित) की सुविधा राज्य सरकारों के ऋणों की प्राथमिक नीलामी के मामले में भी उपलब्ध कराई जाए।
- कि एक दिवसीय चलनिधि समायोजन सुविधा संबंधी रिपो परिचालनों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के ऋणों के क्रय और उनकी पुनर्विक्री का काम भी आरंभ करे।

III.3.4 राज्य सरकारों के उधारों के संबंध में स्थायी तकनीकी समिति का गठन

अप्रैल 2005 के वार्षिक नीति वक्तव्य में किए गए उल्लेख के अनुसार 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके सुकर संक्रमण की व्यवस्था करेगा । प्रस्तावित व्यवस्था के सुकर संक्रमण के लिए तौर-तरीके निश्चित करने हेतु भारत सरकार ने जुलाई 2005 में एक तकनीकी दल (अध्यक्षः श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) गठित किया । उक्त तकनीकी दल की रिपोर्ट दिसंबर 2005 में भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई। दल की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया:

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों से संबंधित व्यापक मुद्दे पर, सहमतिजन्य और सहकारिता की भावना के माध्यम से सलाह देने के लिए, राज्यों के वित्त सचिवों के सम्मेलन के तत्वावधान में एक स्थायी तकनीकी समिति गठित की जाए जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि हों।

स्थायी तकनीकी समिति के गठन का मुद्दा भारत सरकार के विचाराधीन है।

III.3.5 राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट की योजना

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने के संबंध में गठित की गई सलाहकार समिति (अध्यक्षः श्री एम.पी.बेज़बरुआ) की रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी सिफारिशों पर राज्य सरकारों के सचिवों के दिनांक 13 जनवरी 2006 को आयोजित किए गए 17वें सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था, राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट की एक संशोधित योजना 1 अप्रैल 2006 से लागू है (बॉक्स-1)। इस योजना के अनुसार वर्ष 2006-07 के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की कुल सीमा पिछले साल के 8,935 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9,875 करोड़ रुपए कर दी गई है। समेकित ऋणशोधन निधियों और गारंटी मोचन निधियों में निवेश करने के लिए राज्यों को विशेष अर्थोपाय अग्रिम के रूप में इन्सेंटिव भी दिए गए हैं।

IV. राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय और संस्थागत सुधारों के लिए आरंभ किए गए/कार्यान्वित किए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव से वर्ष 2000-01 से राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में सुधार आया है। 2000-01 से 2002-03 की अवधि में, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, सभी प्रमुख घाटा संकेतकों में गिरावट आई है। लेकिन वर्ष 2003-04 में अल्पकालिक गिरावट के कुछ लक्षण भी दिखाई दिए जिसका प्रमुख कारण राज्य बिजली बोर्डों के बकायों के लिए राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत, विद्युत बांड जारी किया जाना था। वर्ष 2004-05 से राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया स्थिर बनी हुई है, जैसा कि राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति देखने से ज्ञात होता है। इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकारों के 2004-05 और 2006-07[7] के लेखाओं के मद्देनजर, निम्नलिखित चर्चा से, उनकी समेकित स्थिति के आकलन और विश्लेषण हेतु व्यापक प्रकाश पड़ेगा।

---

[7] इस खंड तथा अध्ययन में ही प्रस्तुत किया गया विश्लेषण, 2006-07 के बजट में दिए गए 2004-05 (लेखाओं), 2005-06 (संशोधित अनुमान) और 2006-07 से संबंधित हैं।

बॉक्स 1 : राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के संबंध में परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट - सारांश

भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों के नकद प्रवाहों में अस्थायी विसंगतियों को कवर करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के उपबंधों के अंतर्गत 1937 से राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराता आ रहा है। इस अधिनियम के अनुसार ऐसे अग्रिम, अग्रिम की तारीख से तीन महीने के पहले ही चुका दिए जाने चाहिए। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए जानेवाले ऐसे अग्रिम की अधिकतम राशि और उस पर प्रभारित किए जाने वाले ब्याज का भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया है किंतु ये राज्य सरकारों के स्वैच्छिक करारों द्वारा विनियमित हैं। अर्थोपाय अग्रिम दो प्रकार के हैं, नामतः (i) सामान्य अथवा बेजमानती अग्रिम जो 1937 में शुरू किए गए थे तथा (ii) 1953 में प्रारंभ किए गए विशेष अथवा जमानती अग्रिम जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों की जमानत पर दिए जाते हैं। जब कभी ये सीमाएं पार हो जाती हैं तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। वह अधिकतम अवधि (दिन) और / या वित्तीय सीमाएं जितने तक कि राज्य सरकारें ओवरड्राफ्ट में रह सकती हैं, निर्दिष्ट की गई हैं। उभरती राजकोषीय, वित्तीय और संस्थागत गतिविधियों के साथ-साथ मौद्रिक और राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकारों की अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में पचास के दशक में शुरुआती वर्षों से ही अर्थोपाय अग्रिम योजना संशोधित की जाती रही है। वर्ष 2003 में श्री.सी.रामचंद्रन की अध्यक्षतावाली परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम योजना में पिछला संशोधन किया गया था।

रामचंद्रन समिति की सिफारिशों के अनुसार और इस मध्यावधि में हुई राजकोषीय गतिविधियों तथा मध्यावधि की तुलना में राज्य सरकारों की चलनिधि स्थिति के संदर्भ में श्री एम.पी.बेजबरुआ, बैंकिंग लोकपाल, नई दिल्ली की अध्यक्षता में अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा करने के लिए अप्रैल 2005 में एक परामर्शदात्री समिति गठित की गई थी। इस समिति के संदर्भाधीन विषय निम्नानुसार थे :

- राज्य सरकारों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अर्थोपाय अग्रिम /ओवरड्राफ्ट योजना, विशेषकर, फार्मूले और सीमाओं की समीक्षा करना तथा यदि जरूरी हुआ तो बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में आशोधनों की सिफारिश करना;
- राज्य सरकारों के लिए मौज़ूदा ओवरड्राफ्ट विनियमों की जांच करना;
- विशेष अर्थोपाय अग्रिम के लिए उनके टिकाऊ अधिशेषों से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश बढ़ाने के राज्यों के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकारों के विशेष अर्थोपाय अग्रिम योजना की जांच करना, और
- विषय से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।

इस समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- परामर्शदात्री समिति ने पाया कि हाल के वर्षों में राज्य सरकारों के वित्त में सुधार था जैसा कि घाटे के वैकल्पिक उपायों में कमी और चलनिधि प्रबंधन में सुधार से स्पष्ट है। मौज़ूदा अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं को जरूरत से ज्यादा समझते हुए समिति ने यह टिप्पणी की कि मध्यावधि में राज्य सरकारों के वित्त और चलनिधि स्थिति पर बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) (2005-06 से 2009-10) की सिफारिशों का क्रमिक रूप से वर्धित सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय योजना ऋण की जगह बाजार उधार लेना शुरू करने के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2006-07 परिवर्तन अवधि होगी और तदनुसार, राजकोषीय वातावरण से तालमेल बिठाने में राज्य सरकारों को थोड़ा और समय लगेगा जैसा कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा परिकल्पना की गई है। समिति ने सिफारिश की कि चुकौतियों को छोड़कर कुल व्यय (राजस्व और पूंजी) के रूप में आधार परिभाषित किया जा सकता है और अब तक प्रयुक्त राजस्व प्राप्तियों के सामने तदर्थ व्यय को एक बार समायोजित किया जाना चाहिए। इस आधार से लाटरी व्यय भी निकाल दिए जाने चाहिए। उस राज्य सरकार के मामले में जिसके पास राजस्व अधिशेष है, यह आधार उपर्युक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जबकि राजस्व घाटे वाले राज्य के मामले में आधार से राजस्व घाटा निकाल दिया जाना चाहिए।
- समिति ने निम्नलिखित तरीके से 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए (अर्थात बारहवें वित्त आयोग के अवार्ड की शेष अवधि के साथ-साथ समाप्य) सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की गणना करने की सिफारिश की है।
  - 2006-07 (अप्रैल 2006 से प्रारंभ) के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं वर्ष 200-02, 2002-03 और 2003-04 (सभी वास्तविक आंकड़े जैसे कि राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत किए गए हैं) के लिए आधार (पहले दी गई परिभाषानुसार) का औसत लेकर परिकल्पित की जा सकती हैं। एक बारगी व्यय के एक अंग के रूप में 2003-04 में पावर बांडों के माध्यम से जुटाई गई वास्तवित राशियां आधार से हटाई जा सकती हैं। गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में क्रमशः 3.1 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत का गुणन अनुपात तीन वर्ष के लिए आधार के औसत पर लगाया जा सकता है। इन सीमाओं को 5 करोड़ रुपए के नज़दीकी गुणज से पूर्णांकित किया जा सकता है।
  - यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मौज़ूदा (2005-06) स्तर से किसी भी राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं में कोई कमी नहीं होगी।
  - इन सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की हर वर्ष समीक्षा की जा सकती है।
- समिति स्वीकार करती है कि अल्पावधि से मध्यावधि में राज्य योजनाओं के वित्तपोषण हेतु राज्य सरकारों को भारत सरकार की प्रतिभूतियों का भंडार बढ़ाने के साथ-साथ केंद्र ऋण की जगह बाजार उधारों का मार्ग अपनाने के निहितार्थों की ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, समिति विशेष अर्थोपाय अग्रिम योजना में किसी भी परिवर्तन का सुझाव नहीं देती है। मौजूदा योजना की तर्ज पर राज्य सरकारों को सामान्य अर्थोपाय अग्रिम से पहले विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने अपेक्षित हैं।
- समिति ने सुझाव दिया कि मौद्रिक स्थिरता के दृष्टिकोण से उचित समय पर एक समन्वित सीमा के भीतर विशेष और सामान्य अर्थोपाय अग्रिम को तर्क संगत बनाने के मुद्दे की जांच की जाएगी।
- समिति ने सुझाव दिया कि अर्थोपाय अग्रिम पर 90 दिन तक के लिए ब्याज दर (मौजूदा बैंक दर की जगह) रिपो दर होनी चाहिए जबकि 90 दिन से आगे अर्थोपाय अग्रिम पर यह रिपो दर से एक प्रतिशत अंक अधिक वसूली जानी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि विशेष अर्थोपाय अग्रिम पर लगाई जानेवाली ब्याज दर प्रोत्साहन के रूप में रिपो दर से एक प्रतिशत कम होनी चाहिए ताकि ऐसी प्रतिभूतियों का आरक्षित भंडार बनाया जा सके।
- समिति ने महसूस किया कि बार-बार होने वाले ओवरड्राफ्ट ढांचागत असंतुलनों और/ या असंतोषजनक नकदी प्रबंध की अभिव्यक्ति हैं। इस पर भी, बढ़ती राजकोषीय व्यवस्था की शुरुआत को देखते हुए जैसा कि बारहवें वित्त आयोग ने परिकल्पना की है, समिति ने निर्णय लिया कि इस स्थिति में ओवरड्राफ्ट की मौजूदा समय सीमाओं को आशोधित न किया जाए। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के 100 प्रतिशत तक के आवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रिपो दर से 2 प्रतिशत अंक अधिक लगाई जानी चाहिए जबकि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं के 100 प्रतिशत से अधिक के ओवरड्राफ्टों पर रिपो दर से 5 प्रतिशत अंक अधिक ब्याज लगाया जाना चाहिए।
- समिति ने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकारों को आगाह किया जाना चाहिए कि जब कभी वे अपनी सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत से अधिक अर्थोपाय अग्रिम लें तो ओवरड्राफ्ट होने की स्थिति से बचने के लिए निवारक कदम उठाएं।
- समिति ने सिफारिश की कि सभी राज्य सरकारों द्वारा लिए गए अपने अर्थोपाय अग्रिमों के लिए एक निगरानी व्यवस्था भी बनानी चाहिए।
- समिति ने सिफारिश की कि राज्यों को भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अपने नकद अधिशेष को निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि उन्होंने इसके ठीक पहले बीती लगातार 90 दिन की अवधि में कोई अर्थोपाय अग्रिम न लिया हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अन्य तत्संबंधित बातों जैसे कि उसके पास ऐसी प्रतिभूतियों की उपलब्धता के अधीन है।
- समिति ने सिफारिश की कि विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने के लिए सीएसएफ/जीआरएफ में राज्यों के निवल वृद्धिशील (अर्थात् नए निवेश से उन्मोचन/परिसमापन घटाकर) वार्षिक निवेश पात्र बनाए जाने चाहिए।
- समिति ने सिफारिश की कि अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट योजना की अगली समीक्षा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के आधार पर 2006-07 के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की एक संशोधित योजना बनाई गई है (संशोधित अर्थोपाय अग्रिम योजना की मुख्य-मुख्य बातों के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट - 2005-06 का बॉक्स VI.5 देखें)।

स्रोत : रिपोर्ट आफ द एडवाइज़री कमिटी आन वेज एंड मीन्स एडवांसेस टु स्टेट गवर्नमेंटस (2005), भारतीय रिज़र्व बैंक

IV.1 लेखे : 2004-05

2004-05 के संशोधित अनुमानों (सं.अ.) को लेखों में परिवर्तित करने पर राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा के घाटा संकेतकों में सुस्पष्ट सुधार परिलक्षित हुआ (सारणी 3)। 2004-05 के संशोधित अनुमानों और 2004-05 (लेखों) के बीच आरडी और जीएफडी में क्रमशः 7879 करोड़ रुपए (17.8 प्रतिशत) और 14,378 करोड़ रुपए (11.6 प्रतिशत) की तेज गिरावट दिखाई दी। प्राथमिक घाटे में भी संशोधित अनुमानों और लेखों के बीच 14,469 करोड़ रुपए (40.5 प्रतिशत) की तेज गिरावट दर्ज की गई। उपर्युक्त घाटा प्राचलों में यह गिरावट सघउ (जीडीपी) से उनके अनुपातों के अर्थ में भी परिलक्षित हुई। 2004-05 के लेखों में सघउ से अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा (आरडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) क्रमशः 3.5 प्रतिशत (सं.अ. में 4.0 प्रतिशत), 1.2 प्रतिशत (1.4 प्रतिशत) और 0.7 प्रतिशत पर रखे गए थे।

सारणी 3 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2004-05 (सं.अ.) की तुलना में 2004-05 (लेखा)

(करोड़ रुपए)

मद	घट बढ़		योगदान* (प्रतिशत)
	राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**-12,364**	**-3.2**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	-487	-0.2	3.9
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	1,718	0.9	-13.9
जिसमें से			
बिक्री कर	1,424	1.2	-11.5
ख) केंद्रीय कर में अंश	-2,205	-2.7	17.8
(ii)करेत्तर राजस्व	-11,877	-10.2	96.1
(क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	-1,646	-3.3	13.3
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	-10,231	-15.3	82.7
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**-20,244**	**-4.7**	**100.0**
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	-20,334	-6.0	100.4
जिसमें से			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-4,554	-6.0	22.5
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-1,652	-8.2	8.2
ऊर्जा	-2,235	-9.2	11.0
ग्रामीण विकास	-1740	-10.2	8.6
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	-1138	-5.4	5.6
प्रशासनिक सेवा	-1,858	-5.7	9.2
पेंशन	-764	-2.0	3.8
(ii) ब्याज भुगतान	91	0.1	-0.4
III. पूंजी प्राप्तियां	**316**	**0.2**	**100.0**
IV. पूंजी व्यय	**-7,582**	**-4.6**	**100.0**
जिसमें से			
पूंजी परिव्यय	-6,672	-9.8	88.0
जिसमें से			
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	122	7.0	-1.6
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	-594	-2.7	7.8
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	-1,954	-20.8	25.8
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	-1,311	-11.5	17.3
ज्ञापन मदें			
सराघा	-14,378	-11.6	
राघा	-7,879	-17.8	
प्राघा	-14,469	-40.5	

सं.अ.: संशोधित अनुमान   * : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।

टिप्पणियां : 1. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं हैं।
2. परिशिष्ट III व IV की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

ध्यान देने योग्य प्रासंगिक बात यह है कि 2004-05 (लेखों) में राजस्व लेखे में सुधार ज्यादातर 20,334 करोड़ रुपए (6.0 प्रतिशत) के ब्याजेतर राजस्व व्यय में गिरावट के कारण था। राजस्व लेखे में विकास व्यय में 15,588 करोड़ रुपए तक की भारी गिरावट हुई जो राजस्व व्यय में 77.0 प्रतिशत की कमी है। राज्यों के अपने करों में वृद्धि के बावजूद केंद्र और राज्यों के अपने करेतर राजस्वों से मौजूदा अंतरण (डिवोल्यूशन) में गिरावट के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में 12,364 करोड़ रुपए तक की गिरावट हुई।

राजस्व घाटे में 17.8 प्रतिशत की गिरावट के अलावा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूंजी परिव्यय में 6,672 करोड़ रुपए (9.8 प्रतिशत) की गिरावट थी जिससे पूंजी व्यय में 88.0 प्रतिशत की कमी आई है। सघउ के अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय संशोधित अनुमानों में 2.2 प्रतिशत के स्तर से लेखों में 2.0 प्रतिशत हो गया। पूंजी परिव्यय में यह कमी असम, गुजरात और पंजाब में, विशेषकर, उन क्षेत्रों में थी जैसे कि ऊर्जा, परिवहन और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण एवं समाज सेवा। इस प्रकार, सकल राजकोषीय घाटे में संशोधित अनुमानों की तुलना में 2004-05 के लेखों में 14,378 करोड़ रुपए (11.6 प्रतिशत) की गिरावट दिखाई दी। सकल राजकोषीय घाटे में यह समग्र सुधार 22,634 करोड़ रुपए तक विकास व्यय में कमी (राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में किए गए व्यय सहित) के कारण था।

IV.2 संशोधित अनुमान : 2005-06

बजट अनुमान की तुलना में 2005-06 के संशोधित अनुमानों का आकलन दर्शाता है कि राजस्व घाटे में 7,735 करोड़ रुपए (31.0

सारणी 4 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2005-06 (ब.अ.)

(करोड़ रुपए)

मद	घट बढ़ राशि	घट बढ़ प्रतिशत	योगदान* (प्रतिशत)
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**23,564**	**5.5**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	12,294	4.0	52.2
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	9,573	4.4	40.6
जिसमें से			
बिक्री कर	4,324	3.2	18.4
ख) केंद्रीय कर में अंश	2,721	3.0	11.5
(ii)करेत्तर राजस्व	11,270	9.0	47.8
(क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	150	0.3	0.6
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	11,120	14.1	47.2
II. राजस्व व्यय	**15,828**	**3.5**	**100.0**
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	20,132	5.6	127.2
जिसमें से			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,273	4.0	20.7
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	810	3.6	5.1
ऊर्जा	3,046	16.4	19.2
ग्रामीण विकास	2,163	12.2	13.7
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	1,109	5.2	7.0
प्राकृतिक आपदा राहत	4368	98.0	27.6
प्रशासनिक सेवा	-1,060	-2.8	-6.7
पेन्शन	755	1.8	4.8
(ii)ब्याज भुगतान	-4,304	-4.6	-27.2
III. पूंजी प्राप्तियां	**9,722**	**6.5**	**100.0**
जिसमें से			
बाजार उधार	569	2.4	5.9
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	23,769	39.3	244.5
केंद्र से ऋण	-20,305	-65.0	-208.8
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	1,954	35.5	20.1
अल्पबचत, भविष्य निधि आदि (निवल)	934	9.8	9.6
जमाराशि और अग्रिम (निवल)	2,098	-74.9	21.6
IV. पूंजी व्यय	**13,034**	**10.6**	**100.0**
जिसमें से			
पूंजी परिव्यय	8,302	10.8	63.7
जिसमें से			
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	-722	-20.8	-5.5
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	2,385	9.8	18.3
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	3,824	62.1	29.3
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	1,984	13.6	15.2
ज्ञापन मदें			
सराघा	3,338	3.0	
राघा	-7,735	-31.0	
प्राघा	7,642	44.3	

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान।
* : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : सारणी 3 की टिप्पणियां देखें ।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

प्रतिशत) की कमी आई है (सारणी 4 और परिशिष्ट सारणी 1)। सघउ से अनुपात के रूप में राजस्व घाटा बजट अनुमानों के 0.7 प्रतिशत से घटकर संशोधित अनुमानों में 0.5 प्रतिशत हो गया है। राजस्व लेखे में 2005-06 (बजट अनुमान) की तुलना में 2005-06 (सं.अ.) में राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई और ये 23,564 करोड़ रुपए (5.5 प्रतिशत) रही जिससे राजस्व व्यय में हुई 15,828 करोड़ रुपए (3.5 प्रतिशत) की वृद्धि के नुकसान से ज्यादा की भरपाई कर दी (परिशिष्ट सारणी 2)।

राजस्व घाटे में वृद्धि के बावजूद 8,302 करोड़ रुपए (10.8 प्रतिशत) तक की पूंजी परिव्यय में भारी वृद्धि के बावजूद सकल राजकोषीय घाटे में 3,338 करो ड़ रुपए (3.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। सघउ से अनुपात के रूप में, सकल राजकोषीय घाटा पूंजी परिव्यय 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.4 होने के साथ 3.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा। पूंजी परिव्यय में यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं यथा ऊर्जा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन के संबंध में थी। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बारहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि बट्टे खाते डालने का लाभ केवल तभी मिल सकेगा जब राज्य के राजकोषीय घाटे को 2004-05 के स्तर पर सीमित रखा जाए। यदि किसी वर्ष में राजकोषीय घाटा इस स्तर को पार कर जाता है तो बट्टे खाते डालने का लाभ, अन्यथा पात्र होने के बावजूद भी नहीं दिया जाएगा।

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः केंद्र से मिलनेवाले 11,120 करोड़ रुपए तक की सहायता अनुदान में वृद्धि और 9,573 करोड़ रुपए तक के राज्यों के स्व कर राजस्व में वृद्धि के कारण थी। उपर्युक्त दोनों स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों में होनेवाली वृद्धि क्रमशः 47 प्रतिशत और 41 प्रतिशत थी। चूंकि वर्ष 2005-06 बारहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि का प्रथम वर्ष है, राज्यों को उनके बजट की तुलना में अधिक सहायता अनुदान मिले (परिशिष्ट सारणी 3)।

शिक्षा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास पर अधिक व्यय के कारण विकास व्यय में 21,845 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व व्यय में 2005-06 (ब.अ.) की तुलना में 2005-06 (सं.अ.) में भी 15,828 करोड़ रुपए की वृद्धि दिखाई दी। तथापि, विकास व्यय विविध सामान्य सेवाओं के संबंध में 4432 करोड़ रुपए तक और ब्याज अदायगियों के संबंध में 4,304 करोड़ रुपए तक की कमी के चलते 7,313 करोड़ रुपए तक घट गया (परिशिष्ट सारणी 4)। ब्याज

भुगतानों में हुई वृद्धि में महाराष्ट्र का योगदान एक-चौथाई से अधिक था जबकि प्रशासनिक सेवाओं में होनेवाली वृद्धि में महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रत्येक का योगदान 17 प्रतिशत था और पेन्शन व्यय में हुई वृद्धि में तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का योगदान 55 प्रतिशत से अधिक था।

राजस्व घाटे में 12667 करोड़ रुपए तक की गिरावट तथा 1000 करोड़ रुपए के विनिवेश के साथ दिए गए 1,768 करोड़ रुपए के उधार सहित सकल राजकोषीय घाटा इसप्रकार बजट किया गया है कि 11,156 करोड़ रुपए तक की पूंजी परिव्यय में वृद्धि के बावजूद वर्ष में 4,278 करोड़ रुपए तक गिरावट आनी चाहिए। 2006-07 के बजटों के अनुसार सघउ से अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के 3.2 प्रतिशत से घट कर 2.8 प्रतिशत पर आ जाएगा और राजस्व घाटा 0.5 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत हो जाएगा जबकि पूंजी परिव्यय 2.4 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर बना रहेगा।

IV.3 बजट अनुमान : 2006-07

वर्ष 2006-07 के लिए अपने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने राजकोषीय संशोधन एवं समेकन की प्रक्रिया को और आगे ले जाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

IV.3.1 बजट अनुमान 2006-07 - महत्वपूर्ण घाटा संकेतक

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति दर्शाती है कि प्रमुख घाटा संकेतकों को इस प्रकार बजट किया गया है ताकि वे 2006-07 में और भी सुधार दर्शा सकें। राजस्व घाटा 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में इस प्रकार बजट किया गया है ताकि 2006-07 के दौरान यह 12,667 करोड़ रुपए (73.7 प्रतिशत) तक गिरकर 4,511 करोड़ रुपए रह जाए। आशा की जाती है कि इस स्तर पर राज्यों के राजस्व खाते संतुलन के आस-पास पहुंच जाएंगे।

राजस्व घाटे में गिरावट के फलस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा 4,278 करोड़ रुपए गिरकर 1,09,610 करोड़ रुपए (सघउ का 2.8 प्रतिशत) हो जाएगा। बजट इस प्रकार बनाया गया है ताकि प्राथमिक घाटे में 14,709 करोड़ रुपए (59.1 प्रतिशत) की कमी आए और यह 2006-07 में 10,185 करोड़ रुपए (सघउ का 0.3 प्रतिशत) रह जाए (चार्ट 1)। राज्य सरकारों के 94,914 करोड़ रुपए (सघउ का 2.4 प्रतिशत) के प्राथमिक राजस्व अधिक्य इस प्रकार बजट किए गए हैं

चार्ट 1 : प्रमुख घाटा संकेतक

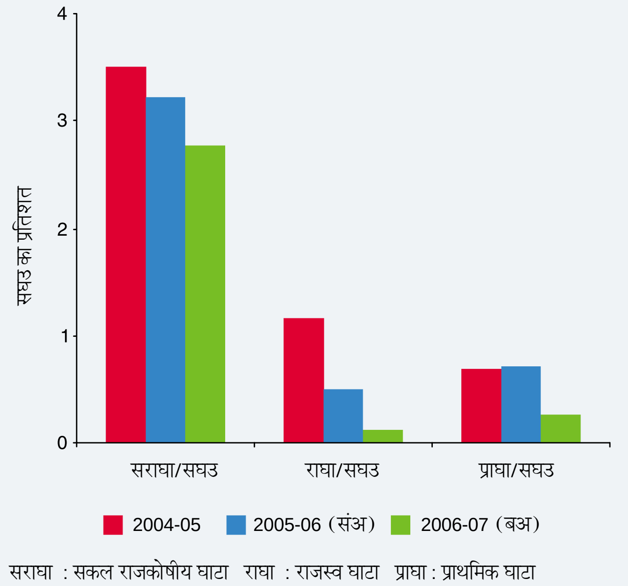

ताकि पिछले वर्ष के लगभग 81 प्रतिशत ब्याज भुगतानों की तुलना में 2006-07 में 95 प्रतिशत से अधिक ब्याज भुगतान किए जा सकें।

वर्ष 2006-07 में राजस्व लेखे में राजकोषीय संशोधन मूलतः राजस्व प्राप्तियों की सहायता से, जिनके लिए बजट में पिछले वर्ष के 22.1 प्रतिशत से ऊपर 14.5 प्रतिशत और बढ़ने की व्यवस्था की गई है, राजस्व बढ़ाकर हासिल किया जाएगा। 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए बजट में व्यवस्था की गई है जिसके लिए स्व-कर राजस्व (49.1 प्रतिशत), केंद्रीय कर में हिस्सा (25.3 प्रतिशत), केंद्र से सहायता (15.5 प्रतिशत) और राज्यों के अपने करेतर राजस्व (10.1 प्रतिशत) योगदान देंगे (सारणी 5)। वस्तुओं और सेवाओं पर राज्यों के अपने करों में 14.4 प्रतिशत प्रस्तावित बजटीय वृद्धि के अलावा स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क तथा संपत्ति और पूंजी लेनदेनों पर लगने वाले शुल्क और करों में क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 15.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी (परिशिष्ट सारणी 3)।

वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे में कमी राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की 15.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2006-07 में 11.3 प्रतिशत कमी से सुसाध्य होगी। 2006-07 में राजस्व व्यय में बजटीय वृद्धि मूलतः ब्याजेतर राजस्व व्यय (80.4 प्रतिशत) के कारण होगी। राजस्व व्यय के भीतर विकासमूलक व्यय (आर्थिक एवं सामाजिक सेवाएं) (पिछले वर्ष के 21.4 प्रतिशत से) घटकर 9.1 प्रतिशत रह जाएगा जबकि विकासेतर व्यय (पिछले वर्ष के 7.9 प्रतिशत) से बढ़कर 13.2

सारणी 5 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 (ब.अ.)

(करोड़ रुपए)

मद	घट-बढ़ राशि	घट-बढ़ प्रतिशत	योगदान* (प्रतिशत)
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**65,904**	**14.5**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	49,083	15.5	74.5
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	32,386	14.4	49.1
जिसमें से			
बिक्री कर	22,403	16.2	34.0
ख) केंद्रीय कर में अंश राजस्व	16,697	18.0	25.3
(ii) करेत्तर राजस्व	16,821	12.3	25.5
(क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	6,635	14.2	10.1
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	10,186	11.3	15.5
II. राजस्व व्यय	**53,237**	**11.3**	**100.0**
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	42,806	11.2	80.4
जिसमें से			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	8,990	10.6	16.9
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,405	10.3	4.5
ऊर्जा	-2156	-10.0	-4.0
ग्रामीण विकास	661	3.3	1.2
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	1259	5.6	2.4
प्रशासनिक सेवा	6,799	18.6	12.8
पेन्शन	5,409	12.8	10.2
(ii) ***ब्याज भुगतान***	10,431	11.7	19.6
III. पूंजी प्राप्तियां	**-7,167**	**-4.5**	**100.0**
जिसमें से			
बाजार उधार	4,462	18.7	-62.3
नाबार्ड से ऋण	2,534	38.9	-35.4
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	-19,448	-23.1	271.4
केंद्र से ऋण	2,614	24.0	-36.5
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	-1,946	-26.1	27.1
आरक्षित निधि(निवल)	1,115	34.3	-15.6
विविध पूंजी प्राप्तियां	2,449	407.2	-34.2
प्रेषण (निवल)	1,018	106.3	-14.2
IV. पूंजी व्यय	**7,139**	**5.2**	**100.0**
जिसमें से			
पूंजी परिव्यय	11,156	13.1	156.3
जिसमें से			
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	-629	-22.9	-8.8
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	3,743	14.0	52.4
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	-458	-4.6	-6.4
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	3,178	19.2	44.5
ज्ञापन मदें			
सराघा	-4,278	-3.8	
राघा	-12,667	-73.7	
प्राघा	-14,709	-59.1	

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान।
* : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : सारणी 3 की टिप्पणियां देखें ।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

प्रतिशत हो जाएगा और यह मूलतः ब्याज भुगतानों, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन के लिए किए गए ऊंचे प्रावधानों के कारण होगा (परिशिष्ट सारणी 4)। ब्याज भुगतानो में हुई वृद्धि में महराष्ट्र का योगदान एक-चौथाई से अधिक था जबकि प्रशासनिक सेवाओं में होनेवाली वृद्धि में महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रत्येक का योगदान 17 प्रतिशत था और पेन्शन व्यय में हुई वृद्धि में तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का योगदान 55 प्रतिशत से अधिक था।

राजस्व घाटे में 12667 करोड़ रुपए तक की गिरावट तथा 1000 करोड़ रुपए के विनिवेश के साथ दिए गए 1,768 करोड़ रुपए के उधार सहित सकल राजकोषीय घाटा इस प्रकार बजट किया गया है कि 11,156 करोड़ रुपए तक की पूंजी परिव्यय में वृद्धि के बावजूद वर्ष में 4,278 करोड़ रुपए तक गिरावट आनी चाहिए। 2006-07 के बजटों के अनुसार सघउ से अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के 3.2 प्रतिशत से घट कर 2.8 प्रतिशत पर आ जाएगा और राजस्व घाटा 0.5 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत हो जाएगा जबकि पूंजी परिव्यय 2.4 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर बना रहेगा।

IV.3.2 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार बजट की गई हैं कि विगत वर्ष में हुई 22.1 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2006-07 में 14.5 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। परिकल्पित है कि सघउ के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2006-07 की 13.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक तक बढ़ेगी। सघउ के अनुपात के रूप में राज्यों के स्व राजस्व और केंद्र से अंतरण दोनों में वर्ष के दौरान मामूली सुधार होने के अनुमान हैं (सारणी 6) (विवरण 31 भी देखें)।

घटकवार विवरण दर्शाते हैं कि सघउ से प्रतिशत के रूप में राज्यों के अपने कर राजस्व में 2006-07 के दौरान मामूली सुधार दिखाई देने के आसार हैं। शहरी अचल संपत्तियों पर करों और विद्युत शुल्क को छोड़कर सभी घटक राज्यों के अपने करों में वृद्धि में योगदान देंगे । राज्यों के स्व करेतर राजस्व इस प्रकार बजट किए गए हैं कि उनमें बीते वर्ष के 1.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2006-07 में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। तथापि सघउ से अनुपात के रूप में राज्यों का स्व करेतर राजस्व 1.3 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से कम वसूली आंशिक रूप से उनके करेतर राजस्व वसूली के निम्न

सारणी 6: राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

मदें	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-04 (औसत)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	घट बढ़ (प्रतिशत) घटबढ़ कॉ.6/5	घटबढ़ कॉ.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल प्राप्तियां (1+2)				576,762	613,379	672,116	6.3	9.6
	(16.1)	(15.2)	(17.4)	(18.5)	(17.4)	(17.0)		
1. कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ख)				372,075	454,243	520,148	22.1	14.5
	(12.1)	(10.9)	(11.4)	(11.9)	(12.9)	(13.2)		
क) राज्यों के अपने राजस्व				236,668	271,518	310,540	14.7	14.4
	(7.3)	(6.9)	(7.1)	(7.6)	(7.7)	(7.9)		
राज्य के अपने कर				189,133	224,817	257,203	18.9	14.4
	(5.4)	(5.3)	(5.7)	(6.1)	(6.4)	(6.5)		
राज्य के अपने करेतर राजस्व				47,535	46,702	53,337	-1.8	14.2
	(1.8)	(1.6)	(1.4)	(1.5)	(1.3)	(1.3)		
ख) केंद्र को अंतरण				135,406	182,725	209,608	34.9	14.7
	(4.9)	(4.0)	(4.2)	(4.3)	(5.2)	(5.3)		
अंशदाई कर				78,550	92,723	109,419	18.0	18.0
	(2.6)	(2.4)	(2.4)	(2.5)	(2.6)	(2.8)		
केंद्र के अनुदान				56,857	90,002	100,188	58.3	11.3
	(2.3)	(1.6)	(1.9)	(1.8)	(2.5)	(2.5)		
2. पूंजी प्राप्तियां (क+ख)				204,687	159,136	151,968	-22.3	-4.5
	(4.0)	(4.2)	(6.0)	(6.6)	(4.5)	(3.8)		
क) केंद्र से ऋण @				26,157	10,911	13,525	-58.3	24.0
	(1.2)	(1.0)	(1.0)	(0.8)	(0.3)	(0.3)		
ख) अन्य पूंजी प्राप्तियां				178,529	148,224	138,443	-17.0	-6.6
	(2.9)	(3.2)	(5.0)	(5.7)	(4.2)	(3.5)		

औ. : औसत सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान।

@ वर्ष 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के कारण अल्प बचतों में राज्यों का अंश जिसे पहले केंद्र से ऋण में शामिल किया गया था, अब आंतरिक ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा इसे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि 1999-2000 वर्ष के पहले के आंकड़े अल्प बचतों की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणियां : 1. सघउ का 4/5 वर्ष का औसत अनुपात, विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
2. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखें निवल आधार पर शामिल हैं।
3. परिशिष्ट III की टिप्पणियां भी देखें ।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

स्तर को स्पष्ट करती है। 2005-06 (सं.अ.) में वसूली लागत शिक्षा के लिए 1.2 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य के लिए 5.0 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 17.7 प्रतिशत, बिजली के लिए 13.1 प्रतिशत और सड़कों के लिए 11.6 प्रतिशत पर कम थी (सारणी 7 और चार्ट 2)। 2006-07

सारणी 7 : चयनित सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व अनुपात)

(प्रतिशत)

मदें	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं							
क) शिक्षा $	1.2	1.2	1.6	1.7	2.1	1.2	1.2
ख) स्वास्थ्य *	4.6	6.1	5.4	4.7	6.1	5.0	4.8
आर्थिक सेवाएं							
क) सिंचाई #	8.2	7.5	8.4	15.2	16.3	17.7	16.9
ख) बिजली	6.5	6.4	5.8	4.5	11.7	13.1	15.8
ग) सड़क @	16.1	19.3	15.5	21.3	14.4	11.6	7.5

ब.अ. : बजट अनुमान। सं.अ.: संशोधित अनुमान

$: इसमें खेल, कला एवं संस्कृतिपर व्यय भी शामिल है।

* : इसमें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर व्यय शामिल है ।

: यह योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए बड़ी, मझोली तथा लघु सिंचाई से संबंधित है ।

@ : यह योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़क एवं पुल से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए मार्ग परिवहन से संबंधित है ।

टिप्पणी : राज्यों में विद्युत क्षेत्र से संबंधित अकाउंटिंग में समानता न होने के कारण कई बार विभिन्न वर्षों के बीच इसे समायोजित किया गया है । अतः अनुपात में उतार-चढ़ाव है। इसके अलावा, राज्यों ने बिजली के अंतर्गत एकबाकी करेतर प्राप्तियां प्राप्त की थी जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वर्ष 2003-04 के दौरान अहलुवालिया समिति की सिफारिश के अनुसार 2,749 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जो 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई। ऐसी राशि को यहां छोड़ दिया गया है। साथ ही, ग्रामीण विद्युती करण निगम (आरइसी) की प्राप्तियां करेतर स्वरूप की नहीं थी जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 2004-05 में 240 करोड़ रुपए, 2005-06 में 160 करोड़ रुपए और 2006-07 में 1,350 करोड़ रुपए और उत्तरांचल सरकार के मामले में 2004-05 में 134 करोड़ रुपए, इन राशियों को यहां शामिल नहीं किया गया है ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

चार्ट 2 : चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व अनुपात)

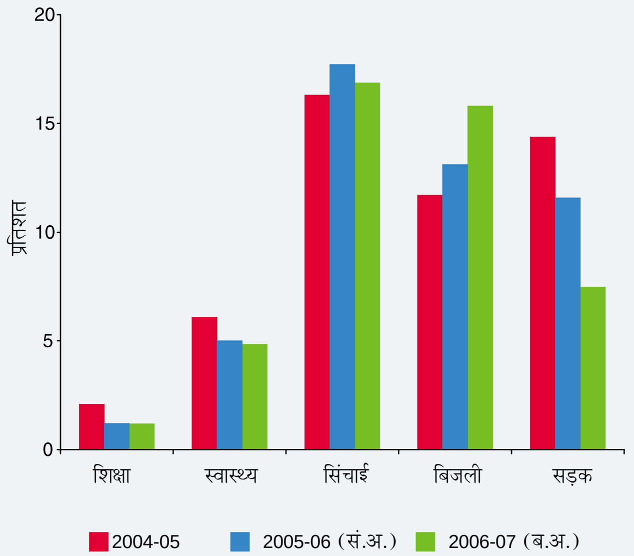

चार्ट 3 : ब्याज भुगतान और पेन्शन

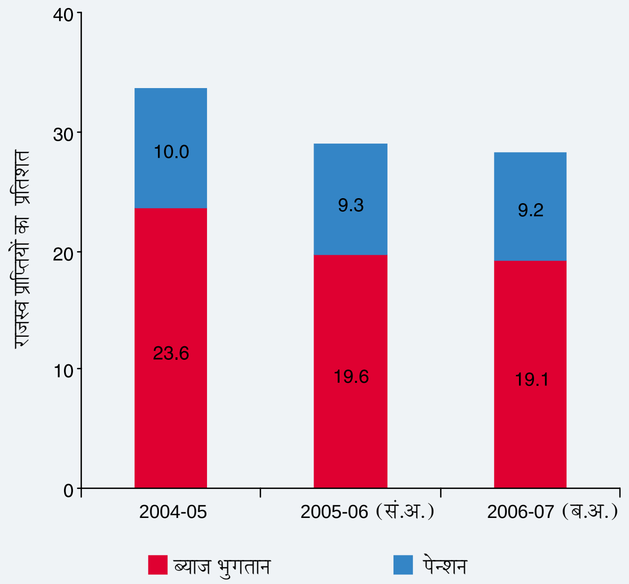

में शिक्षा के लिए वसूली लागत पिछले वर्ष के स्तर पर बजट की गई है जबकि यह स्वास्थ्य सिंचाई और सड़कों के लिए कम होने के लिए बजट की गई है। तथापि, 2006-07 में बिजली के लिए वसूली लागत इस प्रकार बजट की गई थी ताकि सुधार हो। अतएव, इन सेवाओं पर उचित उपयोगकर्ता प्रभार लगाकर वसूली लागत बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेशों से मिलने वाले लाभ की दर (लाभांश और लाभों के अर्थ में) उनके खराब निष्पादन के कारण बहुत कम रही है।

IV.3.3 राजस्व व्यय

राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में पिछले वर्ष हुई 15.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2006-07 के दौरान 11.3 प्रतिशत तक की वृद्धि के लिए बजट बनाया गया है। तथापि, सघउ के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय के 13.3 प्रतिशत के स्तर पर बने रहने की परिकल्पना की गई है। राजस्व व्यय में यह वृद्धि मुख्यत: शिक्षा, खेल और संस्कृति, शहरी विकास, परिवहन और दूरसंचार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के कारण होगी। इसके अलावा, ब्याज भुगतानों प्रशासनिक सेवाओं और पेन्शन के संबंध में किए गए प्रावधान भी 2006-07 में पर्याप्त वृद्धि के लिए बजट किए गए हैं। तथापि, ब्याज भुगतान और पेन्शन में पहलेवाले कुछ वर्षों की तुलना में 2006-07 में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा अपेक्षाकृत कम खपेगा (चार्ट 3) (परिशिष्ट सारणी 4 भी देखे)।

IV.3.4 पूंजी प्राप्तियां

विगत वर्ष में पूंजी प्राप्तियों के लिए बजट में किए गए 22.3 प्रतिशत कम प्रावधान के सामने 2006-07 में 4.5 प्रतिशत कम प्रावधान किया गया है। इस कमी का प्रमुख भाग एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों में (23.1 प्रतिशत) पर्याप्त गिरावट तथा ऋण और अग्रिमों की अपेक्षाकृत कम वसूली के कारण होगा (परिशिष्ट सारणी 5) (विवरण 32 भी देखें)। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकारों द्वारा एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के संबंध में बजट की गई राशि केंद्रीय बजट 2006-07 में किए गए बजट प्रावधान की तुलना में काफी कम है।

केंद्र से सकल ऋण पिछले वर्ष में 58.3 प्रतिशत की तेज गिरावट की तुलना में 2006-07 में 24.0 प्रतिशत तक बढ़ने के लिए बजट किया गया है और यह मूलत: राज्य आयोजना योजनाओं के लिए ऋणों के संबंध में किए गए प्रावधानीकरण के कारण है (विवरण 24)। तथापि, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र से दिए जाने वाले ऋण चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिए जाएंगे। राज्य सरकारों को अपनी आयोजना योजनाओं के लिए बाजार उधारों की ओर रुख करना पड़ेगा। राज्यों की पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक (वसूली घटाकर) कुल पूंजी प्राप्तियों से अनुपात के रूप में चार्ट 4 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 4 : पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक

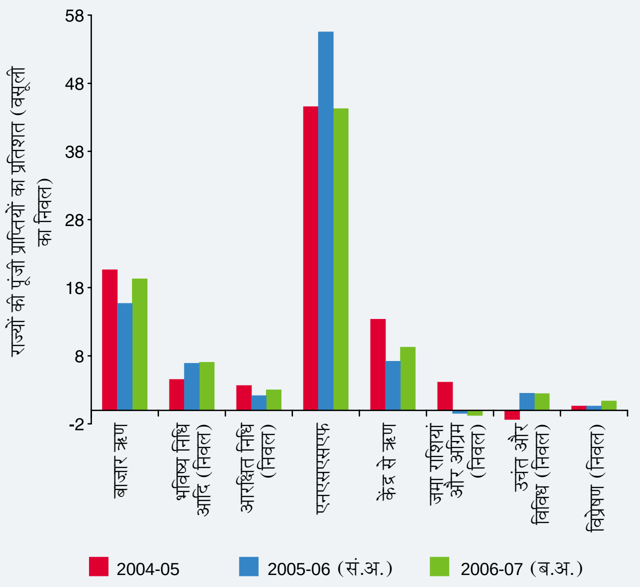

IV.3.5 पूंजी व्यय

राज्य सरकारों के पूंजी व्यय विगत वर्ष में हुई 13.6 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2006-07 में 5.2 प्रतिशत तक की वृद्धि के लिए बजट किए गए हैं। पूंजी व्यय में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि पूंजी परिव्यय में वृद्धि के कारण होगी जो मूलतः आर्थिक सेवाओं में विकासात्मक परिव्यय दर्शाती है। तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष की भांति सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय 2.4 प्रतिशत के स्तर पर रखा जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम 2006-07 में लगभग 19.7 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया गया है (परिशिष्ट सारणी 6)। यह गिरावट आर्थिक सेवाओं, मूलतः महाराष्ट्र में बिजली परियोजनाओं और सहकारिता के लिए विकासात्मक ऋण में तेज गिरावट के कारण है।

IV.3.6 केंद्र से संसाधनों का डिवोल्यूशन और अंतरण

केंद्र से संसाधनों (अर्थात् साझायोग्य कर राजस्व, सहायता अनुदान और ऋण एवं अग्रिम) का सकल डिवोल्यूशन और अंतरण 2006-07 में 15.2 प्रतिशत तक बढ़कर 223,133 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है जबकि इसके पहले वाले वर्ष में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में केंद्र से सकल डिवोल्यूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 5.5 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में मामूली सुधरकर 5.6 प्रतिशत हो जाएगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्र से होने वाले सकल डिवोल्यूशन और अंतरण विगत वर्ष के 31.9 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में राज्य सरकारों के सकल व्यय के 33.4 प्रतिशत भाग को वित्त पोषित करेगा। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को साझायोग्य केंद्रीय करों में पहले से बड़ा हिस्सा मिल रहा है तथा केंद्र से पहले से ज्यादा सहायता अनुदान मिल रहे हैं (परिशिष्ट सारणी 19)।

IV.3.7 विकासात्मक और विकासेतर व्यय

विकासेतर व्यय में लगभग प्रतिपूरक वृद्धि के साथ कुल व्यय में विकासात्मक व्यय के हिस्से में एक चिरकालिक गिरावट रही है और यह 1990-91 के 69.6 प्रतिशत से गिरकर 2004-05 में 51.8 प्रतिशत पर आ गया है। 2006-07 में विकासात्मक व्यय का हिस्सा पिछले वर्ष के 59.6 प्रतिशत की तुलना में 58.8 प्रतिशत होगा। सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में विकासात्मक व्यय 2006-07 में 9.9 प्रतिशत पर रखा जाएगा जोकि पिछले वर्ष के 10.3 प्रतिशत की तुलना में कम है (सारणी 8)। विकासात्मक व्यय के भीतर, सामाजिक क्षेत्र (जिसमें समाज सेवाएं, खाद्यान्न भंडारण और वेयरहाउसिंग तथा ग्रामीण विकास शामिल हैं) पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद से 5.9 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत कम रखा जाएगा (चार्ट 5 और परिशिष्ट सारणियां 11-18) (समजिक क्षेत्र व्यय संबंधी विस्तृत विवरण के लिए खंड VII देखें)।

2006-07 के दौरान विकासेतर व्यय पिछले वर्ष के समान ही सकल घरेलू उत्पाद के 5.8 प्रतिशत पर रखे जाएंगे। 2006-07 के दौरान विकासेतर व्यय में प्रमुख वृद्धियों का कारण ब्याज भुगतान प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं होंगी (परिशिष्ट सारणी 14)। 2006-07 में योजनेतर घटकों का हिस्सा विकासात्मक व्यय का 51.7 प्रतिशत और विकासेतर व्यय का 97.2 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी-15)। राजस्व व्यय विकासात्मक व्यय का 73.0 प्रतिशत और विकासेतर व्यय का 97.6 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी-16)। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में योजनेतर विकासेतर व्यय पिछले वर्ष के 5.6 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 5.7 प्रतिशत पर थोड़ा अधिक रखा जाएगा। यह

सारणी 8 : राज्य सरकारों के व्यय का स्वरुप

(करोड़ रुपए)

मदे	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-04 (औसत)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	घट बढ़ (प्रतिशत)	
							कॉ. 6/5	कॉ. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल व्यय			566,303	607,753	668,129	7.3	9.9	
(1+2 =3+4+5)	(16.0)	(15.2)	(17.3)	(18.1)	(17.2)	(16.9)		
1. राजस्व व्यय				408,497	471,421	524,658	15.4	11.3
जिसमें	*(12.8)*	*(12.6)*	*(13.8)*	*(13.1)*	*(13.3)*	*(13.3)*		
ब्याज अदायगी				87,989	88,994	99,425	1.1	11.7
	(1.7)	(2.0)	(2.8)	(2.8)	(2.5)	(2.5)		
2. पूंजी व्यय				157,805	136,332	143,471	-13.6	5.2
जिसमें	*(3.2)*	*(2.7)*	*(3.6)*	*(5.1)*	*(3.9)*	*(3.6)*		
पूंजी परिव्यय				61,559	85,350	96,506	38.6	13.1
	(1.6)	(1.4)	(1.6)	(2.0)	(2.4)	(2.4)		
3. विकासात्मक व्यय				293,538	362,300	392,926	23.4	8.5
	(10.8)	(9.6)	(9.7)	(9.4)	(10.3)	(9.9)		
4. विकासेतर व्यय				188,298	203,189	230,225	7.9	13.3
	(4.3)	(4.9)	(6.0)	(6.0)	(5.8)	(5.8)		
5. अन्य*				84,467	42,265	44,978	-50.0	6.4
	(0.9)	(0.7)	(1.6)	(2.7)	(1.2)	(1.1)		

औ. : औसत सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान।

* : इसमें केंद्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण की चुकौती, सहायता अनुदान एवं योगदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन) शामिल है ।

टिप्पणियां : 1. सघउ का 4/5 वर्ष का औसत अनुपात, विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
3. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखें निवल आधार पर शामिल हैं। परिशिष्ट III की टिप्पणियां भी देखें ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

उल्लेख किया जा सकता है कि हाल के वर्षों में प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन शामिल हैं, स्थिरीकरण के कुछ चिन्ह दर्शाते रहे हैं। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय पिछले वर्ष में 35.6 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 36.3 प्रतिशत तक मामूली रूप से बढ़ेंगे। तथापि, स्व-राजस्व

चार्ट 5 : विकासात्मक और विकासेतर व्यय

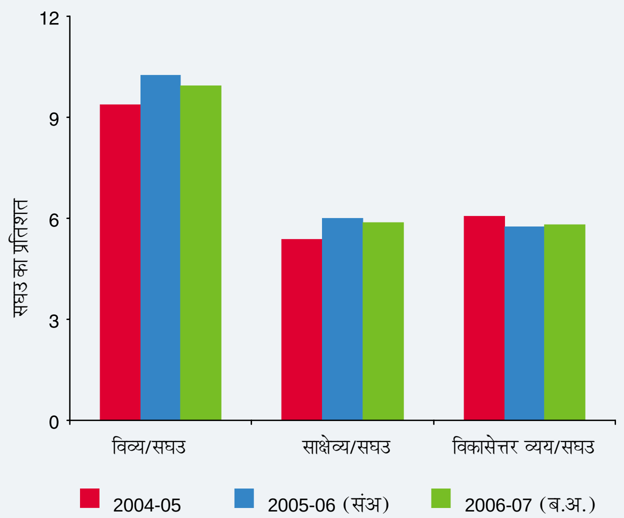

विव्य : विकासात्मक व्यय साक्षेव्य : सामाजिक क्षेत्र व्यय
विकासेत्तर व्यय : विकासेतर व्यय

के अनुपात के रूप में प्रतिबद्ध व्यय वर्ष में 61.9 प्रतिशत से घटकर 61.4 प्रतिशत पर आ गया (विवरण 37 और 38)। वर्षों के दौरान राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप सारणी में दिया गया है।

IV.3.7.1 मज़दूरी और वेतन तथा परिचालनों और रखरखाव पर व्यय

मज़दूरी और वेतन तथा साथ ही परिचालनों और रखरखाव से संबंधित आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों से आंकड़े प्राप्त करने के बाद उक्त आंकड़ों को मिलाने का प्रयास किया गया है।

सरकारों की पूंजी आस्तियों के अनुरक्षण हेतु परिचालनों और रखरखाव पर होने वाले व्यय का स्तर महत्त्वपूर्ण है। बारहवें वित्त आयोग ने इस स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया है तथा इस प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान की सिफारिश भी की है। कुल राजस्व में परिचालनों और अनुरक्षण व्यय के हिस्से में वर्षों के दौरान कमोबेश क्रमिक गिरावट दिखाई दी है (सारणी 9 और विवरण 46)। आयोजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं से होने वाले प्रतिलाभ के लिए इसके निहितार्थ हैं। दूसरी ओर, राजस्व व्यय में मज़दूरी और वेतन का हिस्सा 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बढ़ा

और फिर 2000-01 के 34.6 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर से 2005-06 के (सं.अ.) में 28.6 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 9 और विवरण 45)। कुल राजस्व व्यय में मज़दूरी और वेतन का एक बड़ा हिस्सा (एक चौथाई से अधिक) होना राजस्व व्यय के आधार में निहित प्राथमिक कारकों में से एक है। हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व व्यय दोनों के अनुपात के रूप में मज़दूरी और वेतन पर होने वाले व्यय में स्थायित्व आ गया है। हाल के वर्षों में राज्य सरकारों ने व्यय जिसमें नियोजन और साथ ही पेंशन से संबंधित व्यय शामिल हैं, पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए हैं।

इस संदर्भ में यहां यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेन्शन ढांचे की समीक्षा करने के लिए अक्तूबर 2006 में छठा वेतन आयोग गठित किया है और यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जैसा कि पिछले वेतन आयोगों का अनुभव रहा है, राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को सुधारने के लिए कमोबेश केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा दिए गए अवार्डों का अनुसरण करती हैं। बहुत से राज्य सरकारों ने अपने वेतन आयोग गठित किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ विचारार्थ विषय बताते हैं कि राजकोषीय विवेक का पालन जरूरी है और राज्यों द्वारा यदि ये सिफारिशें अपनाई गईं तो राज्य वित्त पर इसका संभावित असर क्या होगा। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि (जैसा कि बारहवें वित्त आयोग ने टिप्पणी की है) उनके द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाने के परिणामस्वरूप 1990 के दशक के अंतिम भाग में राज्य वित्तों में क्षरण महसूस किया गया। अतएव, राज्यों को वेतन स्तरों और इन्हें अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारी संख्या, जनसंख्या के आकार तथा उत्पादक नियोजनों के लिए अपेक्षित अनुपूरक व्यय के संतुलित करने से संबंधित निर्णय लेते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के उच्च वृद्धि के पथ पर गमन करने के परिणामस्वरूप राज्यों की अपनी राजस्व प्राप्तियां पहले से ज्यादा हुई हैं और राजकोषीय क्षमता अपेक्षाकृत बढ़ी है। राजस्व संग्रहण में आए उछाल को भी उत्पादक व्यय और निवेश की दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है।

सारणी 9 : राज्य सरकारों का प्रशासनिक व्यय-मजदूरी और वेतन तथा परिचालन एवं रखरखाव पर व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मजदूरी और वेतन			परिचालन एवं रखरखाव		
	राशि	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत	राशि	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	18,515	37.3	3.3	6,922	16.5	1.2
1991-92	23,042	35.2	3.5	7,302	12.9	1.1
1992-93	26,234	35.5	3.5	9,281	14.6	1.2
1993-94	29,431	35.6	3.4	9,037	12.7	1.1
1994-95	33,317	34.3	3.3	10,585	12.5	1.0
1995-96	37,673	34.4	3.2	11,368	11.9	1.0
1996-97	45,746	33.3	3.3	12,642	11.1	0.9
1997-98	59,044	35.9	3.9	14,966	10.2	1.0
1998-99	72,196	37.0	4.1	17,814	9.7	1.0
1999-00	87,297	37.9	4.5	17,639	8.2	0.9
2000-01	90,181	35.3	4.3	18,885	7.8	0.9
2001-02	89,340	33.1	3.9	19,889	7.7	0.9
2002-03	91,159	32.0	3.7	21,715	8.0	0.9
2003-04	95,387	29.4	3.5	23,908	7.7	0.9
2004-05	97,552	30.2	3.1	27,339	8.9	0.9
2005-06 (सं.अ)	114,711	30.5	3.2	34,698	9.9	1.0
2006-07 (ब.अ)	127,896	30.3	3.2	38,482	9.7	1.0

टिप्पणियां : 1. विवरण 45 और 46 में राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत है । प्रत्येक वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या भिन्न है।

2. राजस्व व्यय का हिस्सा उस वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या पर आधारित है और न कि सभी राज्यों पर है ।

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

IV.3.8 राज्य सरकारों के योजना परिव्यय

योजना आयोग से प्राप्त सूचनानुसार 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों का सकल अनुमोदित परिव्यय 1,83,871 करोड़ रखा गया है अर्थात पिछले वर्ष में दर्ज की गई 29.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 27.4 प्रतिशत की वृद्धि। राज्य सरकारों के योजना परिव्ययों के राज्यवार ब्यौरे विवरण - 30 में दिए गए हैं।

IV.4 आकलन

IV.4.1 समेकित स्थिति

उपर्युक्त विश्लेषण के परिदृश्य की तुलना में समेकित और राज्यवार दोनों ही स्तरों पर राज्य वित्तों का आकलन निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्ति जैसी कि सारणी-10 और चार्ट 6 में दर्शाई गई है, बताती है कि 1990 के दशक के उत्तरार्ध में क्रमिक क्षरण दर्शाने के उपरांत इसमें उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है (परिशिष्ट सारणी 1)।

राजकोषीय समेकन की अपनी प्रक्रिया जारी रखते हुए राज्य सरकारों ने 2006-07 में सकल राजकोषीय घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को और घटाकर 2.8 प्रतिशत (0.4 प्रतिशत अंक की गिरावट) तक करने के लिए अपने बजट बनाए हैं। इस तरह का पर्याप्त सुधार राजस्व घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में परिकल्पित सुधार पर आधारित है जो कि 0.1 प्रतिशत (0.4 प्रतिशत अंक की गिरावट) पर बजट किया गया है। प्राथमिक घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात पिछले वर्ष के 0.7 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत सुधरने के लिए बजट किया गया है। तथापि, पूंजी परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2005-06 संशोधित अनुमान के स्तर 2.4 पर बनाए रखने के लिए बजट किया गया है।

चार्ट 6 : प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

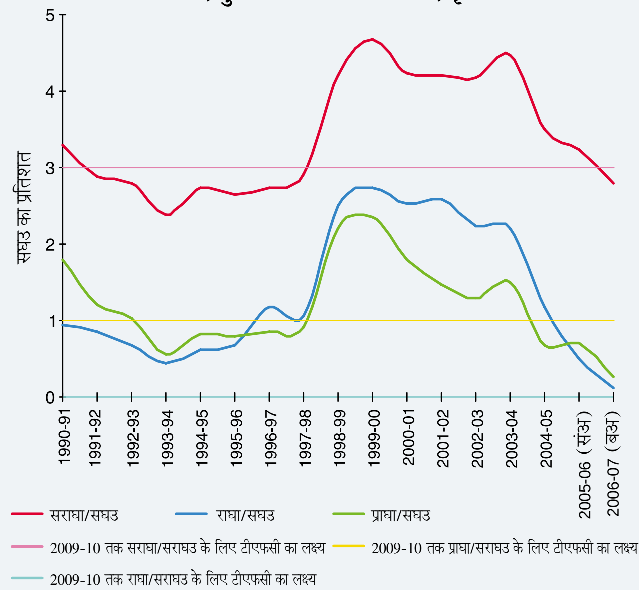

सारणी 10 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा		राजस्व घाटा		प्राथमिक घाटा		प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	
1	2		3		4		5	
1999-00	91,480	*4.7*	53,797	*2.7*	46,309	*2.4*	8,625	*0.4*
2000-01	89,532	*4.2*	53,569	*2.5*	37,830	*1.8*	1,866	*0.1*
2001-02	95,993	*4.2*	59,188	*2.6*	33,488	*1.5*	-3,318	*-0.1*
2002-03	102,123	*4.2*	55,111	*2.2*	31,981	*1.3*	-15,031	*-0.6*
2003-04	123,070	*4.5*	61,145	*2.2*	41,306	*1.5*	-20,618	*-0.7*
(पावर बांडों का निवल)	94,086	*3.4*						
2004-05	109,257	*3.5*	36,423	*1.2*	21,268	*0.7*	-51,567	*-1.7*
2005-06 (सं.अ.)	113,888	*3.2*	17,178	*0.5*	24,894	*0.7*	-71,816	*-2.0*
2006-07 (ब.अ.)	109,610	*2.8*	4,511	*0.1*	10,185	*0.3*	-94,914	*-2.4*

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान '—' चिह्न पीआरबी के अधिशेष दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. तिरछे आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है।

2. राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड की देयताओं के लिए एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत 2003-04 के दौरान सीपीएसयू को 28,984 करोड़ रुपए के पावर बांड जारी किए हैं ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.4.2 घाटों का राज्यवार सुधार

समेकित राजकोषीय स्थिति में सुधार के बावजूद, राज्यों के बीच व्यापक घटबढ़ हैं। बहुत कम (4 राज्य) राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राजकोषीय घाटे में सुधार का बजट बनाया है जबकि बहुत से राज्यों (14 राज्य) ने ऊंचे सकल राजकोषीय घाटे का बजट बनाया है। मात्र कुछ राज्य ही समग्र सुधार के अधिकांश भाग का हिसाब करेंगे। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया का राज्यवार विश्लेषण दर्शाता है कि राजस्व लेखे में गैर-विशेष वर्ग के राज्य 87 प्रतिशत से अधिक का सुधार दर्शाएंगे।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने 2006-07 में क्रमशः 4,255 करोड़ रुपये और 1,725 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्रस्तावित किया है। विशेष वर्ग के राज्यों में से जम्मू और कश्मीर ने 1,119 करोड़ रुपये के सुधार के साथ 2,935 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्रस्तावित किया है। इस प्रकार, राज्यों का राजस्व सुधार काफी हद तक उपर्युक्त 3 राज्यों के निष्पादन पर निर्भर होगा (सारणी 11)।

जहां तक सकल राजकोषीय घाटे का प्रश्न है, 2006-07 में महाराष्ट्र ने 8,053 करोड़ रुपए के तेज सुधार की परिकल्पना की है और इस प्रकार सभी अन्य राज्यों द्वारा प्रस्तावित कुल सकल राजकोषीय घाटा सुधार से अधिक उसका हिस्सा है। गैर-विशेष संवर्ग वाले राज्यों जैसे कि तमिलनाडु (1,787 करोड़ रुपए), केरल (1,557 करोड़ रुपए) और आंध्र प्रदेश (1,407 करोड़ रुपए) ने 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 में ऊंचे सकल राजकोषीय घाटे का बजट बनाया है। विशेष संवर्ग वाले राज्यों में से जम्मू और कश्मीर (409 करोड़ रुपए), मिज़ोरम (224 करोड़ रुपए), अरुणाचल प्रदेश (217 करोड़ रुपए) और मणिपुर (211 करोड़ रुपए) ने पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत कम सकल राजकोषीय घाटा प्रस्तावित किया है जबकि उत्तरांचल द्वारा सकल राजकोषीय घाटे में 402 करोड़ रुपए तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। राज्यों का समग्र सकल राजकोषीय घाटा सुधार काफी कुछ हद तक महाराष्ट्र के राजकोषीय निष्पादन पर निर्भर होगा।

सारणी 11: राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का राज्यवार सुधार 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 (ब.अ.)

(करोड़ रुपए)

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2005-06 (सं.अ.)की तुलना में सुधार	कुल का प्रतिशत	2005-06 (सं.अ.)की तुलना में सुधार	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. गैर विशेष श्रेणी				
1. आंध्र प्रदेश	-122	1.1	1407	-37.1
2. बिहार	-764	6.9	-457	12.1
3 छत्तीसगढ़	-418	3.8	124	-3.3
4. गोवा	-36	0.3	74	-2.0
5. गुजरात	-355	3.2	217	-5.7
6. हरियाणा	-323	2.9	-65	1.7
7. झारखंड	-840	7.6	-54	1.4
8. कर्नाटक	-348	3.1	446	-11.8
9. केरल	816	-7.4	1557	-41.1
10. मध्य प्रदेश	-996	9.0	105	-2.8
11. महाराष्ट्र	-1725	15.6	-8053	212.6
12. उड़ीसा	-41	0.4	262	-6.9
13. पंजाब	-307	2.8	-69	1.8
14. राजस्थान	-822	7.4	-928	24.5
15. तमिलनाडु	769	-7.0	1787	-47.2
16. उत्तर प्रदेश	-4255	38.5	-456	12.0
17. पश्चिम बंगाल	-259	2.3	799	-21.1
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-1015	9.2	-486	12.8
कुल (क)	**-11040**	**100.0 (87.2)**	**-3788**	**100.0 (88.5)**
ख. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	32	-2.0	-217	44.3
2. असम	103	-6.4	267	-54.4
3. हिमाचल प्रदेश	161	-9.9	64	-13.0
4. जम्मू और कश्मीर	-1119	68.8	-409	83.3
5. मणिपुर	-316	19.4	-211	43.1
6. मेघालय	-210	12.9	-130	26.5
7. मिजोरम	31	-1.9	-224	45.7
8. नागालैंड	-65	4.0	-119	24.3
9. सिक्किम	-49	3.0	-9	1.8
10. त्रिपुरा	74	-4.5	97	-19.8
11. उत्तरांचल	-268	16.5	402	-81.9
कुल (ख)	**-1626**	**100.0 (12.8)**	**-491**	**100.0 (11.5)**
कुल योग (क + ख)	**- 12,666**	**100.0**	**- 4,279**	**100.0**

सं.अ. : संशोधित अनुमान। ब.अ. : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल जोड़ का प्रतिशत सुधार दर्शाते हैं ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.4.3 राज्य बजटों का विखण्डन और वित्तपोषण

राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर सकल राजकोषीय घाटे का विखण्डन बताता है कि राजस्व घाटे का हिस्सा पिछले वर्ष के 15.1 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 काफी घटकर 4.1 प्रतिशत के आसपास आ जाएगा। तदनुसार, पूंजी परिव्यय का हिस्सा 75.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष में 88.0 प्रतिशत हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 7)। एन एस एस एफ को जारी प्रतिभूतियां प्रमुख वित्तीयन मद होंगी, हालांकि इसका हिस्सा 65.4 प्रतिशत से घटकर 53.1 प्रतिशत आ जाएगा। बाजार उधार पिछले वर्ष के 16.4 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 20.8 प्रतिशत पर सकल राजकोषीय घाटे

सारणी 12 : सकल राजकोषीय घाटे का विखंडन और वित्तपोषण स्वरूप - 2005-06 (लेखा) की तुलना में 2006-07 (ब.अ.)

(प्रतिशत)

मद	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4
विखंडन (1+2+3+4)	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1. राजस्व घाटा	33.3	15.1	4.1
2. पूंजी परिव्यय	56.3	75.0	88.0
3. निवल उधार	10.3	10.0	8.8
4. विनिवेश	-	-	-0.9
वित्तपोषण (1 to 11)			
1. बाजार उधार	31.6	16.4	20.8
2. केंद्र से ऋण	-10.8	1.9	4.4
3. अल्प बचत / राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	62.2	65.4	53.1
4. एल आइ सी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	0.0[8]	4.9	6.9
5. राज्य भविष्य निधि	7.2	7.9	8.0
6. आरक्षित निधि	6.5	2.9	4.0
7. जमाराशि और अग्रिम	7.4	-0.6	-1.1
8. उचंत और विविध	-2.4	3.3	3.3
9. विप्रेषण	1.1	0.8	1.8
10. नकदी शेष में वृद्धि (+) कमी (-)	9.6	4.9	3.6
11. अन्य	-12.4 $	-7.9	-4.7

ब.अ.: बजट अनुमान सं.अ.: संशोधित अनुमान

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

$: वर्ष 2004-05 के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी भूमिप्रतिकर तथा अन्य बांड (1,962 रुपए) जारी किए जाने के कारण ।

टिप्पणी : परिशिष्ट सारणी 8 की टिप्पणियां देखें ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

के एक बड़े भाग का वित्तपोषण करेंगे (सारणी 12) (परिशिष्ट सारणियां 8 और 9)।

IV.4.4 बजट आंकड़ों में घटबढ़ - केंद्रीय बजट की तुलना में राज्यों के बजट

विगत तीन वर्षों के लिए केंद्रीय बजट के साथ-साथ राज्य बजटों का अवलोकन दर्शाता है कि राज्यों ने सामान्यतः केंद्र से मिलने वाले सहायता अनुदानों का अधिक अनुमान लगाया है जबकि साझा योग्य केंद्रीय करों की राशि का अनुमान राज्य बजटों में कम किया गया है जहां तक सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्रश्न है, राज्य बजटों में एनएसएसएफ से होने वाले निधि प्रवाह का अनुमान कम लगाया गया है जबकि केंद्र से मिलने वाले ऋणों का अनुमान अधिक है। इन बजटीय शीर्षों के लिए राज्य बजटों के अनुसार बजट अनुमानों के आंकड़े और केंद्रीय बजट के आंकड़ों में घटबढ़ सारणी 13 में दर्शाई गई है।

विगत तीन वर्षों में औसतन राज्य बजटों में केंद्र से मिलने वाले साझा करों का कम अनुमान 4,442 करोड़ रुपए तक रहा है जबकि सहायता अनुदानों का अधिक अनुमान लगभग 7,824 करोड़ रुपए तक रहा है। ऐसे परिदृश्य में राजस्व प्राप्तियों (आर आर) का स्तर राज्य सरकारों के बजट अनुनमानों से भिन्न होगा, परिणामस्वरूप राजस्व घाटे के बजट अनुमान का कम प्राक्कलन और उसके परिणामस्वरूप कम जी एफ डी। सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के संबंध में केंद्र से मिलने वाले ऋण एवं अग्रिमों का अनुमान अधिक लगाया गया है (हालांकि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2005-

सारणी 13 : बज़ट आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बज़ट और केंद्रीय बज़ट

(करोड रुपए)

मदें	2004-05 (ब.अ.)		2005-06 (ब.अ.)		2006-07 (ब.अ.)	
	राज्य बज़ट	केंद्रीय बज़ट	राज्य बज़ट	केंद्रीय बज़ट	राज्य बज़ट	केंद्रीय बज़ट
1	2	3	4	5	6	7
1. केंद्र से मिलनेवाले साझा कर	77,887	82,227	90,002	94,959	109,419	113,448
कम अनुमान(-)/ अधिक अनुमान(+)	*-4,340*		*-4,957*		*-4,029*	
	(-5.3)		*(-5.2)*		*(-3.6)*	
2. सहायता अनुदान	61,176	56,401	78,882	77,275	100,188	83,098
कम अनुमान(-)/ अधिक अनुमान(+)	*4,775*		*1,607*		*17,090*	
	(8.5)		*(2.1)*		*(20.6)*	
3. केंद्र से ऋण (निवल)	-8,235	3,313	17,382	-9,687	4,827	-2,508
कम अनुमान(-)/ अधिक अनुमान(+)	*-11,548*		*27,069*		*7,334*	
	(-348.6)		*(-279.4)*		*(-292.6)*	
4. एनएसएसएफ (निवल)	63,737	68,650	55,315	86,990	58,162	83,490
कम अनुमान(-)/ अधिक अनुमान(+)	*-4,913*		*-31,675*		*-25,328*	
	(-7.2)		*(-36.4)*		*(-30.3)*	

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज।

[8] तमिलनाडु ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) द्वारा जारी बांड़ों को और तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड के पावर बांड़ो को अपने बज़ट में शामिल किया है जो एनसीडीसी से ऋण तथा अन्य संस्थाओं से ऋण के ऋणात्मक आंकड़े दर्शा रहे हैं । अतः समेकित चित्र में अत्याधिक परिवर्तन है ।

06 से आगे केंद्र से दिए जाने वाले योजना ऋण समाप्त कर दिए गए हैं) जबकि एन एस एस एफ को जारी प्रतिभूतियों की बिना पर लिए जाने वाले ऋणों का अनुमान काफी कम लगाया गया है विशेषकर विगत दो वर्षों के दौरान। राज्य बजटों में केंद्र से ऋण एवं अग्रिम (निवल) विगत तीन वर्ष में औसतन लगभग 7,618 करोड़ रुपए तक अधिक अनुमानित किए गए हैं जबकि एन एस एस एफ से (निवल) निधि प्रवाह 20,639 करोड़ रुपये कम अनुमानित है। इस प्रकार, केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य सरकारों के बजट शीर्षों के ऐसे अधिक अनुमान / कम अनुमान के कारण सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन स्वरूप खराब हो जाता है।

यह नोट किया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों के राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे की समेकित स्थिति (2006-07 के लिए उनके बजटों के अर्थ में) क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत पर अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2006-07 के साथ राज्य बजटों का आकलन करना दर्शाता है कि सहायता अनुदान का अनुमान 20.6 प्रतिशत तक अधिक है जबकि साझा योग्य केंद्रीय करों का अनुमान 3.6 प्रतिशत तक कम है। केंद्रीय बजट 2006-07 के आंकड़ों के लिए समंजन हेतु सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों के राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे को क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत पर ऊंचा रखा जाएगा।

केंद्र से साझा योग्य करों और केंद्रीय बजट 2006-07 से मिलने वाले सहायता अनुदानों को ध्यान में रखते हुए 2006-07 में राज्य सरकारों का राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा क्रमशः 17,573 करोड़ रुपए और 122,672 करोड़ रुपए पर रखा जाएगा। केंद्रीय बजट 2006-07 के आधार पर केंद्र से ऋण संबंधी आंकड़ों और एन एस एस एफ से प्रवाहों और बाजार उधारों के आबंटन (भा.रि.बैं. के रिकार्ड के अनुसार) पर विचार करते हुए राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे सारणी 14 में दिए गए हैं। एन एस एस एफ से प्रवाहों के हिस्से में महत्त्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है जिसके साथ बाजार उधारों और

सारणी 14 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (सराघा) - 2006-07 (समायोजित)

(करोड रुपए)

मदें	2006-07 (ब.अ.)		घटबढ़	
	राज्य बज़ट	समायोजित	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय घाटा (सराघा)	**109,610 (100.0)**	**122,672 (100.0)**	**13,062**	**11.9**
1. बाजार उधार *	22,762 (20.8)	17,286 (14.1)	-5,476	-24.1
2. केंद्र से ऋण @	4,827 (4.4)	-2,508 (-2.0)	-7,335	-152.0
3. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	58,162 (53.1)	83,490 (68.1)	25,328	43.5
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भास्टे बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	7,531 (6.9)	7,531 (6.1)	–	–
5. राज्य भविष्य निधि	8,739 (8.0)	8,739 (7.1)	–	–
6. आरक्षित निधि	4,365 (4.0)	4,365 (3.6)	–	–
7. जमाराशियां तथा अग्रिम	-1,154 (-1.1)	-1,154 (-0.9)	–	–
8. उचंत और विविध	3,602 (3.3)	3,602 (2.9)	–	–
9. विप्रेषण	1,975 (1.8)	1,975 (1.6)	–	–
10. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-)	3,986 (3.6)	-10,288 (-8.4)	-14,274	-358.1
11. अन्य	-5,186 (-4.7)	9,634 (7.9)	14,819	-285.8

* : वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत बंटन के अनुसार आंकड़े समायोजित। '–' : कुछ नहीं

@ : केंद्रीय बजट 2006-07 के अनुसार आंकड़े समायोजित।

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सराघा का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. परिशिष्ट सारणी 8 की टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज एवं रिजर्व बैंक का रिकार्ड।

केंद्र से ऋणों के हिस्से में गिरावट भी जुड़ी है। इसके अलावा, आशा की जाती है कि राज्य सरकारों द्वारा 5,186 करोड़ रुपए के आहरणों के पिछले परिदृश्य की तुलना में 2006-07 के राजकोषीय वर्ष में उनके पास 9,677 करोड़ रुपए का नकद अधिशेष होगा। इस प्रकार, एक सही परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय बजट की तुलना में राज्यों के बजटों के बजट अनुमान आंकड़ों में घटबढ़ राजकोषीय विश्लेषण के लिए बाध्य करती है।

IV.4.5 राज्य बिजली बोर्डों (एस ई बी) / राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं का कार्यनिष्पादन

अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड धनाभाव की समस्या से ग्रस्त हैं और मूल्यह्रास और ब्याज का प्रावधान करने के बाद वे कार्यरत अपनी निवल आस्तियों, पर यहां तक कि 3 प्रतिशत की न्यूनतम प्रतिलाभ दर भी नहीं कमा पा रहे हैं। राज्य बिजली बोर्ड अपने गिरते वित्तीय निष्पादन के कारण संचित भारी घाटे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों के देयों को नहीं चुका पा रहे हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी पी एस यू) के देयों को पूरी तरह से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा चुकाने की असमर्थता के चलते सी पी एस यू की वित्त और निवेश योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

2004-05 में राज्य बिजली बोर्डों / राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं को 22,126 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है (बिना सब्सिडी) (सारणी-15)। 250 पैसे/यूनिट आपूर्ति की औसत लागत के सामने बिजली की बिक्री से औसत वसूली 208 पैसे/यूनिट थी। इस प्रकार, बिजली की बिक्री से औसत वसूली और अपूर्ति की औसत लागत के बीच 42 पैसे/यूनिट का अंतर था (बिना सब्सिडी)।

सारणी 15 : राज्य बिजली बोर्डो (एस ई बी) / राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं का कार्यनिष्पादन

वर्ष	बिजली आपूर्ति की औसत लागत एवं सभी क्षेत्रों से बिजली की बिक्री की औसत वसूली में अंतर (कृषि सहित) (पैसे/ यूनिट)	राज्य बिजली बोर्ड/ राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं के कार्यनिष्पादन का व्यापारिक नुकसान (करोड रुपए)
1	2	3
1991-92	24.91	3,000
1995-96	28.10	8,770
1999-00	70.53	26,353
2000-01	65.38	25,259
2001-02	81.34	27,068
2002-03	48.05	21,192
2003-04	37.00	19,722
2004-05	42.00	22,126

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

राज्य बिजली बोर्डों के सुधारों और पुनर्निर्माण के परिणास्वरूप उत्पादन, प्रेषण, व्यापार और वितरण कंपनियों का अभ्युदय हुआ है। बिजली उद्योग में निजी क्षेत्र की सहभागिता से इसमें एक नया आयाम जुड़ा है। बिजली क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन अब प्रत्येक अलग-अलग बिजली इकाई के कार्यनिष्पादन पर निर्भर होगा। इस प्रकार, बिजली क्षेत्र की लाभप्रदता इकाईयों के सामूहिक निष्पादन पर निर्भर होगी।

V. राज्यवार राजकोषीय कार्य-निष्पादन का आकलन

खंड IV में दिए हुए विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारों के वित्त की समेकित स्थिति में महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधार आये हैं। लेकिन राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अच्छे खासे आश्वासनों के बावजूद राजकोषीय सुधार सभी राज्यों के मामले में एक समान नहीं है । इस पृष्ठभूमि में इस खंड में राज्यवार आकलन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह आकलन वर्ष 2005-06 (संशोधित अनुमान) तक ही सीमित रखा गया है। क्योंकि बजट अनुमानों में संशोधन होते रहते हैं।

इस खंड में, वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमानों से ज्ञात होने वाली तथा वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक के 3 वर्षों के दौरान लेखाओं से औसतन विद्यमान राजकोषीय स्थिति से तुलना करने पर स्पष्ट होनेवाली राज्यवार उभरती हुई राजकोषीय स्थिति प्रस्तुत की गई है। यह विश्लेषण उन 15 राजकोषीय संकेतकों पर आधारित है जिनका वर्गीकरण 4 व्यापक समूहों में किया गया है, उदाहरणार्थ (क) घाटा संकेतक, (ख) राजस्व सबंधी कार्य निष्पादन, (ग) खर्च का स्वरूप, और (घ) ऋण की स्थिति। अधिकांश राजकोषीय संकेतक वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में व्यक्त किए गए हैं तथा इनका आधार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राज्य सरकारों के बजट संबंधी दस्तावेज हैं। उन राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, पिछले तीन वर्षों की औसत वृद्धि दर के आधार पर व्यक्त किए गए हैं। वर्ष 2002-05 (औसत) और 2005-06 (संशोधित अनुमान) के लिए इन राजकोषीय संकेतकों के राज्यवार आंकड़े क्रमशः सारणी-16 और 17 में प्रस्तुत किए गए हैं। विशेष श्रेणी के और गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में प्रत्येक

राजकोषीय संकेतक का मध्यम स्तर भी सारणी - 16 और 17 में बताया गया है। । विशेष श्रेणी के और गैर विशेष श्रेणी के ऐसे राज्यों को इन संकेतकों के आधार पर उनके कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। जैसाकि Q-1 उन राज्यों का सूचक है जिनका कार्य-निष्पादन अपेक्षाकृत बेहतर है। प्रमुख वित्तीय मानदंडों के संबंध में राज्यवार विस्तृत सूचना विवरण 1 से 50 के अंतर्गत दी गई है।

समग्र स्थिति के आधार पर राजकोषीय संकेतकों का विश्लेषण, विशेष श्रेणी तथा गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए अलग-अलग किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के राज्यों के मामले में तुलनाएं लंबे समय

सारणी 16: राजकोषीय संकेतक - 2002-03 से 2004-05 (औसत)

(प्रतिशत)

राज्य	घाटा संकेतक						राजस्व निष्पादन			व्यय स्वरुप				ऋण स्थिति		आर-जी
	सराघा/ सराघउ	राघा/ सराघउ	प्राघा/ सराघउ	पीआरबी/ सराघउ	राघा/ सराघा	राघा/ राप्रा	ओटी आर/ सराघउ	ओएन टीआर/ सराघउ	सीटी/ सराघउ	डीईवी/ सराघउ	विकासे तर व्यय सराघउ	एसएसई/ सराघउ	सीओ/ सराघउ	डीइबीटी सराघउ	आइपी/ राप्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	4.3	1.6	0.6	-2.1	37.0	**11.1**	7.7	**2.0**	4.5	**12.3**	6.7	7.0	2.4	35.7	25.6	1.7
2. बिहार	6.4	**1.6**	0.3	-4.5	-3.2	7.5	5.8	0.7	18.5	17.6	13.9	12.1	2.9	79.5	**24.8**	1.9
3. छत्तीसगढ़	4.0	0.6	1.2	-2.2	9.6	3.6	7.4	3.0	6.5	14.4	6.0	8.8	2.8	30.6	16.2	-0.8
4. गोवा	4.7	1.5	1.5	-1.7	32.7	8.2	**7.4**	8.6	2.1	15.0	7.7	7.2	3.1	40.6	17.8	-0.6
5. गुजरात	4.9	2.3	1.4	-1.1	48.5	20.1	6.9	2.2	2.6	10.9	5.8	5.6	**2.0**	**39.4**	29.8	-3.8
6. हरियाणा	2.5	0.6	-0.3	-2.3	25.8	4.3	8.6	2.9	1.7	9.9	6.1	4.1	0.8	30.4	21.3	-0.6
7. झारखंड	6.2	1.0	3.9	-1.3	12.4	5.9	5.8	2.8	10.0	17.3	**7.4**	12.0	4.2	34.7	12.2	-2.3
8. कर्नाटक	3.4	0.5	0.7	-2.2	5.4	4.2	9.8	2.1	**3.9**	12.4	6.7	6.4	2.7	30.8	17.5	-1.0
9. केरल	5.6	4.3	1.9	0.6	77.1	32.4	9.0	0.9	3.4	10.7	8.2	7.2	0.8	43.6	27.5	-2.0
10. मध्य प्रदेश	6.2	1.4	3.0	-1.9	21.2	10.5	7.3	2.6	6.8	15.4	6.9	7.6	3.5	39.3	19.9	2.8
11. महाराष्ट्र	5.1	2.8	2.6	0.3	55.3	26.3	7.8	1.2	1.6	9.7	6.0	5.5	1.9	31.9	23.0	-2.8
12. उड़ीसा	**5.1**	2.4	-0.7	-3.5	44.7	12.7	6.6	2.2	10.1	13.5	10.6	8.5	1.9	64.9	30.9	-2.7
13. पंजाब	5.5	4.4	0.9	-0.1	80.8	29.3	7.7	5.8	1.7	9.0	11.7	4.2	0.7	55.2	30.1	1.6
14. राजस्थान	6.6	3.3	1.8	**-1.5**	48.6	21.4	7.3	1.9	6.2	13.8	8.4	9.1	2.9	54.9	31.0	1.5
15. तमिलनाडु	3.5	1.5	0.9	-1.2	**37.5**	10.8	9.7	1.2	3.3	10.6	6.5	**6.8**	1.9	29.3	18.8	0.6
16. उत्तर प्रदेश	6.0	4.7	1.6	0.3	73.1	31.9	6.5	1.1	7.4	13.3	9.0	6.6	2.9	55.5	29.6	**-0.2**
17. पश्चिम बंगाल	6.1	4.7	**1.4**	0.0	76.7	51.9	4.6	0.5	4.1	7.6	7.7	4.9	0.6	48.8	52.2	0.9
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2.7	-2.9	1.0	-4.6	-121.2	-31.2	7.5	1.1	0.6	8.7	3.3	4.6	1.3	18.5	17.9	0.7
विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	11.9	-3.6	6.0	-9.5	-35.9	-6.0	1.8	5.1	51.9	51.8	19.0	23.7	15.4	45.7	10.0	5.6
2. असम	3.6	1.1	0.2	-2.3	32.6	5.5	5.5	2.2	12.3	16.2	8.6	9.6	2.6	35.7	17.0	2.1
3. हिमाचल प्रदेश	12.2	7.9	4.4	0.1	64.9	35.3	5.7	1.9	14.9	21.2	13.6	12.2	4.3	78.6	34.8	1.4
4. जम्मू और कश्मीर	3.9	-7.1	-2.0	-13.0	3,765.9	-15.9	6.1	**2.3**	35.3	28.3	19.4	**14.0**	10.7	58.5	**13.8**	1.6
5. मणिपुर	8.7	0.5	2.1	-6.1	**10.0**	1.5	1.9	1.6	36.5	30.8	18.0	18.1	8.0	58.9	16.5	6.3
6. मेघालय	4.6	**-0.9**	**1.2**	-4.3	-26.2	**-3.1**	**3.6**	2.4	23.1	**22.8**	11.3	13.4	4.6	40.9	11.8	**1.1**
7. मिजोरम	11.5	-0.7	5.2	-7.0	-12.8	-0.8	1.3	2.4	47.1	44.5	18.7	24.6	11.5	89.6	12.4	-6.3
8. नागालैंड	3.3	-3.1	-0.8	-7.1	100.2	-8.0	1.2	1.0	**29.9**	20.1	**15.4**	10.7	6.4	40.5	13.0	-7.6
9. सिक्किम	**5.5**	-12.9	-1.3	-19.7	-805.7	-10.1	8.0	70.1	51.6	54.9	80.4	29.6	18.4	78.7	5.5	-2.9
10. त्रिपुरा	5.4	-1.7	0.8	**-6.3**	-60.0	-5.3	3.0	2.0	25.6	22.5	12.9	14.2	**7.1**	**51.8**	14.9	0.3
11. उत्तरांचल	8.2	4.0	4.5	0.3	49.8	19.5	7.0	2.4	11.3	19.4	9.0	11.5	3.6	47.1	17.9	-5.2

टिप्पणी: 1. मार्च 2000 को बिहार राज्य के कुल बकाया ऋण को बिहार और झारखंड के क्रमशः जनसंख्या अनुपात 74.21 प्रतिशत और 25.29 प्रतिशत में बांटा गया था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अनुपात 73.3739 प्रतिशत और 26.6203 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के लिए भी यही लागू किया गया था तथा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का अनुपात 94.9676 प्रतिशत एवं 5.0324 प्रतिशत रखा गया था।

2. ऋण (-) चिन्ह घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है ।
3. सुस्पष्ट (मोटे) आंकड़े प्रदत्त संकेतक के लिए माध्य राज्यों से संबंधित है ।
4. देयताओं का औसत ब्याज दर, वर्तमान वर्ष के ब्याज भुगतान को पिछले वर्ष की बकाया देयताओं से भाग देकर निकाला गया है ।
5. मध्यम राज्य राज्यों को चढ़ते/उतरते क्रम में लगाने के बाद - संकेतक के रूप में अत्यधिक मध्य है ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

सराघउ : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
राघा : राजस्व घाटा
सीटी : केंद्र से चालू अंतरण
एसएसई : सामाजिक क्षेत्र के व्यय
आईपी : ब्याज भुगतान
आर-जी : ऋण पर ब्याज दर
सराघा : सकल राजकोषीय घाटा
ओटीआर : स्वाधिकृत कर राजस्व
डीईवी : विकासात्मक व्यय
सीओ : पूंजी परिव्यय
राप्रा : राजस्व प्राप्तियां
औ. : औसत
प्राघा : प्राथमिक घाटा
ओएनटीआर : स्वाधिकृत करेतर राजस्व
नॉनडीईवी : विकासेतर व्यय
डीईबीटी : ऋण
पीआरबी : प्राथमिक राजस्व शेष

सारणी 17 : राजकोषीय संकेतक 2005-06 (सं.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	घाटा संकेतक						राजस्व निष्पादन			व्यय स्वरुप				ऋण स्थिति		आर-जी
	सराघा/ सराघउ	राघा/ सराघउ	प्राघा/ सराघउ	पीआरबी /सराघउ	राघा/ सराघा	राघा/ राप्रा	ओटी आर/ सराघउ	ओएन टीआर/ सराघउ	सीटी/ सराघउ	डीईवी/ सराघउ	विकासे तर व्यय सराघउ	एसएसई/ सराघउ	सीओ/ सराघउ	डीबीटी /सराघउ	आइपी/ राप्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	3.9	0.5	0.8	-2.6	**12.7**	3.1	8.8	**2.0**	5.3	13.9	6.2	**7.4**	3.2	36.9	19.5	-2.2
2. बिहार	8.3	0.3	2.3	-5.7	3.0	0.8	6.5	0.5	24.6	24.4	15.6	15.7	5.5	84.1	**19.0**	1.5
3. छत्तीसगढ़	3.0	-1.8	0.7	-4.1	-59.5	-8.3	9.3	3.0	8.9	17.8	5.7	11.6	4.0	30.8	10.8	**-1.9**
4. गोवा	6.1	**0.6**	2.7	-2.8	10.1	**3.2**	8.5	7.4	3.3	18.0	**7.4**	8.2	5.4	45.2	17.5	-0.4
5. गुजरात	3.2	0.2	0.1	-3.0	5.0	1.3	7.4	1.5	3.3	9.9	5.7	5.5	**2.8**	38.7	25.8	-5.0
6. हरियाणा	2.0	0.7	-0.3	-1.7	32.2	4.8	9.2	2.4	2.1	10.3	5.3	5.3	1.3	29.9	17.3	-2.3
7. झारखंड	10.2	3.2	8.7	1.7	31.6	18.9	6.0	2.9	8.2	20.2	7.1	12.8	4.6	38.5	8.8	-5.7
8. कर्नाटक	2.9	-0.7	0.6	-3.0	-24.9	-4.0	11.7	2.2	3.9	**13.2**	6.7	7.2	3.4	30.9	12.9	-4.2
9. केरल	5.3	4.0	1.8	0.5	76.5	27.1	10.5	0.8	**4.9**	11.7	8.5	8.6	0.7	45.0	23.6	-2.2
10. मध्य प्रदेश	4.4	0.0	1.0	-3.4	0.5	0.1	**8.2**	2.1	9.3	18.0	7.5	8.8	6.3	**44.4**	17.3	2.5
11. महाराष्ट्र	**3.9**	0.3	1.7	-1.9	8.6	2.7	9.0	1.3	2.2	10.9	5.4	6.2	2.7	34.2	17.9	-5.0
12. उड़ीसा	2.2	0.8	-3.4	-4.8	36.5	3.7	7.3	2.1	13.0	13.4	11.3	9.5	1.7	59.3	25.2	3.0
13. पंजाब	3.7	1.7	-0.3	-2.3	46.8	9.6	8.8	4.7	4.8	10.5	11.2	4.9	2.0	54.6	22.4	-3.0
14. राजस्थान	5.0	0.7	**0.7**	-3.6	14.3	4.2	8.0	2.1	6.9	14.6	7.4	9.3	3.8	55.1	25.2	-2.3
15. तमिलनाडु	2.6	0.2	0.4	-2.1	6.6	1.1	10.7	1.2	4.0	11.3	6.6	7.3	2.3	29.7	14.3	-1.2
16. उत्तर प्रदेश	5.1	1.2	1.2	**-2.7**	23.8	6.7	7.7	0.9	9.6	13.7	8.8	8.4	3.8	57.2	21.6	-1.6
17. पश्चिम बंगाल	4.9	3.8	0.5	-0.7	76.6	34.9	4.9	0.5	5.4	8.4	7.5	5.5	0.8	49.7	41.0	-0.8
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1.5	-2.6	-0.2	-4.4	-180.7	-26.9	8.0	1.3	0.5	8.3	3.0	5.1	1.6	19.3	17.3	-0.2
विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	12.4	-8.0	6.6	-13.8	**-64.8**	-11.5	3.5	8.1	57.8	63.3	18.5	26.3	20.3	65.4	8.4	3.4
2. असम	6.5	0.7	2.3	-3.5	10.9	2.3	7.1	2.9	20.2	25.6	11.3	14.4	5.4	37.4	13.7	4.2
3. हिमाचल प्रदेश	4.2	0.4	-3.3	-7.0	10.0	1.5	6.3	**2.8**	19.2	19.2	13.4	11.8	3.7	77.7	26.4	-1.2
4. जम्मू और कश्मीर	**6.9**	-7.9	1.3	-13.6	-114.4	-15.7	7.4	3.2	39.7	39.1	18.1	17.5	14.6	**60.8**	11.3	0.5
5. मणिपुर	7.4	-11.2	**1.7**	-16.9	-150.9	-18.9	2.2	2.7	54.3	45.0	21.6	23.2	17.2	77.0	9.6	2.3
6. मेघालय	3.8	-2.3	0.2	-5.8	-60.6	-6.5	**4.0**	2.7	28.3	**28.0**	11.1	**16.0**	5.5	43.9	10.1	0.4
7. मिजोरम	10.0	-5.5	3.7	-11.8	-55.1	-9.6	1.3	3.3	52.7	49.7	18.4	23.6	15.0	88.1	10.9	-6.4
8. नागालैंड	3.5	**-5.6**	0.0	-9.1	-163.1	-17.9	1.4	1.0	29.2	22.0	13.2	10.9	9.1	32.6	**11.0**	-6.8
9. सिक्किम	16.2	-11.6	10.5	-17.4	-71.3	**-9.9**	6.6	56.9	53.7	64.2	69.3	32.8	27.9	78.4	4.9	-3.9
10. त्रिपुरा	5.8	-5.9	1.5	**-10.2**	-101.3	-16.7	3.2	0.6	**31.5**	26.3	**14.4**	15.8	**11.7**	52.7	12.2	**-1.0**
11. उत्तरांचल	10.4	1.8	6.6	-2.0	17.4	6.6	7.9	2.6	17.0	26.7	10.7	14.8	8.1	55.1	13.9	-6.8

टिप्पणी : सारणी 16 की टिप्पणियां देखें ।

को शामिल करके (किसी राज्य सरकार के मामले में राजकोषीय संकेतक के स्तर में परिवर्तन) और लम्बे अंतराल को दृष्टिगत रखकर (किसी खास राजकोषीय संकेतक के मामले में शेष राज्यों के बीच किसी खास राज्य सरकार की तुलनात्मक स्थिति) की गई हैं। दोनों श्रेणी के राज्यों की तुलनात्मक राजकोषीय स्थिति, सारणी-16 और 17 पर आधारित व्यापक राजकोषीय संकेतकों के मामले में, चार्ट-7 से 12 के अंतर्गत दर्शायी गयी है। संबंधित चर्चा नीचे दी गई है ।

V.1 समग्र स्थिति - सभी राज्य

विशेष श्रेणी और गैर-विशेष श्रेणी - दोनों तरह के राज्यों में 2002-05 की तुलना में 2005-06 (संशोधित अनुमान) के दौरान बेहतर कार्य-निष्पादन देखने को मिला, जैसा कि अधिकांश राजकोषीय संकेतकों के मध्यम मान से प्रकट होता है (सारणी-18)।

लेकिन ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का मध्यम मान दोनों श्रेणी के राज्यों के मामले में बढ़ा जिससे ऋण-भार के विषम स्वरूप का संकेत मिलता है। विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के हिसाब से बहुत सुधार दिखाई दिया लेकिन सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में गिरावट आयी जो लम्बे समय में पूंजी परिव्यय में वृद्धि का सूचक है।

व्यापक विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का 'अपना कर राजस्व-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' अपेक्षाकृत अधिक है तथा इसके विपरीत विशेष श्रेणी के राज्यों की

सारणी 18 : राजकोषीय संकेतकों का मध्यम मान

(प्रतिशत)

संकेतक	गैर विशेष श्रेणी राज्य			विशेष श्रेणी राज्य		
	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)	सुधार/ गिरावट	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)	सुधार/ गिरावट
1	2	3	4 (= 3- 2)	5	6	7 (= 6 - 5)
1. सराघा/सराघउ	5.1	3.9	-1.2	5.5	6.9	1.4
2. राघा/ सराघउ	1.6	0.6	-1.0	-0.9	-5.6	-4.7
3. प्राघा/ सराघउ	1.4	0.7	-0.7	1.2	1.7	0.5
4. पीआरबी/ सराघउ	-1.5	-2.7	-1.2	-6.3	-10.2	-3.9
5. राघा/ सराघा	37.5	12.7	-24.8	10.0	-64.8	-74.8
6. राघा/ राप्रा	11.1	3.2	-7.9	-3.1	-9.9	-6.8
7. ओटीआर/ सराघउ	7.4	8.2	0.8	3.6	4.0	0.4
8. ओएनटीआर/ सराघउ	2.0	2.0	0.0	2.3	2.8	0.5
9. सीटी/ सराघउ	3.9	4.9	1.0	29.9	31.5	1.6
10. डीईवी/ सराघउ	12.3	13.2	0.9	22.8	28.0	5.2
11. विकासेतर व्यय/ सराघउ	7.4	7.4	0.0	15.4	14.4	-1.0
12. एसएसई/ सराघउ	6.8	7.4	0.6	14.0	16.0	2.0
13. सीओ/ सराघउ	2.0	2.8	0.8	7.1	11.7	4.6
14. डीइबीटी/ सराघउ	39.4	44.4	5.0	51.8	60.8	9.0
15. आइपी/ राप्रा	24.8	19.0	-5.8	13.8	11.0	-2.8
16. आर-जी	-0.2	-1.9	-1.7	1.1	-1.0	-2.1

टिप्पणी : सारणी 16 तथा 17 पर आधारित ।

निर्भरता केंद्र पर अपेक्षाकृत अधिक है, जैसा कि अपेक्षाकृत अधिक 'चालू अंतरण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' से स्पष्ट होता है। इसके अलावा गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों का 'विकास व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात', 'सामाजिक क्षेत्र-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' और 'पूंजी परिव्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' बहुत अधिक है। उच्चतर 'सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' को दृष्टिगत रखते हुए विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 'ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' अपेक्षाकृत अधिक है। लेकिन गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों का 'ब्याज भुगतान-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' बहुत कम है।

V.2 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

V.2.1 समग्र स्थिति-गैर विशेष श्रेणी के राज्य

राजकोषीय निष्पादन के मामले में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच बहुत अधिक अंतर है। हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का राजकोषीय निष्पादन अपेक्षाकृत अच्छा रहा है क्योंकि वहां राजस्व अधिशेष (या कम राजस्व घाटा) और अपेक्षाकृत कम सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अपेक्षाकृत कम रहा है। इन राज्यों में 'अपना कर राजस्व' अपेक्षाकृत अधिक रहा है और इसलिए ये अपेक्षाकृत कम केंद्रीय अंतरण की सुविधा का उपभोग करते हैं। लेकिन राजकोषीय दृष्टि से कमजोर बिहार और झारखंड अपेक्षाकृत अधिक विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजी परिव्यय (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में) करते हैं। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य प्रायः सभी राजकोषीय संकेतकों की दृष्टि से खराब निष्पादन वाले राज्य हैं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र के व्यय के हिसाब से केरल का स्थान अपेक्षाकृत बेहतर है।

V.2.2. घाटा संकेतक

2002-05 (औसत) की अवधि की तुलना में 2005-06 में राज्यों के बीच, घाटा संकेतकों के अनुसार, राजकोषीय निष्पादन में सुधार स्पष्टतः दिखाई दे रहा था (चार्ट-7ए, बी और सी)(विवरण-1-11भी देखें)।

राज्य सरकारों के मामले में 'राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' में सुधार स्पष्टतः देखा जा सकता है क्योंकि मध्यम राज्य का अनुपात 2002-05 के 1.6 प्रतिशत से घटकर 2005-06 (संशोधित अनुमान) में 0.6 प्रतिशत हो गया । 2005-06 में 3 राज्यों में (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक) राजस्व अधिशेष की स्थिति थी जबकि 2002-05 में केवल 1 राज्य में (राष्ट्रीय

चार्ट 7 : घाटा संकेतक - गैर विशेष श्रेणी राज्य

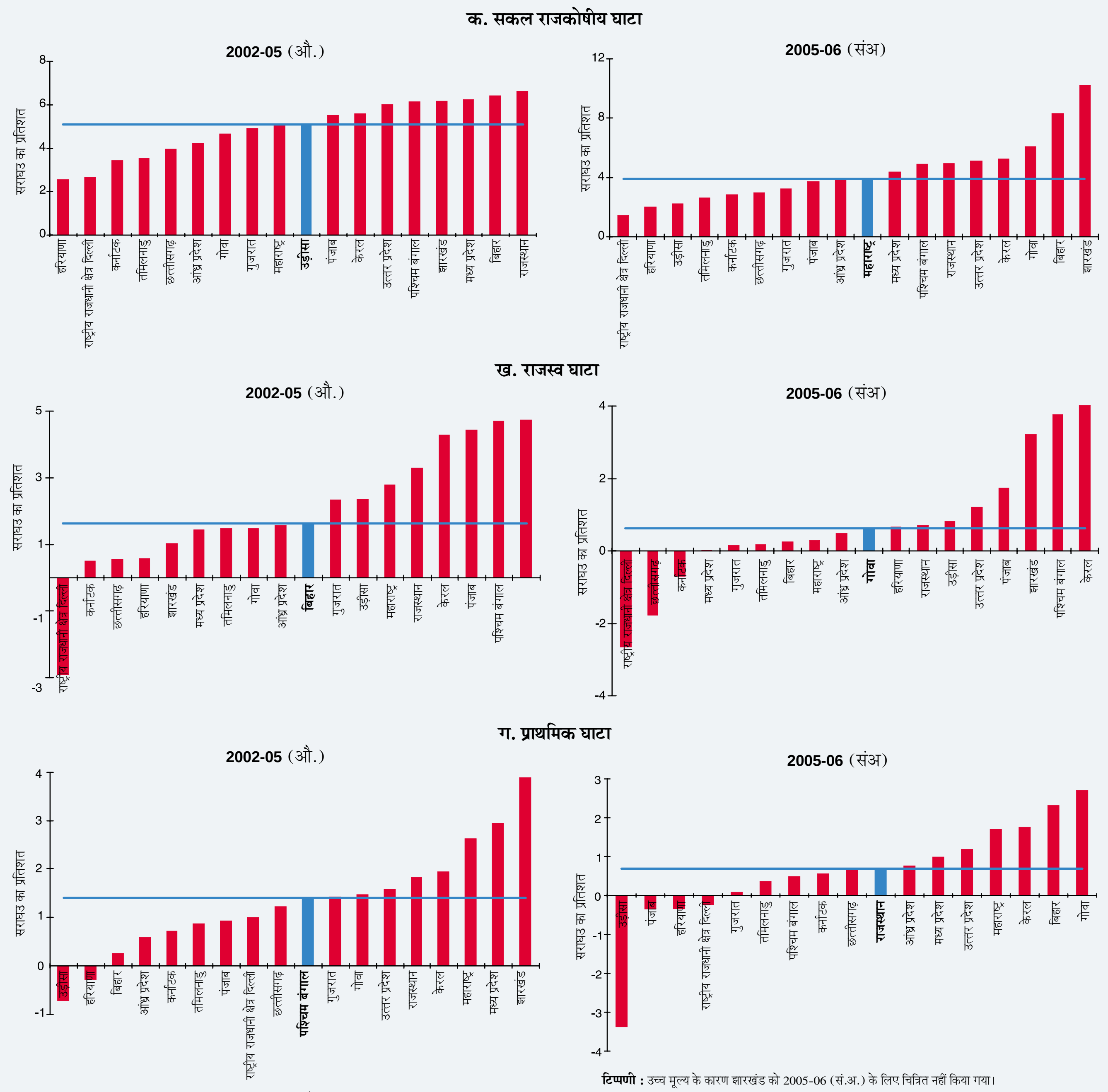

सुस्पष्ट अक्षरों में मध्यम राज्य का संकेतक मूल्य दर्शाया गया है।

टिप्पणी : उच्च मूल्य के कारण झारखंड को 2005-06 (सं.अ.) के लिए चित्रित नहीं किया गया।

राजधानी क्षेत्र दिल्ली) ऐसी स्थिति थी (सारणी-19 और चार्ट-7बी)। इन 3 राज्यों ने, 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2008-09 के अंत की निर्धारित अवधि के पहले ही, शून्य स्तर के राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। 10 राज्यों का 'राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' 2005-06 में 1.0 प्रतिशत से कम था जबकि 2002-05 में केवल 3 राज्यों के मामले में ऐसा था।

'राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' में कमी का संकेत देते हुए, 'सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' में सुधार आया क्योंकि मध्यम राज्य का अनुपात 2002-05 के 5.1 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में 3.9 प्रतिशत हो गया। उक्त अवधि में 'प्राथमिक घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' का मध्यम मान भी 1.4 प्रतिशत से सुधर कर 0.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट-7सी)।

सारणी 19 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - राजस्व घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
राजस्व अधिशेष	रा.रा.क्षे. दिल्ली	रा.रा.क्षे. दिल्ली , छत्तीसगढ़, कर्नाटक
0.5 से कम	–	मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात
0.5 से 1.0	छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक	**गोवा**, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश
1.0 से 1.5	मध्य प्रदेश, झारखंड	उत्तर प्रदेश
1.5 से 2.0	आंध्र प्रदेश, **बिहार,** तमिलनाडु, गोवा	पंजाब
2.0 से अधिक	गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश	झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल

औ. : औसत सं.अ. : संशोधित अनुमान।
टिप्पणियां : 1. सारणी 16 व 17 वर आधारित बड़े अक्षर मध्यम राज्य दर्शाते हैं।
2. सुस्पष्ट (मोटे) अक्षर मध्यम राज को दर्शाते हैं ।

2005-06 में 'सकल राज्य घरेलू उत्पाद' की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 18 राज्यों में से 5 राज्यों के मामले में (दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु) 3.0 प्रतिशत से कम था, जबकि 2002-05 में ऐसी स्थिति केवल 2 राज्यों (हरियाणा और दिल्ली) के मामले में थी (सारणी-20 और चार्ट -7ए)। यह उल्लेखनीय है कि इन 5 राज्यों ने 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल राजकोषीय घाटे का 3.0 प्रतिशत का लक्ष्य 2009-10 के अंत के निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया था।

सारणी 20 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - सकल राजकोषीय घाटा/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
2 से कम	–	रा.रा.क्षे. दिल्ली
2 से 3	हरियाणा, रा.रा.क्षे. दिल्ली	हरियाणा, उड़ीसा,, तमिलनाडु, कर्नाटक
3 से 4	कर्नाटक, तमिलनाडु	गुजरात, **महाराष्ट्र,** छत्तीसगढ, पंजाब, आंध्र प्रदेश
4 से 5	आंध्र प्रदेश, गोवा, छत्तीसग्ढ़, गुजरात	मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल
5 से अधिक	महाराष्ट्र, **उड़ीसा,** पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान	उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, गोवा, बिहार, झारखंड

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

वर्ष 2002-05 की तुलना में 2005-06 में सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात (जो चालू खर्चों के लिए पहले ही ले लिए गए उधारों की सीमा का सूचक है) सभी राज्य सरकारों के मामले में (बिहार, झारखंड और हरियाणा को छोड़कर) कम हो गया। राजस्व घाटा-सकल राजकोषीय घाटा का मध्यम मान 2002-05 के 37.5 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 (संशोधित अनुमान) 12.7 प्रतिशत हो गया। लेकिन 2 राज्यों (केरल और पश्चिम बंगाल) का राजस्व घाटा-सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 2005-06 के दौरान, पहले ही ले लिया गया उधार 3/4 भाग से अधिक होने के कारण, अधिक रहा।

वर्ष 2005-06 में राजस्व घाटा-राजस्व प्राप्ति अनुपात का मध्यम मान, 2002-2005 के 11.1 से काफी सुधर कर 3.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2005-06 में झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल का राजस्व घाटा-राजस्व आय अनुपात 18.9 से 34.9 प्रतिशत के रेंज में, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के 1.1 प्रतिशत से भी कम की तुलना में, ज्यादा रहा। (1.1 प्रतिशत से कम अनुपात से)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में प्रारंभिक राजस्व शेष का मध्यम स्तर 2002-05 के 1.5 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 में 2.7 प्रतिशत हो गया । 2 राज्यों (केरल और झारखंड) के मामले में वर्ष 2005-06 में प्रारंभिक राजस्व शेष (अर्थात् ब्याज भुगतान घटाने के बाद राजस्व घाटा) ब्याज भुगतान संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रहा, जबकि 2002-05 में 3 राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल) के मामले में ऐसा हुआ था। प्रारंभिक राजस्व घाटा चिंता की बात है क्योंकि ऐसी स्थिति का मतलब होता है कि राज्य सरकारों ने ब्याज भुगतान संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए ऊंची लागत पर निधियां उधार लीं।

V.2.3 राजस्व निष्पादन

सभी राज्य सरकारों के अपने कर राजस्व निष्पादन में (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) 2002-05 की तुलना में 2005-06 के दौरान सुधार हुआ क्योंकि उनका अपना कर राजस्व-सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7.4 प्रतिशत से सुधर कर 8.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट-8-ए) (विवरण-18 से 23 और 25 भी देखें)। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों का अपना कर राजस्व-सकल राज्य घरेलू

चार्ट 8 : राजस्व निष्पादन - गैर विशेष श्रेणी राज्य

क. स्व कर राजस्व

2002-05 (औ.)

सराघउ का प्रतिशत

कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, छत्तीसगढ़, **गोवा**, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल

2005-06 (सं.अ.)

सराघउ का प्रतिशत

कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गोवा, **मध्य प्रदेश**, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल

ख. स्व करेत्तर राजस्व

2002-05 (औ.)

सराघउ का प्रतिशत

गोवा, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, **आंध्र प्रदेश**, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल

2005-06 (सं.अ.)

सराघउ का प्रतिशत

गोवा, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, **उड़ीसा**, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार

ग. केंद्र से चालू अंतरण

2002-05 (औ.)

सराघउ का प्रतिशत

बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, **कर्नाटक**, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

2005-06 (सं.अ.)

सराघउ का प्रतिशत

बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, **केरल**, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सुस्पष्ट अक्षरों में मध्यम राज्य का संकेतक मूल्य दर्शाया गया है।

उत्पाद अनुपात मात्रा की दृष्टि से 2002-05 और 2005-06 में भी सबसे अधिक था (9.0 प्रतिशत से अधिक) जबकि पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार इस मामले में सबसे नीचे रहे (सारणी-21)।

अपने कर राजस्व की प्रवृत्तियों के विपरीत लगभग 50 प्रतिशत राज्य सरकारों का अपना गैर-कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2002-05 की तुलना में 2005-06 के दौरान घट गया क्योंकि उनका गैर-कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2.0 प्रतिशत पर ही स्थिर बना रहा (चार्ट-8बी)। गोवा, पंजाब और छत्तीसगढ़ का अपना गैर-कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे नीचे

सारणी 21 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - स्व कर राजस्व/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
5 से कम	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
5 से 7	बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा	झारखंड, बिहार
7 से 9	राजस्थान, मध्य प्रदेश, **गोवा**, छत्तीसगढ, रा.रा.क्षे. दिल्ली , पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल	उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, रा.रा.क्षे. दिल्ली , **मध्य प्रदेश,** आंध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र
9 से अधिक	तमिलनाडु, कर्नाटक	हरियाणा, छत्तीसगढ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

रहा। गैर-कर राजस्व के निम्न स्तर का आंशिक कारण शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सिंचाई, विद्युत और सड़क जैसे क्षेत्रों से कम लागत की वसूली (अर्थात् गैर योजना लागत व्यय की तुलना में गैर कर प्राप्तियों का अनुपात) था।

बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू अंतरण (अर्थात् ऐसे केंद्रीय कर और अनुदान सहायता की राशि जिनमें राज्यों की हिस्सेदारी होती है) अपेक्षाकृत कम थी क्योंकि इन राज्यों का अपना कर राजस्व-सकल राज्य-घरेलू उत्पाद अनुपात कम था जो राजकोषीय अंतरण में क्षैतिज इक्विटी के सिद्धांत का सूचक है (चार्ट-8सी)।

V.2.4 खर्च का स्वरूप

गुजरात,उड़ीसा और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों का विकास व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, 2002-05 की तुलना में 2005-06 में सुधर गया क्योंकि उक्त अवधि में विकास व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का मध्यम मान 12.3 से बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट-9ए)। यह उल्लेखनीय है कि झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत कमज़ोर राज्यों का विकास व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, दोनों अवधियों में, सबसे अधिक था (15 प्रतिशत से अधिक) जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली का स्थान सबसे नीचे (9 प्रतिशत से कम) था (सारणी-22)।

सारणी 22 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - विकासात्मक व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
8 से कम	पश्चिम बंगाल	–
8 से 12	रा.रा.क्षे. दिल्ली , पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात	रा.रा.क्षे. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल
12 से 16	**आंध्र प्रदेश,** कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश	**कर्नाटक,** उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान
16 से अधिक	बिहार, झारखंड	छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, बिहार

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में गैर विकास खर्च का मध्यम मान, राज्य सरकारों के मिले-जुले रुख के बावजूद, 7.4 पर स्थिर बना रहा (चार्ट-9बी)। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में गैर विकास व्यय का अनुपात उड़ीसा, बिहार और पंजाब के मामले में सबसे अधिक था (10 प्रतिशत से अधिक) जबकि दिल्ली के मामले में यह सबसे कम (3.5 प्रतिशत से कम) था (विवरण 12 से 16 भी देखें)।

गुजरात को छोड़कर शेष सभी राज्यों का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय (अर्थात् सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास, खाद्यान्न भंडारण और वेयरहाऊसिंग-राजस्व और पूंजी खातों-दोनों में), 2002-05 की तुलना में 2005-06 में बढ़ गया क्योंकि इसका मध्यम मान 6.8 से सुधर कर 7.4 प्रतिशत हो गया। सभी राज्यों में बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने (सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से) सामाजिक क्षेत्र के खर्च के लिए और अधिक प्रावधान (8.8 प्रतिशत से अधिक) करना जारी रखा। दूसरी ओर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब का दोनों अवधियों में सामाजिक क्षेत्र व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अपेक्षाकृत कम रहा(5.3 प्रतिशत से कम) (विस्तृत चर्चा के लिए खंड VII देखें)।

उड़ीसा को छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में पूंजी व्यय का अनुपात, 2002-05 की तुलना में 2005-06 के दौरान बढ़ गया क्योंकि उसका मध्यम

चार्ट 9 : व्यय का स्वरुप - गैर विशेष श्रेणी राज्य

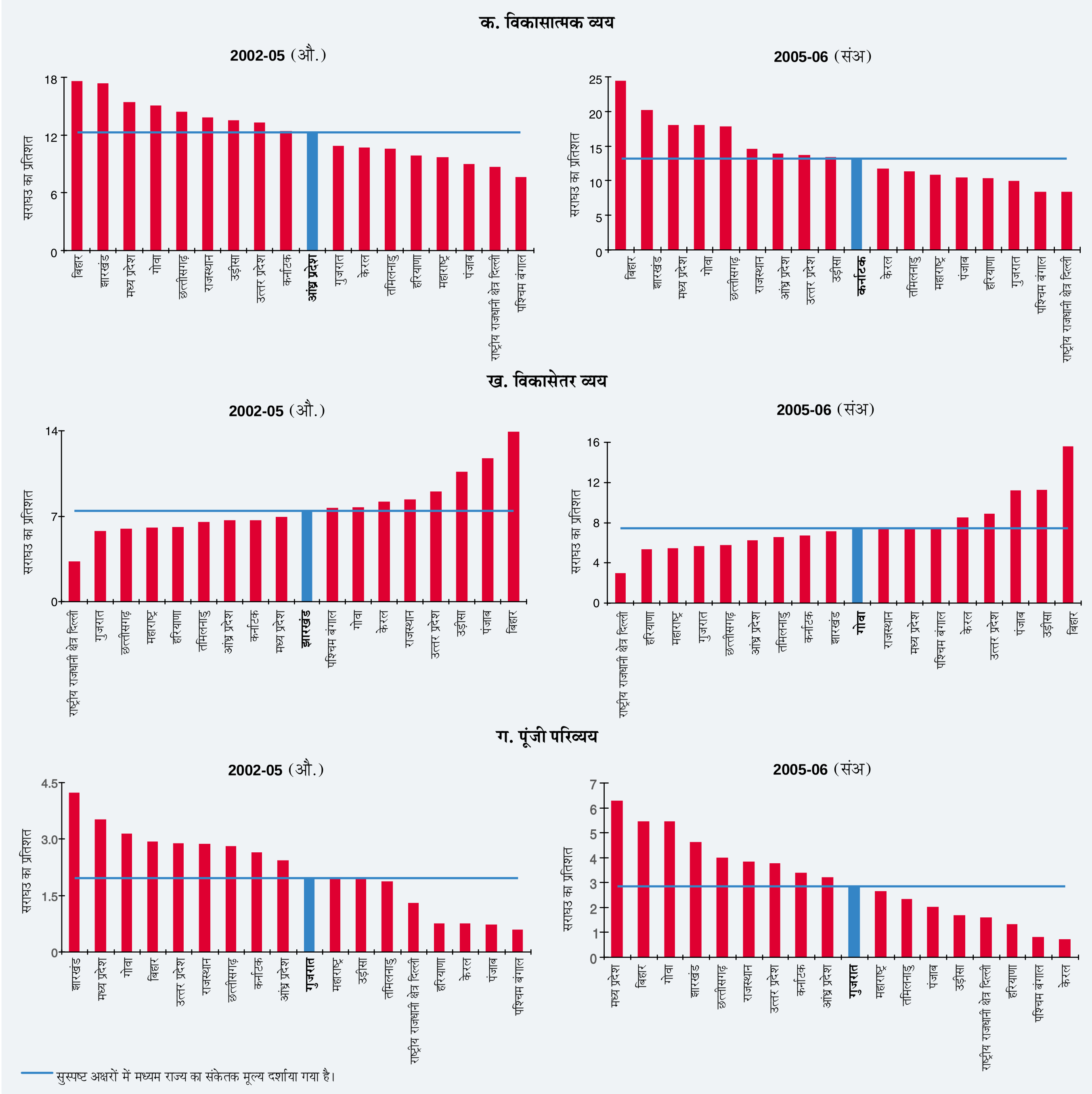

मान 2.0 प्रतिशत से सुधर कर 2.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट-9सी)। मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार और झारखंड के पूंजी परिव्यय का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक (2.9 प्रतिशत से ऊपर) रहा जबकि हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल के पूंजी परिव्यय का अनुपात अपेक्षाकृत कम (1.3 प्रतिशत) रहा (सारणी-23)।

वर्ष 2003-04 और 2005-06 के बीच सकल व्यय के प्रतिशत के रूप में शिक्षा (खेल, कला और संस्कृति सहित) (विवरण-42) और स्वास्थ्य (चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण) (विवरण-43) के अंतर्गत खर्च का अनुपात, राज्यों के बीच बहुत ज्यादा अंतर होने के बावजूद, सुधर गया। 2005-06 (संशोधित

सारणी 23 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - पूंजी परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
1 से कम	पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, हरियाणा	केरल, पश्चिम बंगाल
1 से 2	**गुजरात,** रा.रा.क्षे. दिल्ली, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र	हरियाणा, उड़ीसा, रा.रा.क्षे. दिल्ली, पंजाब
2 से 3	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	तमिलनाडु, महाराष्ट्र, **गुजरात**
3 से 4	गोवा, मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़
4 से अधिक	झारखंड	झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

अनुमान) में शिक्षा के अंतर्गत व्यय, आधे से अधिक राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और दिल्ली) के मामले में, कुल व्यय के 14.1 प्रतिशत (अर्थात् गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का औसत) से कम था । उसी प्रकार सकल व्यय के अनुपात के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय आधे से अधिक राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) के मामले में 4.4 प्रतिशत (अर्थात् गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का औसत) से कम था। सभी राज्यों में जनसंख्या के अपेक्षाकृत बड़े वर्ग को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन पर होने वाले व्यय का हिस्सा बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है (सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले व्यय के संबंध में विस्तृत चर्चा हेतु खंड-VII देखें)।

V.3 विशेष श्रेणी के राज्य[9]

V 3.1 समग्र स्थिति - विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रायः सभी राज्यों का निष्पादन, सभी राजकोषीय संकेतकों में व्यापक अंतर होने के बावजूद, एक जैसा ही रहा। अधिकांश राज्यों (11 में से 8) में वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी रही तथा अपेक्षाकृत अधिक पूंजी परिव्यय और विकासात्मक एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय के साथ-साथ, सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी अधिक रहा। अरुणाचल प्रदेश के राजकोषीय निष्पादन में, उच्च सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात तथा केंद्रीय अंतरणों पर अधिक निर्भरता के बावजूद, सुधार हुआ। लेकिन नवसृजित उत्तरांचल का राजकोषीय निष्पादन (सकल राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, गैर-विकास व्यय और ऋण के मामले में) सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के प्रतिशत के रूप में,बहुत खराब रहा।

V.3.2 घाटा संकेतक

यह ध्यान देने योग्य है कि विशेष श्रेणी के अंतर्गत 11 में से 8 राज्यों में वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी रही जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान 7 राज्यों के मामले में ऐसी स्थिति थी क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व अधिशेष का मध्यम मान 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गया (सारणी-24 और चार्ट-10 बी) । वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तरांचल का राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात सर्वाधिक 1.8 प्रतिशत था।

सारणी 24 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - राजस्व घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
राजस्व अधिशेष मिजोरम,	सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, **मेघालय,** मिजोरम	सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, **नागालैंड,** मेघालय
0.5 से कम	–	हिमाचल प्रदेश
0.5 से 1.0	मणिपुर	असम
1.0 से 1.5	असम	–
1.5 से 2.0	–	उत्तरांचल
2.0 से अधिक	उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश	–

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

[9] योजना संबंधी विनियोजनों के संदर्भ में विशेष और गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच अंतर किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम,हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल आते हैं।

चार्ट 10 : घाटा संकेतक - विशेष श्रेणी के राज्य

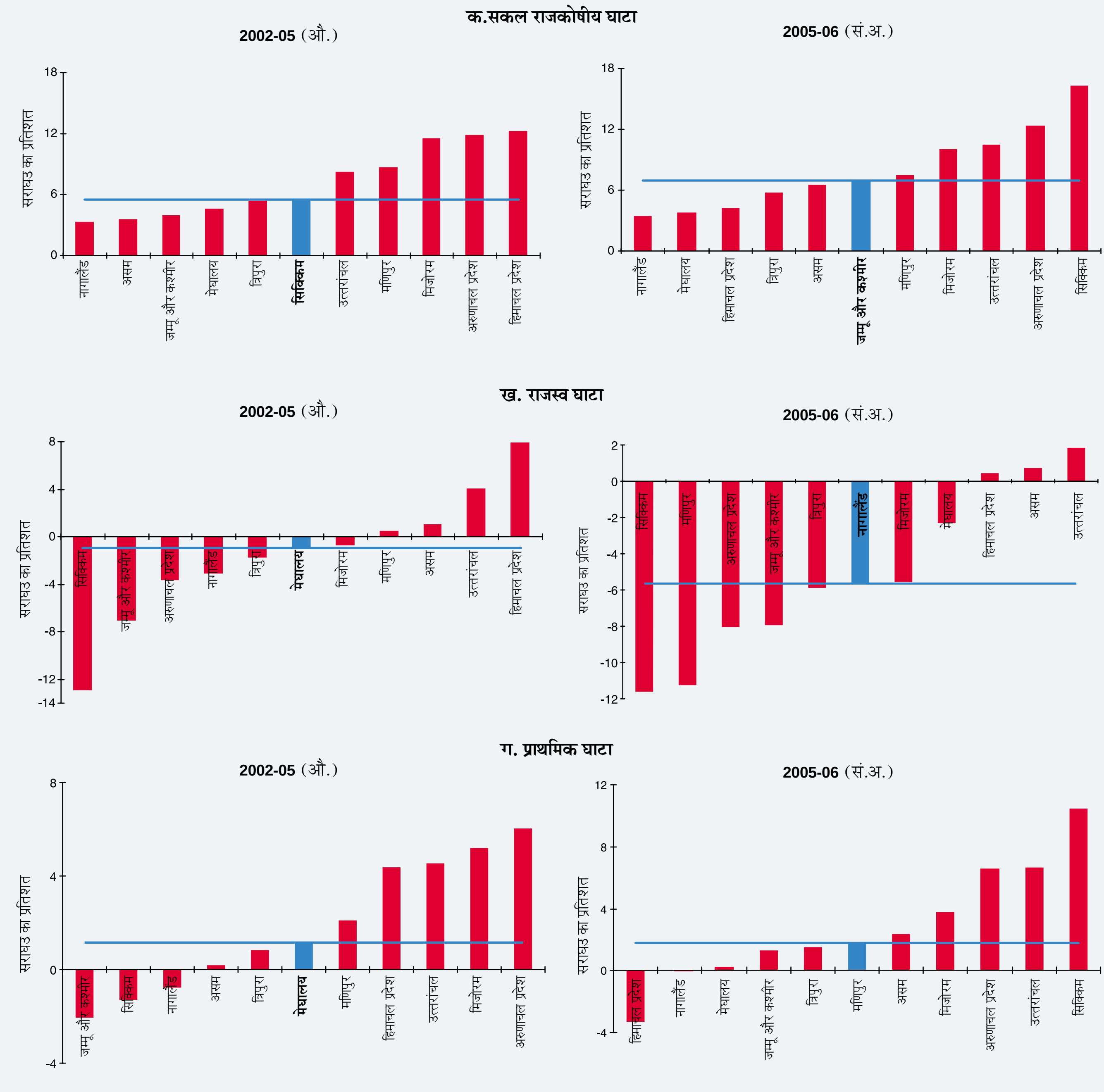

सुस्पष्ट अक्षरों में मध्यम राज्य का संकेतक मूल्य दर्शाया गया है।

7 राज्यों के मामले में सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सामान्य गिरावट आई क्योंकि 2005-06 के दौरान इसमें वृद्धि हुई जबकि 2002-05 के दौरान इसमें गिरावट आई थी तथा उपर्युक्त अवधि में मध्यम मान 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया था। प्राथमिक घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का मध्यम मान भी 1.2 प्रतिशत से गिरकर 1.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट-10सी)। सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की दृष्टि से नागालैंड का स्थान दोनों अवधियों में अपेक्षाकृत अच्छा रहा (4.0 प्रतिशत से कम) जबकि अरुणाचल प्रदेश का अनुपात ऊंचा (11.9 प्रतिशत से अधिक) बना रहा।

सारणी 25 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - सकल राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
3 से 6	नागालैंड, असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, **सिक्किम**	नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश
6 से 9	उत्तरांचल, मणिपुर	असम, **जम्मू और कश्मीर,** मणिपुर
9 से अधिक	मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश	उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 26 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - स्व कर राजस्व/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
2 से कम	नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर	मिजोरम, नागालैंड
2 से 4	त्रिपुरा, **मेघालय**	मणिपुर, त्रिपुरा, **मेघालय** अरुणाचल प्रदेश
4 से 6	असम, हिमाचल प्रदेश	–
6 से अधिक	जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तरांचल	हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

लेकिन प्राथमिक राजस्व शेष (अर्थात् ब्याज भुगतान घटाने के बाद राजस्व घाटा), जो 2 राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल प्रदेश) के मामले में वर्ष 2002-05 के दौरान ब्याज भुगतान संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए कम था, 2005-06 के दौरान सुधर गया।

V.3.3 राजस्व निष्पादन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में अपना कर राजस्व में, जो विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में खास तौर से कम है, कुछ सुधार हुआ क्योंकि मध्यम मान 2002-05 के 3.6 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 में 4.0 प्रतिशत हो गया। यह अनुपात मिज़ोरम और नागालैंड के मामले में कम बना रहा (2 प्रतिशत से कम) और उत्तरांचल तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में दोनों अवधियों में उच्च बना रहा (सारणी-26 और चार्ट-11ए)।

विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अपना गैर-कर राजस्व में 2002-05 की तुलना में 2005-06 के दौरान कुछ वृद्धि हुई तथा अनुपात का मध्यम मान उक्त अवधि में 2.3 प्रतिशत से सुधर कर 2.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट-11बी)। दोनों अवधियों में सिक्किम के मामले में यह अनुपात बहुत अधिक था जो मूलतः राज्य लाटरियों के प्रभाव का सूचक हैं।

केंद्र से चालू अंतरण तथा प्राप्त होनेवाली अन्य राशियां (हिस्सेदारी योग्य केंद्रीय कर और सहायता अनुदान) विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के लिए एक बड़ा स्रोत बनी रहीं तथा केंद्रीय कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2002-05 के 29.9 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 के दौरान 31.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट-11सी)। दोनों अवधियों में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मामले में केंद्रीय अंतरण का अनुपात सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 50.0 प्रतिशत से अधिक बना रहा जबकि असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के मामले में यह अनुपात 21.0 प्रतिशत से भी कम पर बना रहा।

V.3.4 खर्च का स्वरूप

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विकास व्यय का अनुपात विशेष श्रेणी के राज्यों में, गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में बहुत अधिक रहा तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में मध्यम मान पर्याप्त सुधर कर 2002-05 के 22.8 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में 28.0 प्रतिशत रहा (चार्ट-12ए)। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का यह अनुपात 2002-05 की तुलना में 2005-06 में 50.0 प्रतिशत से अधिक रहा जबकि असम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के मामले में दोनों अवधियों में 26.0 प्रतिशत से कम रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में गैर-विकास खर्च का मध्यम स्तर 2002-05 के 15.4 प्रतिशत से घटकर 2005-06 के दौरान 14.4 प्रतिशत हो गया जो खर्च के विनियोजन में सुधार का सूचक है (चार्ट-12बी)। उत्तरांचल, मेघालय और असम का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद-गैर-विकास खर्च का अनुपात कम बना रहा (12.0 प्रतिशत से कम) जबकि दोनों अवधियों में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का उक्त अनुपात अधिक बना रहा। यद्यपि सकल

चार्ट 11 : राजस्व निष्पादन - विशेष श्रेणी के राज्य

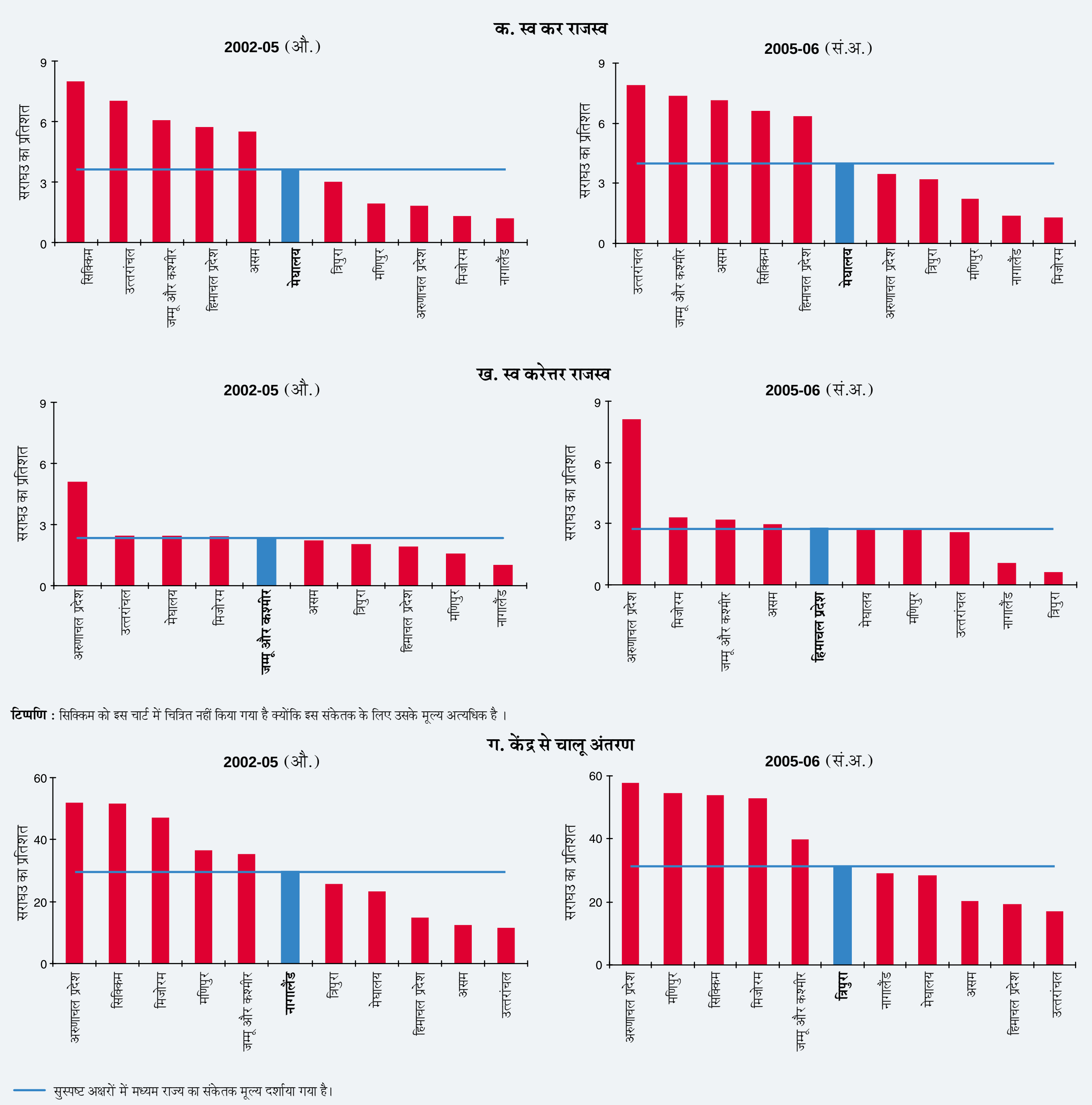

राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में गैर-विकास खर्च 2002-05 और 2005-06 के बीच घट गया था, लेकिन सिक्किम के मामले में यह अभी भी बहुत अधिक बना हुआ है (69.3 प्रतिशत)।

विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र के खर्च में व्यापक सुधार हुआ तथा सामाजिक क्षेत्र खर्च-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का मध्यम मान 2002-05 के 14.0 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 में 16.0 प्रतिशत हो गया। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के सामाजिक क्षेत्र के खर्च का अनुपात (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में) अधिक बना रहा लेकिन असम और नागालैंड का सामाजिक क्षेत्र के खर्च का अनुपात दोनों अवधियों में कम बना रहा

चार्ट 12 : व्यय का स्वरुप - विशेष श्रेणी के राज्य

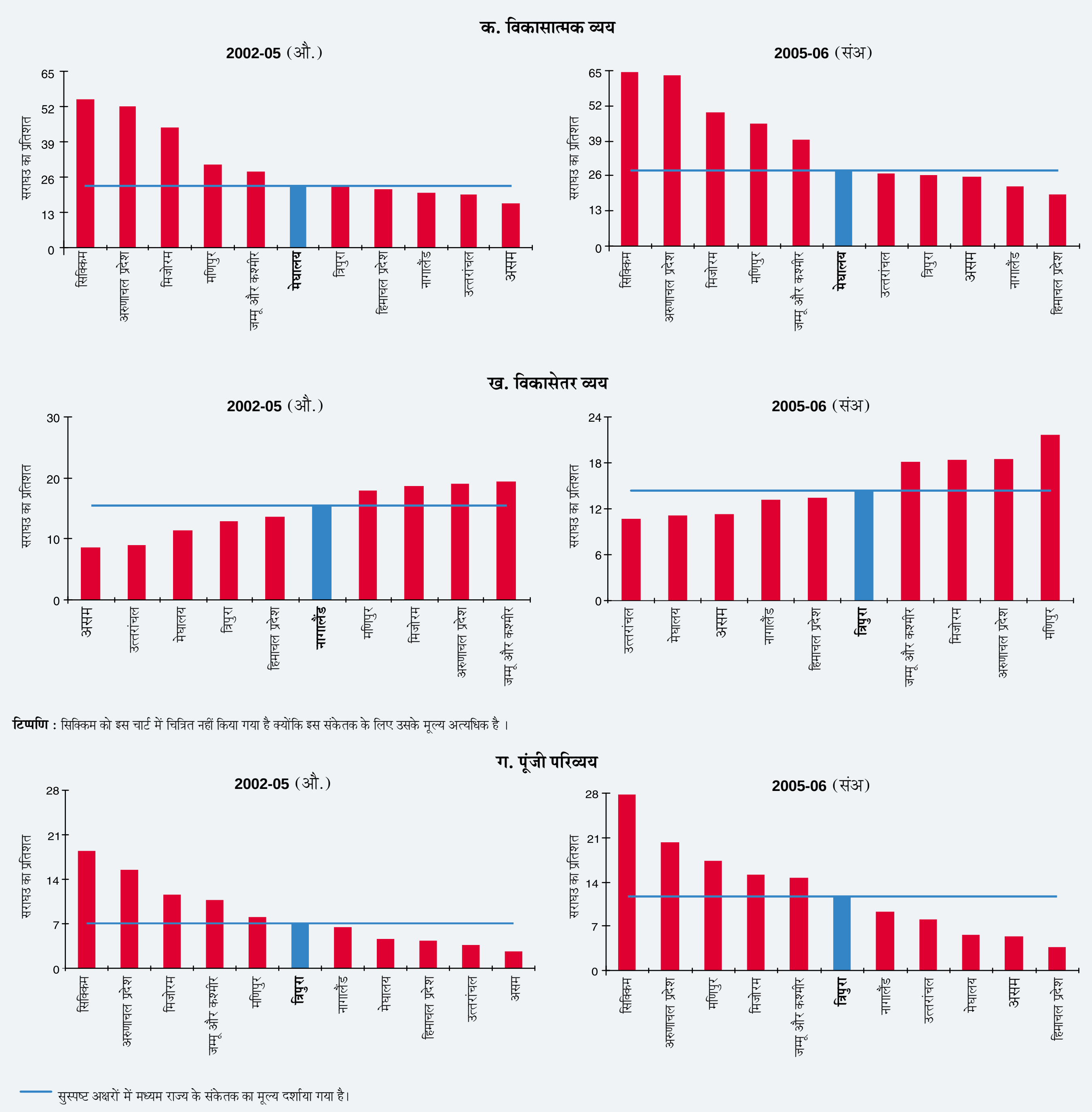

टिप्पणि : सिक्किम को इस चार्ट में चित्रित नहीं किया गया है क्योंकि इस संकेतक के लिए उसके मूल्य अत्यधिक है ।

(सामाजिक क्षेत्र के खर्च के संबंध में विस्तृत चर्चा हेतु खंड VII देखें)।

विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में अधिक पूंजी परिव्यय (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में) में और अधिक सुधार दिखाई दिया क्योंकि इसका मध्यम स्तर 2002-05 के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 11.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट-12सी)। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में पूंजी परिव्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात ऊंचा बना रहा, लेकिन

सारणी 27 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - विकासात्मक व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
20 से कम	असम, उत्तरांचल	हिमाचल प्रदेश
20 से 40	हिमाचल प्रदेश,त्रिपुरा, **मेघालय,** जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड	असम, त्रिपुरा, उत्तरांचल, **मेघालय,** जम्मू और कश्मीर, नागालैंड
40 से 60	मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर, मिजोरम
60 से अधिक	–	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 28 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - पूंजी परिव्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
5 से कम	असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तरांचल	हिमाचल प्रदेश
5 से 8	**मणिपुर,** नागालैंड, त्रिपुरा	मेघालय, असम
8 से 11	जम्मू और कश्मीर	उत्तरांचल, नागालैंड
11 से 14	मिजोरम	**त्रिपुरा**
14 से अधिक	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें ।

असम और हिमाचल प्रदेश के मामले में दोनों अवधियों में यह कम रहा (सारणी-28)।

2004-05 की तुलना में 2005-06 में विशेष वर्ग के लगभग आधे से अधिक राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम) में शिक्षा पर व्यय में (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) सुधार दिखा (विवरण 42)। 2005-06 में असम का यह अनुपात 20.8 प्रतिशत की ऊँचाई पर था जबकि जम्मू और कश्मीर का 9.3 प्रतिशत की नीचाई पर था। 2004-05 से 2005-06 में विशेष वर्ग के लगभग आधे से अधिक राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और उत्तरांचल) के कुल अनुपात की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय के अनुपात में सुधार हुआ (विवरण 43)। तथापि, 2005-06 में मेघालय का 5 प्रतिशत का अनुपात अधिकतम था और सिक्किम का 2.6 प्रतिशत का न्यूनतम था।

संक्षेप में हाल के वर्ष के राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार से राज्यों की राजकोषीय स्थिति में व्यापक अंतरों का खुलासा नहीं होता है। इस खण्ड में 15 बड़े राजकोषीय संकेतकों के विश्लेषण के माध्यम से राज्यवार स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। राजकोषीय तौर पर कमजोर राज्य राजकोषीय तौर पर सुदृढ़ राज्यों की बराबरी करने का प्रयास कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि बारहवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों द्वारा 2009-10 तक प्राप्त किए जाने वाले 15 राजकोषीय मानदण्डों (अनिवार्य रूप से वही 15 संकेतक नहीं जो सारणी 16 और 17 में दिए गए हैं) के लक्ष्य पर आधारित एक समान राजकोषीय पुनर्संरचित योजना की सिफारिश की है।

VI. बकाया देयताएं, बाजार उधार और राज्य सरकारों की आकस्मिक देयताएं

VI.1 राज्य सरकारों की बकाया देयताएं (ऋण)[10]

VI.1.1 ऋण की परिभाषा

राज्य सरकार की देयताओं की परिभाषा और संघटना पर मतैक्यता के उद्देश्य से, राज्य सरकार की देयताओं की कार्यप्रणाली और समेकन पर राज्य वित्त सचिवों के 14 वें सम्मेलन (अगस्त 2004) में लिए गए निर्णय के अनुसार एक कार्यदल गठित किया गया था। इसके सदस्यों में चुनिंदा राज्यों के वित्त सचिव, भारत सरकार के प्रतिनिधि, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और एक शिक्षाविद थे। दल ने दिसंबर 2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बाद में रिज़र्व बैंक की साइट पर डाला गया (बॉक्स 2)।

[10] 1990-91 से राज्य सरकारों की बकाया देयताओं पर एक संशोधित और संबद्ध आंकडा श्रृंखला समेकित करने के लिए एक विस्तृत कार्य किया गया जो 2005-06 के राज्य वित्तों के अध्ययन में प्रकाशित किया गया था। इस आंकड़ा श्रृंखला को और सुकर बनाकर इस अध्ययन में शामिल किया गया है।

बॉक्स 2 : राज्य सरकार की देयताओं के समेकन पर कार्य दल की रिपोर्ट - सारांश

सरकार की देयताओं के संबद्ध समय श्रृंखला आंकड़ों की उपलब्धता का विशेष महत्व है क्योंकि इससे उनकी ऋण चुकाने की क्षमता पर प्रकाश पड़ता है। वर्तमान में, भारत में राज्य सरकारों की देयताओं के संकलन के लिए निश्चित स्तर, संघटना और कार्य प्रणाली संबंधी कोई मतैक्यता नहीं दिखाई देती है। राज्य सरकार की देयताओं के आंकड़ा संग्रह से संबंद्ध अनेक समस्याओं को स्वीकार करते हुए, अगस्त 2004 को रिज़र्व बैंक में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में राज्य सरकारों की देयताओं के संकलन पर एक कार्यदल के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया। तदनुसार, निम्न शर्तों के अधीन एक कार्यदल गठित किया गया।

- विभिन्न एजेंसियों अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य सरकारों के महा लेखा परीक्षक, वित्त आयोग, राज्य सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के दायित्वों के समेकन की विद्यमान कार्य प्रणाली की परीक्षा करना;
- विश्लेषणात्मक रूप से सुदृढ़ सिद्धांतों (कवरेज सहित), अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों और देश-विशिष्ट सैद्धान्तिक मान्यताओं के आधार पर राज्य सरकार के दायित्वों की संघटना की परिभाषा और रूपरेखा देना;
- चरणबद्ध रूप में राज्य सरकार की देयताओं के लिए आदर्श समेकन कार्य प्रणाली विकसित करना, और
- नियमित और समय पर राज्य सरकार की देयताओें के आंकड़ा संग्रह और प्रसार के लिए तंत्र और संस्थागत व्यवस्था संबंधी सिफरिशें करना।

दिसंबर 2005 में कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अक्तूबर 2006 को इसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया।

समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- यह प्रस्तावित किया गया कि ऋण और देयताओं को पर्याय माना जाए। तदनुसार, ऐसे सभी उधारों को जो भुगतान योग्य हैं और जिन पर ब्याज उपचित हो गया है, ऋण के रूप में मानने की सिफारिश की गई है।
- दल ने सिफारिश की कि नकद शेषों के आहरण को सकल राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण मद के रूप में लिया जाना जारी रखा जाए। नकदी शेष वैसे भी, देयताओं का हिस्सा नहीं होते। 'प्रेषण', 'उचंत और विविध', 'आकस्मिकता निधि में विनियोग' और 'नकद शेष में कमी' को देयताओं से हटा दिया जाए लेकिन सकल राजकोषीय घाटा और देयताओं की परिभाषाओं के बीच संगतता बनाए रखने के लिए इन्हें 'ज्ञापन मदों' के रूप में दिखाया जाए। अंतर राज्य निपटान को भी देयताओं से हटा दिया जाए लेकिन ज्ञापन मद में न दिखाया जाए, क्योंकि इस शीर्ष के अंतर्गत सूचित की गई राशि सामान्यतया बहुत अधिक नहीं होती है।
- आकस्मिक देयताओं को देयताओं की औपचारिक परिभाषा से हटा दिया जाए। तथापि, इस आयाम को शामिल करने के लिए, दल ने सिफारिश की है कि इन देयताओं की रिपोर्टिंग वार्षिक आधार पर एक अलग शीर्ष के अंतर्गत की जाए।
- आकड़ों में संगतता सुनिश्चित करने के लिए, यह वांछनीय है कि कोई एक एजेंसी सभी राज्यों की बकाया देयताओं संबंधी सूचनाएं संकलित करे और प्रसारित करे।
- यद्यपि राज्य सरकारें ऐसी सूचनाओं के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत हैं, यह कार्य उनको तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि यह राज्य बजट दस्तावेज का एक अनिवार्य अंग न बन जाए। भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य संस्थाएं देयताओं संबंधी आंकड़े संकलित करने के लिए आवश्यक क्षमता और प्रणाली विकसित करने तथा तकनीक उपलब्ध कराने में राज्यों की मदद कर सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक तब सभी राज्य सरकारों की देयताओं के अनुमानों को, राज्य बजटों की तरह, एक प्रकाशन में एक साथ रखकर एकल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती है।

राज्य सरकारें निम्नलिखित विवरणों के अन्तर्गत राज्य सरकारों की देयताओं संबंधी सूचनाएं अपने बजट दस्तावेजों में प्रकाशित करेगी :

(1) राज्य सरकार की बजट देयताएं (मार्च के अंत में बकाया) और उनका विश्लेषण । इसमें चार अनुलग्नक होंगे जिसमें यह ब्यौरा दिया गया होगा :
 क) खुले बाजार के उधार
 ख) केंद्र से लिए गए ऋण
 ग) बैंको/वित्तीय संस्थाओं के उधारों के विवरण
 घ) एनएसएसएफ के अंतर्गत जारी विशेष प्रतिभूतियां
(2) राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों के ब्यौरे (जीएएसएबी फार्मेट)
(3) राज्य सरकार की गारंटियों के मूल्यांकित राजकोषीय जोखिम
(4) राज्य सरकारों के बजट से इतर उधार
(5) राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देयताएं
(6) राज्य सरकारों की अन्य अंतर्निहित देयताएं (पेन्शन देयताओं को मिलाकर)। यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकारों की देयताओं से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रकाशित किए जाएं। राज्य सरकारें मासिक नहीं, तो तिमाही तौर पर अपने लेखों और देयताओं संबंधी रिपोर्टें भी प्रकाशित करें। सीएजी राज्यों के वित्त लेखों के अलावा देयताओं के लेखा परीक्षित आंकड़े भी संकलित करे और प्रकाशित करें। तथापि, दल ने सुझाव दिया कि लेखा परीक्षित आंकड़ों की अनुपलब्धता से, लेखों (अ-लेखा परीक्षित), संशोधित अनुमानों और हाल के वर्षों के बजट अनुमानों के अनुसार, देयताओं संबंधी आंकड़ों की रिपोर्टिंग में विलंब नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के समेकन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, दल ने निम्नानुसार सिफारिश की है :

- भारतीय रिज़र्व बैंक बकाया बाजार उधारों से संबंधित आकड़े राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगा।
- केंद्र सरकार राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा दिए गए ऋणों और राज्यों द्वारा एनएसएसएफ के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों से संबंधित ब्यौरे भी उपलब्ध कराएगी।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार तथा अन्य ऐसे लेन-देन के आंकड़ें राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए जाएं।
- जब तक राज्य सरकारें अपने बजट दस्तावेज में अपने बकाया आंकड़ो से संबंधित आवश्यक आंकड़े प्रकाशित करने की स्थिति में नहीं होतीं, संबंधित संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त आंकड़े परिवर्ती उपाय के रूप में, समेकन और प्रकाशन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाएं।

दल द्वारा सुझाए गए विवरण में राज्य सरकारों द्वारा बजट दस्तावेज में देयताओं के ब्यौरे दिए जाएं। लेखा आकड़ों के साथ बकाया आंकड़े मार्च के अंत के अनुसार दो वर्ष के लिए उपलब्ध कराए जाए। एक वर्ष संशोधित अनुमानों के साथ और दूसरे वर्ष निम्नलिखित मदों के लिए बजट अनुमानों के साथ।

I. समेकित निधि
 1. सार्वजनिक ऋण
  क. खुले बाजार के उधार (निवल एस एल आर आधारित बाजार उधार)
  ख. बैंकों से उधार और वित्तीय संस्थान/वार्तातय ऋण
  ग. एन एस एस एफ के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियां
  घ. राज्य सरकार द्वारा जारी बांड / डिबेंचर
  ड. केंद्र से किए गए ऋण (निवल)
   i) योजना ii) योजनेतर
  च. अन्य (उल्लेख के अनुसार)*
 2. भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट
  क. अर्थोपाय अग्रिम
  ख. ओवर ड्राफ्ट

II सार्वजनिक खाता
 1. राज्य भविष्य निधि
 2. लघु बचत, बीमा और पेन्शन निधि, न्यास और धर्मदाय
 3. सार्वजनिक खाते में अन्य मदें
  जिसमें से :
  क. जमाराशियां
   i) ब्याज सहित ii) ब्याज रहित
  ख. आरक्षित निधियां / सिंकिंग निधि
   i) ब्याज सहित ii) ब्याज रहित

III आकस्मिकता निधि

IV कुल देयताएं (I+II+III)

V ज्ञापन मदें
 1. प्रेषण
 2. उचंत और विविध
 3. आकस्मिकता निधि से विनियोग
 4. नकदी शेषों में कमी

@ : यह ध्यान देने योग्य है कि 'खाते' के आंकड़े अ-लेखा परीक्षित हैं।

* : इसमें विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की देयताएं शामिल होनी चाहिए जो एक उपकल्पनात्मक निष्कर्ष है जिसमें कहा गया है कि पुनर्भुगतान और / अथवा ब्याज भुगतान राज्य सरकार द्वारा अपने बजट प्रावधानों से किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के गारंटीशुदा देयताओं के जोखिम भारित घटक भी शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकार की देयताओं के समेकन पर बने कार्यक्रम की रिपोर्ट (2005), भारतीय रिज़र्व बैंक (संयोजक : डा. नरेंद्र जाधव)।

VI.1.2 ऋण की मात्रा

राज्यों के विशाल और बढ़ते सकल राजकोषीय घाटे ने विशेष रूप से 1990 के दशक के उत्तरार्ध से राज्य सरकारों के बकाया ऋण में निरंतर वृद्धि की है। वृद्धि और जीडीपी दोनों के अनुसार ऋण के स्तर में हाल के वर्षों में गिरावट दिखी। (सारणी 29).

मार्च 1991 के अंत में बकाया देयताएं 1,28,155 करोड़ रुपए (अर्थात जीडीपी की 22.5 प्रतिशत) रखी गई। ऋण-जीडीपी का अनुपात, जो 1997 के अंत में 21.1 प्रतिशत के अधो स्तर पर था, मार्च 2004 के अंत में तीव्रता से 33.5 प्रतिशत बढ़ा लेकिन इसके पश्चात इसमें गिरावट आई। मार्च 2007 के अंत में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का अनुमान 12,58,672 करोड़ रुपए का लगाया गया हैं जबकि ऋण - जी डी पी अनुपात 31.8 प्रतिशत रखा गया (देखे परिशिष्ट सारणी 20 और 21 भी)।

सारणी 29 : राज्य सरकारों की बकाया देयताएं
(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बकाया देयताएं		
	राशि	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	ऋण/सघउ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1991	128,155		22.5
1992	147,030	14.7	22.5
1993	168,365	14.5	22.5
1994	187,992	11.7	21.9
1995	217,100	15.5	21.4
1996	250,889	15.6	21.1
1997	288,103	14.8	21.1
1998	333,897	15.9	21.9
1999	403,364	20.8	23.2
2000	515,877	27.9	26.3
2001	602,072	16.7	28.6
2002	700,524	16.4	30.7
2003	798,921	14.0	32.6
2004	923,500	15.6	33.5
2005	1,042,305	12.9	33.4
2006 (संअ)	1,152,652	10.6	32.6
2007 (बअ)	1,258,672	9.2	31.8

स्रोत : 1. राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।
2. भारत के केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे, सीएजी, भारत सरकार ।
3. रिज़र्व बैंक का रिकार्ड ।

जीडीपी के लगभग एक तिहाई के बराबर ब्याज की चुकौती राज्यों की पर्याप्त राजस्व प्राप्तियों के अनुपात से अधिक होती जा रही है। ऋण की उत्पादकता को बनाए रखने की दृष्टि से, राज्य सरकारों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक में ऋण के स्तर की सीमाएं रखी हैं जिसे एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त किया जाना है। बारहवें वित्त आयोग ने जीडीपी के अनुपात के रूप में ऋण के 30.8 प्रतिशत की भी सिफारिश की है जिसे राज्यों द्वारा मध्यम काल में ऋण की उत्पादकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से मार्च 2010 तक प्राप्त किया जाना है। इसके अलावा, आयोग (टीएफसी) ने उधारों की समग्र सीमा (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) की सिफारिश की है जिसे राज्य सरकारों द्वारा 2009-10 के अंत तक प्राप्त किया जाना है। टीएफसी ने यह भी सिफारिश की है कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का 15 प्रतिशत का अनुपात 2009-10 तक प्राप्त किया जाए।

VI.1.3 ऋण की बनावट/संरचना

राज्य सरकारों के बकाया देयताओं की संघटना केंद्र से लिए गए ऋणों के हिस्से में तीव्र गिरावट दर्शाती है जबकि एनएसएसएफ से लिए गए ऋणों, बाजार ऋणों और बैंक तथा अन्य संस्थाओं के ऋणों के हिस्से में वृद्धि दिखी। उल्लेखनीय रूप से, पिछले कुछ वर्षों से आरक्षित निधियों और जमाओं तथा अग्रिमों का हिस्सा 10 प्रतिशत है। 2006-07 के दौरान (बजट अनुमान) एनएसएसएफ से लिए गए ऋणों की संघटना (29.3 प्रतिशत) सबसे अधिक थी, इसके पश्चात केंद्र से लिए गए ऋण (20.9 प्रतिशत) और बाजार उधार (20.0 प्रतिशत) थे। ऋण के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं : लघु बचत, राज्य भविष्य निधि इत्यादि (12.1 प्रतिशत) और बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण (6.0) (चार्ट 13)।

बकाया ऋण की विस्तृत संघटना सारणी 30 में दी गई है। 1990-91 से 2006-07 तक (ब.अ.) राज्य सरकारों की समेकित बकाया देयताओं की विस्तृत संघटना परिशिष्ट सारणी 20 और 21 में दी गई है जबकि बकाया देयताओं की राज्यवार संघटना विवरण 26-28 में दी गई है।

उल्लेख करना होगा कि राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज में विभिन्न कोटियों के अंतर्गत राशि और संबद्ध शर्तों सहित (जैसे

चार्ट 13 : बकाया देयताओं की संरचना

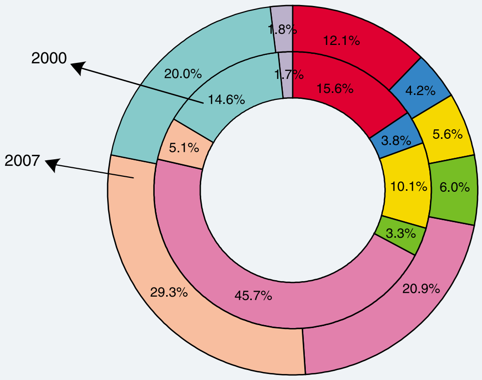

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

ब्याज दर और परिपक्वता स्वरूप) उनकी बकाया देयताओं के पर्याप्त ब्यौरे नहीं दिए जाते। यह विशेष रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए वार्तातय ऋणों के मामले में सुस्पष्ट है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का गहन विश्लेषण सीमित बना हुआ है।

VI.2 बाजार उधार

VI.2.1 समेकित स्थिति

राज्य सरकारें विभिन्न अवधियों की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं जिनमें अधिकांशतः बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश किया जाता है। राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताओं में बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 2000 के अंत के 14.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 20.5 प्रतिशत हो गया (सारणी 30)। टीएफसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, 2005-06 से अब राज्य योजनाओं के लिए संघीय बजट में केंद्रीय ऋण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और राज्यों को अपने योजना कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाने हेतु बाजार जाना होगा। उनके कुल ऋण में राज्य सरकारों के बाजार उधारों का हिस्सा 2005-06 में लगभग 20 प्रतिशत कम हुआ और 2006-07 के दौरान इसके इसी स्तर पर बने रहने का अनुमान लगाया गया।

2005-06 के दौरान राज्य सरकारों का उच्च लागत बाजार ऋणों का हिस्सा और गिरा। मार्च 2006 के अंत में, 10 प्रतिशत और ऊपर के ब्याज दर के बकाया स्टॉक का हिस्सा मार्च 2005 के अंत के 37.3 प्रतिशत से गिरकर 32.2 प्रतिशत हो गया (सारणी 31)।

सारणी 30 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन

(मार्च के अंत में)

(कुल का प्रतिशत)

मदें	1991	2000	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
1. आंतरिक ऋण	15.0	24.5	46.5	51.4	54.7	57.1
जिसमें:						
(i) बाजार ऋण	12.2	14.6	19.4	20.5	19.9	20.0
(ii) अल्प बचत (एन एसएस एफ)	–	5.1	18.2	22.6	26.9	29.3
(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण*	2.0	3.3	6.6	6.0	5.9	6.0
2. केन्द्र से ऋण और अग्रिम	57.4	45.7	29.0	24.6	22.4	20.9
3. लोक लेखागत (i से iii)	26.9	29.5	24.5	24.1	22.7	21.9
(i) राज्य अल्प बचत और भविष्य निधि	13.2	15.6	13.3	12.7	12.3	12.1
(ii) आरक्षित निधि	3.7	3.8	4.2	4.4	4.2	4.2
(iii) जमाराशि और अग्रिम	10.0	10.1	7.0	7.0	6.2	5.6
4. आकस्मिक व्यय निधि	0.8	0.3	–	–	–	–

'–' : शून्य/नगण्य/लागू नहीं।

स्रोत : सारणी 29 के अनुसार

सारणी 31 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की ब्याज दर स्थिति
(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

ब्याज दर का दायरा	बकाया राशि		कुल का प्रतिशत	
	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5
5.00-5.99	33,825	33,825	15.8	14.8
6.00-6.99	58,563	58,563	27.4	25.6
7.00-7.99	27,872	49,601	13.1	21.7
8.00-8.99	8,004	8,004	3.7	3.5
9.00-9.99	5,412	5,412	2.5	2.4
10.00-10.99	14,563	14,563	6.8	6.4
11.00-11.99	17,062	17,062	8.0	7.5
12.00-12.99	26,146	26,146	12.2	11.4
13.00-13.99	15,722	15,722	7.4	6.9
14.00	6,274	0	2.9	0.0
कुल	**213,443**	**228,898**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार।

VI.2.2 2006-07 के दौरान बाजार उधारों का आबंटन

रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार, राज्य सरकारों को बाजार उधारों का निवल आबंटन 2002-03 से बढ़ा है (सारणी 32 और विवरण 29)। लेकिन, इसी अवधि में अतिरिक्त आबंटन में तीव्र गिरावट दिखी। 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों के लिए बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत निवल आबंटन 17,286 करोड़ रुपए

सारणी 32 : राज्य सरकारों की बाजार उधारियां

(करोड़ रुपए)

मदें	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6
1. निवल आबंटन	12,722	12,767	13,969	16,112	17,242
2. अतिरिक्त आबंटन	6,422	4,893	3,236	3,522	44
3. डीएसएस के अंतर्गत आबंटन	10,000	29,000	19,766	-	-
4. कुल (1+2+3)	29,144	46,660	36,970	19,634	17,286
5. चुकौती	1,789	4,145	5,123	6,274	6,551
6. सकल आबंटन (4+5)	30,933	50,805	42,093	25,909	23,837
7. डीएसएस के अंतर्गत जुटाई गई राशि	10,000	26,623	16,943	-	-
8. आरआइडीएफ ऋणों की पूर्व चुकौती से जुटाई गई राशि	-	-	1,386	-	-
9. कुल जुटाई गई राशि	30,853	50,521	39,101	21,729	11,026
टैप निर्गम	27,880	47,626	38,216	11,186	-
नीलामी	2,973	2,895	885	10,543	11,026
	(13)	(8)	(3)	(24)	(20)
10. जुटाई गई निवल राशि (9-5)	29,064	46,376	33,978	15,455	4,475
11. जुटाई गई (डीएसएस के अतिरिक्त) (10-7)	19,064	19,753	17,035	15,455	4,475
12. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस और आर आइ डी एफ के अतिरिक्त) (11-8)	19,064	19,753	15,649	15,455	4,475
ज्ञापन मदें					
i. कूपन / अधिकतम आय दायरा (%)	6.60-8.00	5.78-6.40	5.60-7.36	7.32-7.85	7.65-8.66
ii. भारित औसत ब्याज दर (%)	7.49	6.13	6.45	7.63	8.00
iii. औसत परिपक्वता अवधि (वर्ष)	10.00	10.05	10.01	10.00	10.00

डीएसएस : ऋण स्वैप योजना ‘–’ : शून्य / लागू नहीं * : 17 नवंबर 2006 तक जुटाई गई राशि

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े नीलामी रूट का विकल्प देने वाले राज्यों की संख्या दर्शाते हैं।

2. भारतीय रिजर्व बैंक रिकार्ड के अनुसार बाजार उधार संबंधी आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से अलग हो सकते हैं।

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार।

रखा गया है। 6,551 करोड़ रुपए की चुकौती को ध्यान में रखते हुए, सकल आबंटन की राशि 23,837 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। 2006-07 (17 नवंबर 2006 तक) के दौरान, राज्य सरकारों ने नीलामियों के माध्यम से 11,026 करोड़ रुपए (अथवा सकल आबंटन का 46.2 प्रतिशत) का बाजार ऋण जुटाया है जिसकी कट-ऑफ दर 7.65 - 8.66 प्रतिशत की सीमा में थी (परिशिष्ट सारणी 10)। बाजार ऋणों पर वह भारित औसत ब्याज दर जो 1990 के मध्य दशक से 2003-04 तक कम हुई थी, 2006-07 के दौरान 8.0 प्रतिशत अधिक हो गई (17 नवंबर 2006 तक) (सारणी 33)। प्रतिफल में यह वृद्धि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अनुरूप थी और जिसने ब्याज दरों में सामान्य ऊर्धमुखी वृद्धि को दर्शाया।

2006-07 (17 नवंबर 2006 तक 20 राज्य) और 2005-06 (24 राज्य) के दौरान राज्यों द्वारा बाजार ऋण जुटाने के लिए नीलामी मार्ग की अधिमान्यता बढ़ी। इसके अलावा, नीलामी के द्वारा जुटाए गए बजार ऋणों का अनुपात 2005-06 में लगभग आधा था जबकि 2006-07 में राज्य सरकारों ने केवल नीलामी का सहारा लिया। 2005-06 और 2006-07 (17 नवंबर 2006 तक) के दौरान नीलामियों के बढ़े हुए आश्रय ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति के सुधरे हुए बाजार दृष्टिकोण को दर्शाया (बॉक्स 3)।

सारणी 33 : राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय

(प्रतिशत)

वर्ष	दायरा	भारित औसत	कुल राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1990-91	11.50	11.50	2,569
1991-92	11.50-12.00	11.82	3,364
1992-93	13.00	13.00	3,805
1993-94	13.50	13.50	4,145
1994-95	12.50	12.50	5,123
1995-96	14.00	14.00	6,274
1996-97	13.75-13.85	13.83	6,536
1997-98	12.30-13.05	12.82	7,749
1998-99	12.15-12.50	12.35	12,114
1999-00	11.00-12.25	11.89	13,706
2000-01	10.50-12.00	10.99	13,300
2001-02	7.80-10.53	9.20	18,707
2002-03	6.60-8.00	7.49	30,853
2003-04	5.78-6.40	6.13	50,521
2004-05	5.60-7.36	6.45	39,101
2005-06	7.32-7.85	7.63	21,729
2006-07*	7.65-8.66	8.00	11,026

*: 17, नवंबर 2006 तक ।
स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार ।

VI.2.3 राज्य-वार ऋण स्थिति

1990-91 से 2006-07 (ब.अ.) तक बकाया देयताओं का राज्य-वार घटकवार विस्तृत विश्लेषण विवरण 26-28 में दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मार्च 2006 की समाप्ति पर 3 विभक्त राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की बकाया देयताओं को 3 नए बनाए गए राज्यों (झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल) के बीच क्रमशः उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर बांटा गया है। राज्यों को (सामान्य और विशेष) उनकी स्थिति बताने के लिए ऋण जीएसडीपी और आइपी - आरआर अनुपात के अनुसार समूह में बाँटा गया है और उन्हें 3 ए-डी संलग्नक में दिया गया है।

गैर विशेष वर्ग के राज्य

ऋण-जीएसडीपी का माध्यिका मूल्य 2002-05 के दौरान 39.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 44.4 प्रतिशत हो गया जो अनेक राज्यों की ऋणग्रस्तता के बढ़ने को दर्शाता है (चार्ट 14क) जबकि 2002-05 और 2005-06 के दौरान हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे राज्यों का ऋण - जीएसडीपी अनुपात (30.5 प्रतिशत से कम) सापेक्षिक रूप से कम रहा, उक्त दोनों अवधियों के दौरान बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का अनुपात 55 प्रतिशत से अधिक था (सारणी 34)।

ऋण निरंतरता के एक संकेतक के रूप में ब्याज भुगतानों के द्वारा राजस्व प्राप्तियों (आइपी/आरआर) के पूर्वानुमान से इसके माध्यिका मूल्य में सुधार दिखा, जो 2002-05 के 24.8 प्रतिशत से 2005-06 में 19.0 प्रतिशत तेजी से घटे (चार्ट 14ख)। उक्त

बॉक्स 3 : राज्य सरकारों के बाजार उधार : हाल की गतिविधियां और भावी चुनौतियां

राज्य सरकारों के बाजार उधारों (जिसे राज्य विकास ऋण कहा जाता है) के संबंध में हाल के वर्षों में कतिपय बड़े परिवर्तन हुए हैं जो इस प्रकार हैं :

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप, 2005-06 के दौरान राज्य योजना स्कीमों के लिए केंद्रीय ऋण समाप्त कर दिए गए जिससे राज्य सरकारों को अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए बाजार में प्रवेश करना पड़ा और जिससे उन्हें व्यापक बाजार अनुशासन का सामना करना पड़ रहा है। रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण में राज्य सरकारों की उधार आवश्यकताओं पर टीएफसी की सिफारिशों के संभावित प्रभावों पर ध्यान आकर्षित किया गया था। टीएफसी की सिफारिशों पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए 8 अप्रैल 2005 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 16वें सम्मेलन में केंद्र, राज्य और रिज़र्व बैंक के बीच प्रस्तावित व्यवस्था में, आसान अंतरण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनंतर, जुलाई 2005 में, भारत सरकार ने राज्यों के उधारों के प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत आसान अंतरण के लिए कार्य प्रणाली तय करने हेतु एक तकनीकी समूह (अध्यक्षः श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) गठित किया जिसमें केंद्र, चुनिंदा राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक को सदस्य बनाया गया। समूह ने 22 दिसंबर 2005 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। समूह की सिफारिशों के आधार पर, 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन के तत्वाधान के अंतर्गत एक स्थायी तकनीकी समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों तथा रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि होंगे और जो सम्मति तथा सहकारी दृष्टिकोण से केंद्र और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर सलाह देगी।

अप्रैल 2006 में वार्षिक नीति वक्तव्य में प्रस्तावित किया गया था कि : (i) राज्यों को नीलामी मार्ग के अंतर्गत बाजार उधारों के हिस्से को बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर प्रोत्साहित किया जाए जिससे नीलामी के माध्यम से संपूर्ण उधार को कवर किया जा सके। (ii) राज्यों को अपने विवेक और पहल पर एक प्रगतिशील संकेतात्मक उधार कलैण्डर तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन मुद्दों पर राज्यों में चर्चा की जा रही है और एक ठोस कार्रवाई योजना विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार चलनिधि का नाममात्रेण स्तर है, जिसके लिए कतिपय अन्तर्संबद्ध कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जैसे (i) बकाया स्टॉक का कम स्तर जिसका परिणाम चल स्टॉक के कम स्तर में भी हुआ (ii) बिक्री और धारण करने वाले निवेशकों की प्रधानता (iii) तदनुरूपी द्वितीयक बाजार प्रतिफल के साथ टैप निर्गम में सहभागी होनेवाले राज्यों से संबंधित निश्चित समान ब्याज के बीच असंबद्धता (iv) निर्गमकर्ताओं (28 राज्य) और प्रतिभूतियों (हरेक राज्य वर्ष में आठ नई प्रतिभूतियां जारी कर रहा है) के बीच विखंडन । इन मुद्दों पर विचार करने के लिए, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के चलनिधि पर एक कार्य समूह (अध्यक्षः श्री वी.के.शर्मा) बनाया गया जिसने सितंबर 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कार्य दल ने परिमाण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों की खोज की जिससे द्वितीयक बाजार चलनिधि के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्टॉक सुनिश्चित किया जा सके (i) निर्गम के आकार में वृद्धि (ii) प्रतिभूतियों का समेकन (iii) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में खुले बाजार उधार का अत्यधिक हिस्सा और (iv) राज्य सरकारों की बकाया प्रतिभूतियों का प्रतिभूतीकरण । इन विकल्पों पर विचार करते हुए दल ने महसूस किया कि निर्गम आकार को निर्गमों की संख्या सीमित करके बढ़ाया जा सकता है। दूसरे, वर्तमान प्रतिभूतियों के पुनर्निगमों के माध्यम से प्रतिभूतियों के निष्क्रिय समेकन में चुकौतियों का समूहन और परिपक्वता प्रोफाइल घटाना शामिल है। तीसरे, खुले बाजार के उधार के हिस्से में वृद्धि, अन्य बातों के साथ-साथ, राजकोषीय सुधार उपायों पर निर्भर होगी जिससे निवेशक विश्वास बढ़ाया जा सके। चौथे, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक को प्रतिभूतिकरण मार्ग के माध्यम से समेकित किया जाएगा जिसके द्वारा आस्तियों को विशेष प्रयोजन वाहक (एसवीपी) को समनुदेशित किया जाएगा, जिसके विरुद्ध प्रतिभूतियों को नए निवेशकों को जारी किया जाएगा। दल की सिफारिशों से लेतु हुए और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेशक आधार को बढ़ाने की दृष्टि से, 2006-07 (अप्रैल-2006) के वार्षिक नीति वक्तव्य में निम्नलिखित कार्रवाई बिंदु प्रस्तावित किए गए हैं :

- एसडीएल की प्राथमिक नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली (वर्तमान में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तक सीमित) की सुविधा देना।
- ओवरनाइट एलएएफ रिपो परिचालनों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा एसडीएल की खरीद और पुनर्बिकी शुरू करना।
- जारी राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया को दर्शाते हुए, राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) हाल के वर्षों में कम हुआ है जिससे निधियों का दबाव नियंत्रित हुआ है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के जीएफडी के वित्तपोषण पैटर्न ने लघु बचतों, (राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए जारी प्रतिभूतियां), जो निधियों की स्वायत्त स्रोत हैं, की प्रधानता और अधिकता को परिलक्षित करना जारी रखा जिसने वैकल्पिक बाजार स्रोतों तक पहुंचने की आवश्यकता को कम करने में सहायता की। यह उल्लेखनीय है कि नौ राज्यों (अर्थात, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) ने 2005-06 के दौरान सकल बाजार उधार की संपूर्ण आबंटित राशि नहीं जुटाई, जबकि वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ ने बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया जो मुख्य रूप से अनेक अधिशेष नकदी शेषों की सुदृढ़ता को परिलक्षित कर ली है।

राज्य बड़े पैमाने पर नीलामी मार्ग के माध्यम से उधार लेना पसंद कर रहे हैं, 2005-06 (2004-05 में केवल 2.3 प्रतिशत) के दौरान नीलामियों के माध्यम से उन्होंने अपने कुल उधारों का 48.4 प्रतिशत जुटाया। पिछले वर्ष में केवल तीन राज्यों से तुलना करने पर 2005-06 के दौरान बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत चौबीस राज्यों ने नीलामी मार्ग को अपनाया। 2006-07 के दौरान भी यही प्रवृत्ति जारी रही। नीलामियों का अधिक सहारा लेना राज्यों की राजकोषीय स्थिति के सुधरे हुए बाजार दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है जैसा कि तुलनात्मक परिपक्वताओं की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में टैप निर्गमों (टैपनिर्गमों में 50 आधार अंक के सम्मुख नीलामियों में 20-50 आधार अंक और नीलामियों की कट ऑफ आय के कम अंतर (स्प्रेड) में परिलक्षित हुआ।

भावी निर्गम और विकल्प

राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों में कतिपय सुधार जिन पर विचार किया जा सकता है, इस प्रकार हैं :

- संबंधित राज्य सरकारों को निश्चित अभिदान उपलब्ध कराने की दृष्टि से, राज्य विकास ऋणों के प्राथमिक निर्गमों की हामीदारी पर विचार किया जा सकता है।
- राज्य सरकारों के बाजार उधार की नीलामी को प्रोत्साहन करने के लिए, राज्यों के बाजार उधार के लिए 'संकेतात्मक कलैण्डर' की शुरुआत की जाए।
- ब्याज की उच्च लागत को कम करने के लिए, उच्च ब्याज वाले राज्य विकास ऋणों (अर्थात 10 प्रतिशत और अधिक) की एक बाइ-बैक स्कीम पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य सरकारों के पास उपलब्ध नकदी अधिशेषों को बाइ-बैक स्कीम में उपयोग किया जा सकता है।
- चलनिधि उपलब्ध कराने की दृष्टि से, एसडीएल के द्वितीयक बाजार को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 14 : बकाया देयताएं - गैर विशेष वर्ग के राज्य

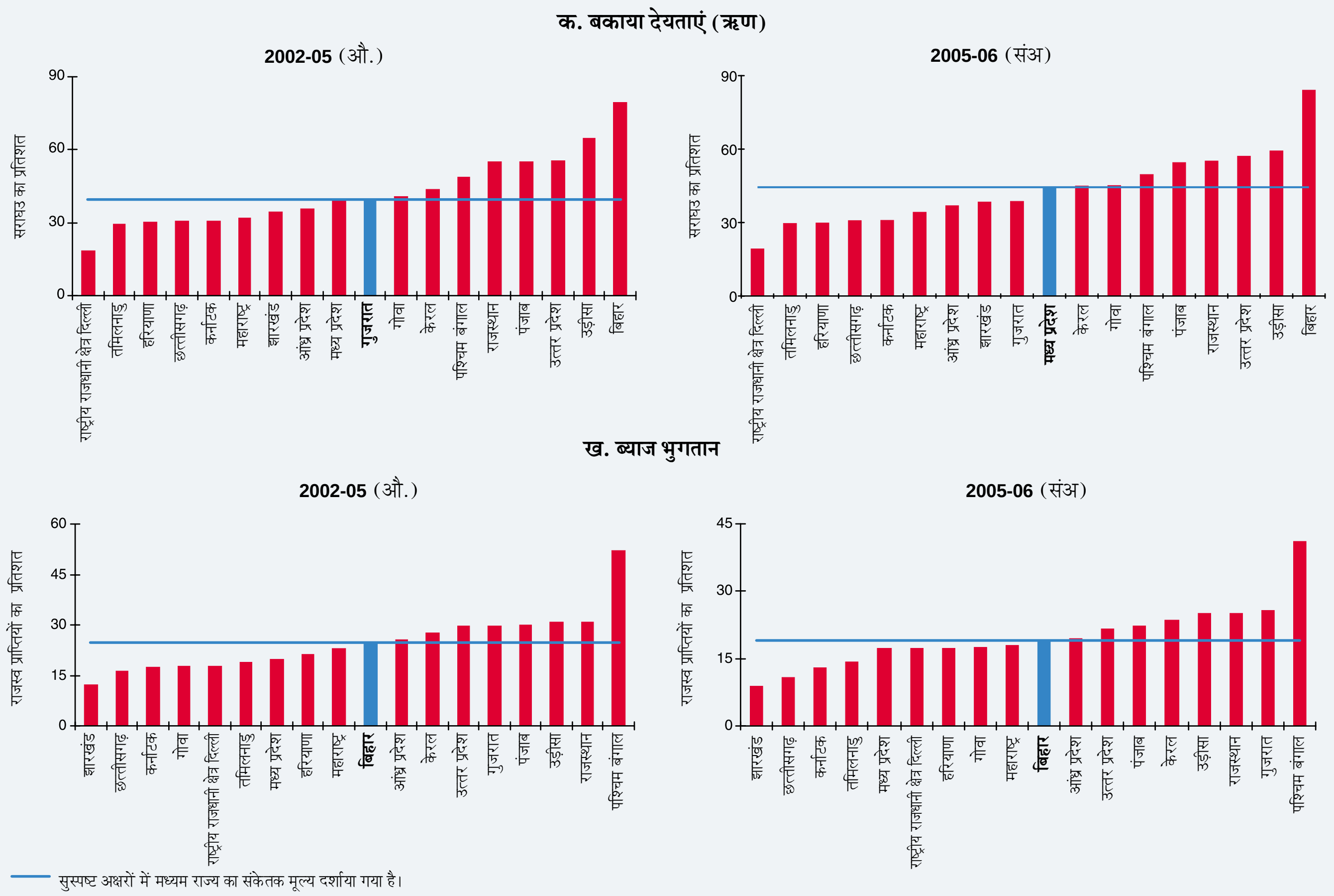

सारणी 34 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ऋण/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
30 से कम	रा.रा.क्षे. दिल्ली, तमिलनाडु	रा.रा.क्षे. दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा
30 से 50	कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड,आंध्र प्रदेश, **गुजरात**, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल	महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, **मध्य प्रदेश**, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल
50 से 70	राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा	पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा
70 से अधिक	बिहार	बिहार

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखे।

दोनों अवधियों में झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के लिए यह अनुपात सापेक्षिक रूप से कम था, जबकि राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए अधिक था (सारणी 35) (विवरण 17 भी देखें)। ऋण स्वैप स्कीम (डीएसएस) के कारण, आइ पी / आर आर अनुपात में कमी ब्याज भुगतानों में बड़ी सीमा में गिरावट को दर्शाती है।

ऋण वहनीयता की दृष्टि से, टीएफसी ने राज्यों को राजकोषीय अनुशासन में रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है और सलाह दी कि उधारों के सभी स्रोतों को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के समग्र उधार कार्यक्रम एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत होने चाहिए तथा वार्षिक तौर पर निर्धारित किए जाने चाहिए। राज्य सरकारें ऋण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए धीरे-धीरे संस्थागत तंत्र अपना रही हैं और इसको राजकोषीय उत्तरदायित्व विधायन बनाकर, गारंटी शोधन निधि की स्थापना करके वहनीय स्तर पर भी ला रही हैं। ऐसे राज्य जिनका ऋण का स्तर अधिक है समुचित उधार उपाय अपनाने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि

सारणी 35 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
15 से कम	झारखंड	झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक
15 से 30	छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तमिलनाडु,हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, **बिहार,** आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात	मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, **बिहार,** आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान
30 से 45	पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान	पश्चिम बंगाल
45 से अधिक	पश्चिम बंगाल	-

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

घाटे, ऋण और ऋण चुकौती की उच्च लागत से उत्पन्न ब्याज भुगतानों के दुष्चक्र की संभावना हो सकती है।

विशेष वर्ग वाले राज्य

विशेष वर्ग वाले राज्यों के ऋण - जीएसडीपी अनुपात में बड़े अंतर देखे गए हैं क्योंकि ऋण -जीएसडीपी अनुपात के माध्यिका मूल्य 2002-05 के दौरान 51.8 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 के दौरान 60.8 प्रतिशत हो गए (चार्ट 15 क)। 2005-06 और 2002-05 में सिक्किम, मिजोरम तथा हिमाचल प्रदेश का ऋण-जीएसडीपी अनुपात अधिक बना रहा जबकि इसी अवधि के दौरान असम, नागालैण्ड तथा मेघालय का यह अनुपात सापेक्षिक रूप से कम बना हुआ है (सारणी 36)।

आइपी/आरआर का माध्यिका स्तर 2005-06 के दौरान 13.8 प्रतिशत से गिरकर 2005-06 में 11.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट 15 ख)। सभी विशेष वर्ग के राज्यों (हिमाचल प्रदेश के अलावा) (26.4 प्रतिशत) का ऋण भार (आइपी/आरआर) 15 प्रतिशत से कम था जो लक्ष्य टीएफसी ने तय किया था और जिसे 2009-10 के अंत

चार्ट 15 : बकाया देयताएं - विशेष श्रेणी के राज्य

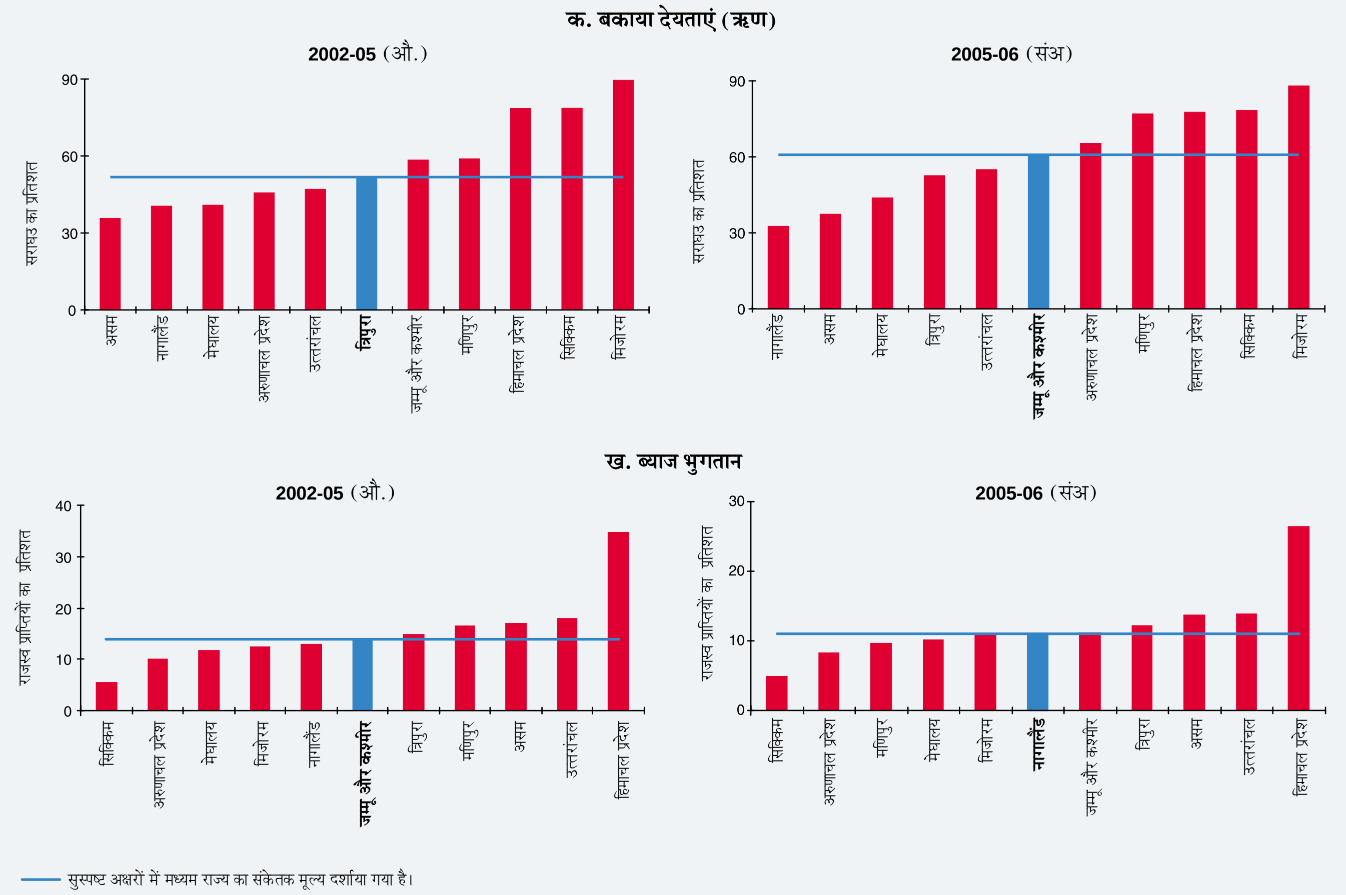

सारणी 36 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ऋण/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
40 से कम 40 से 50	असम, मेघालय, उत्तरांचल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश	असम, नागालैंड, मेघालय
50 से 60	**त्रिपुरा,** जम्मू और कश्मीर, मणिपुर	त्रिपुरा, उत्तरांचल
60 से अधिक	सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम	**जम्मू और कश्मीर,** अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखे।

तक प्राप्त किया जाना है। 2005-06 के दौरान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का आइपी/आरआर अनुपात 10 प्रतिशत से कम था (सारणी 37)।

VI.3 चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंधन

बेजबरुआ समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों के लिए 2006-07 हेतु एक संशोधित अर्थोपाय अग्रिम योजना शुरू की गई जो 1 अप्रैल 2006 से लागू हुई। तदनुसार, 2006-07 के लिए कुल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 10.5 प्रतिशत बढ़ाकर 9,875 करोड़ रुपए कर दी गई (सारणी 38)। 2006-07 के लिए

सारणी 37 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
10 से कम	सिक्किम	सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर
10 से 15	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, **जम्मू और कश्मीर,** त्रिपुरा	मेघालय, मिजोरम, **नागालैंड,** जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, असम, उत्तरांचल
15 से 20	मणिपुर, असम, उत्तरांचल	-
20 से अधिक	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 38 : सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा-1996 से 2006

(करोड़ रुपए)

अवधि		राशि	पिछली सीमा की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)
1		2	3
(i)	अगस्त 1996 से फरवरी 1999	2,234	100.0
(ii)	मार्च 1999 से जनवरी 2001	3,941	76.4
(iii)	फरवरी 2001 से मार्च 2002	5,283	34.1
(iv)	अप्रैल 2002 से 2 मार्च 2003	6,035	14.2
(v)	3 मार्च 2003 से 31 मार्च 2004	7,170	18.8
(vi)	1 अप्रैल 2004 से मार्च 31 2005	8,140	13.5
(vii)	1 अप्रैल 2005 से मार्च 31 2006	8,935	9.8
(viii)	1 अप्रैल 2006 आज की तारीख तक	9,875	10.5

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार।

अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज दर को एलएएफ रिपो दर से जोड़ दिया गया है जबकि पहले इसे बैंक दर से जोड़ा गया था।

2005-06 के दौरान, राज्यों द्वारा सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग वास्तविक रूप से कम बना रहा जो उनकी समग्र नकदी की स्थिति में सुधार को दर्शाता है। 2005-06 के दौरान सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग करने वाले राज्यों की संख्या में कमी हुई (2004-05 में 21 राज्यों की तुलना में 12 राज्य)। यह परिवर्तन मुख्य रूप से संशोधित योजना के अंतर्गत इस प्रावधान के कारण परिलक्षित हुआ कि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लेने से पहले विशेष अर्थोपाय का उपयोग किया जाना चाहिए। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा को राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश से संबद्ध किया गया है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम पर लिए जाने वाले ब्याज की दर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की तुलना में एक प्रतिशत अंक कम थी। लघु बचतों के अधिक जुटाव और बढ़े हुए बाजार उधारों ने भी सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का कम सहारा लेने में सहायता प्रदान की। इसी प्रकार, 2005-06 के दौरान ओवरड्राफ्ट का उपभोग करने वाली राज्य सरकारों की संख्या 2004-05 में 13 राज्यों से तुलना करने पर 8 राज्य में कमी हुई (विवरण 39)।

2006-07 के दौरान राज्यों की चलनिधि की स्थिति आसान रही (31 अक्तूबर 2006 तक) । 2006-07 के (31 अक्तूबर 2006 तक), दौरान 239 करोड़ रुपए का राज्यों का अर्थोपाय और

चार्ट 16 : राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट की उपयोगिता (साप्ताहिक औसत)

ओवरड्राफ्ट का साप्ताहिक औसत उपयोग पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 772 करोड़ रुपए की तुलना में काफी कम था (चार्ट 16)। 2006-07 के दौरान (16 नवंबर 2006 तक) छह राज्यों ने 2-141 दिनों की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया, इनमें से दो राज्यों ने 15 और 29 दिवसों की अवधि के ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया (विवरण 39)। अर्थोपाय अग्रिम का कम उपयोग राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी की स्थिति को दर्शाता है ।

रिज़र्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम के अलावा, केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम पदान करती है, लेकिन जो रिज़र्व बैंक की तरह, मौद्रिक विस्तार का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। 2000-01 से 2006-07 (बअ) के दौरान राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम (सकल) के आंकड़े, जैसे कि राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में दिए गए हैं, विवरण 40 में दिए गए हैं। ऐसे अग्रिमों की कुल राशि 2002-03 (12 राज्य) में 3,329 करोड़ रुपए से लगातार घटकर 2005-06 (राअ) (3 राज्य) में 500 करोड़ रुपए हो गई है तथा 2006-07 (2 राज्य) में और घटकर 450 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। विशेष वर्ग के राज्यों में नागालैण्ड के लिए ऐसे अग्रिमों का बजट प्रावधान किया गया है जबकि 2006-07 के दौरान गैरविशेष वर्ग के राज्यों के बीच केरल ने ऐसे अग्रिमों के लिए बजट का प्रावधान किया है। यह संभवतः उनके बजट पर निरंतर अल्पकालिक चलनिधि दबावों की प्रत्याशा को परिलक्षित करता है।

VI.4 आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं की ओर से गारंटी और लैटर ऑफ कम्फर्ट जारी करती रही हैं जिससे सार्वजनिक निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें संसाधन जुटाने में आसानी हो सके। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि राज्य ऐसे निवेशों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान नहीं करते हैं।

राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां मार्च 2000 के अंत में 1,32,029 करोड़ रुपए (जीडीपी का 6.7 प्रतिशत) से बढ़कर मार्च 2004 के अंत में 2,14,149 करोड़ रुपए (अर्थात जीडीपी का 7.8 प्रतिशत) हो गईं (सारणी 39 और विवरण 44) । आकस्मिक देयताएं प्रत्यक्ष तौर पर राज्यों के ऋण भार का हिस्सा नहीं बनती। तथापि, उधार लेनेवाली एजेंसी के द्वारा चूक करने पर, राज्यों द्वारा ऋण चुकाने के दायित्वों को पूरा करना होगा। गारंटियों के बढ़ते स्तर के राजकोषीय निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, कई राज्यों ने एफआरएल अथवा अन्य के माध्यम से गारंटियों पर सीमाएं (वैधानिक अथवा प्रशासनिक) निर्धारित करना शुरू कर दिया है और वे, जैसाकि टीएफसी ने सिफारिश की है, निर्धारित गारंटी फीस के माध्यम से गारंटी शोधन निधि स्थापित करने की प्रक्रिया में भी हैं।

सारणी 39 : राज्य सरकार की बकाया गारंटियां

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राशि	सघउ का प्रतिशत
1	2	3
1991-92	40,158	6.1
1992-93	42,515	5.7
1993-94	48,865	5.7
1994-95	48,479	4.8
1995-96	52,631	4.4
1996-97	65,339	4.8
1997-98	73,751	4.8
1998-99	79,457	4.6
1999-00	132,029	6.7
2000-01	168,719	8.0
2001-02	165,386	7.2
2002-03 (अ)	184,294	7.5
2003-04 (अ)	219,658	8.0
2004-05 (अ)	204,426	6.5

अ : अनंतिम

स्रोत : 17 प्रमुख राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी एवं राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

VI.5 राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन

राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्याकन न केवल उनकी बकाया देयताओं के समग्र स्तर बल्कि उन अनेक संकेतकों पर भी निर्भर है जो ऋण की वहनीयता को निर्धारित करते हैं।

VI.5.1 ब्याज भुगतान

राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतानों का अनुपात जो ऋण वहनीयता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, 1990-91 में 13.0 प्रतिशत से 2003-04 में 25.8 प्रतिशत तक के उच्च स्तर पर तीव्रता से घटा, लेकिन इसके पश्चात व्यापक रूप से डीएसएस (2002-03 से 2005-05 तक) के कारण कम हुआ। 2006-07 के दौरान इसके 19.1 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। जैसाकि बारहवें वित्त आयोग ने राज्य वित्तों के लिए पुनर्व्यवस्थित मार्ग बताया है, इस अनुपात को सभी राज्यों द्वारा धीरे-धीरे टीएफसी की निर्धारित अवधि के सीमांत वर्ष (2009-10) की समाप्ति तक 15 प्रतिशत तक कम किए जाने की आवश्यकता है। ब्याज भुगतानों का अधिक भार राजस्व घाटे को और परिणाम स्वरूप सकल राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। फलतः राज्य वित्त में घाटे, ऋण और ब्याज भुगतानों का दुष्चक्र शुरू हो जाता है (चार्ट 17)।

हाल के वर्षों में ऋण वृद्धि में हुई कमी इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकारों ने राजस्व घाटे और फलस्वरूप, सकल राजस्व

चार्ट 17 : घाटा, ऋण और ब्याज भार

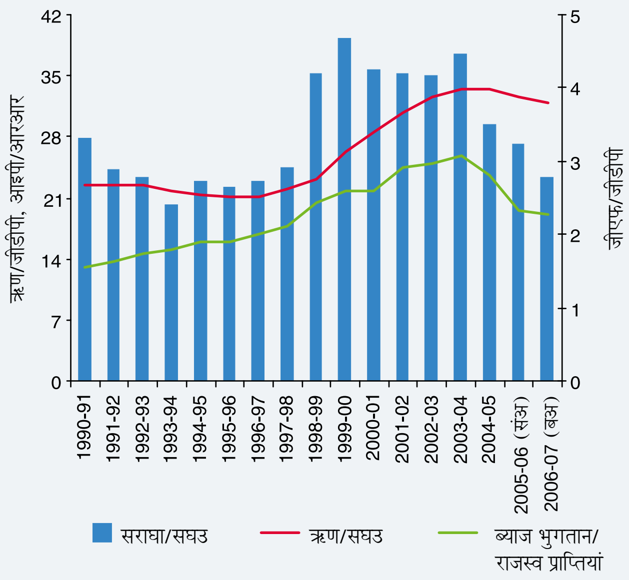

घाटे को कम करने के प्रयास किए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण राहत ने हाल के वर्षों में ऋण के स्तर को कम करने में मदद की है। इसके अलावा, ऋण राहत के लिए टीएफसी की सिफारिशों ने इस प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। हाल की ऋण स्वैप योजना (अर्थात केंद्र को उच्च लागत ऋण का पूर्व भुगतान) सहित राज्य और केंद्र सरकार द्वारा की गई अनेक पहलों का प्रभाव, राज्य सरकारों के बकाया ऋण के औसत ब्याज दर में 1999-2000 में 11.2 प्रतिशत के शीर्ष से 2003-04 में 10.2 प्रतिशत की, कमी के रूप में दिखा और 2006-07 में इससे 8.6 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है (सारणी 40)।

ऑस्ट्रेलिया में उप राष्ट्रीय सरकारों द्वारा ऋण प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय अनुभव संक्षेप में बॉक्स 4 में दिए गए हैं।

VI.5.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के परिपक्वता स्वरूप के संबंध में, मार्च 2006 के अंत में राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के बकाया ऋण लगभग 44 प्रतिशत 4-8 वर्ष की परिपक्वता

सारणी 40 : राज्य सरकार की बकाया देयताओं पर औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

वर्ष	औसत ब्याज दर*
1	2
1991-92	8.5
1992-93	9.0
1993-94	9.4
1994-95	10.3
1995-96	10.1
1996-97	10.2
1997-98	10.5
1998-99	10.7
1999-00	11.2
2000-01	10.0
2001-02	10.4
2002-03	10.0
2003-04	10.2
2004-05	9.5
2005-06 (संअ)	8.5
2006-07 (बअ)	8.6

* : चालू वर्ष के ब्याज भुगतान को पिछले वर्ष की बकाया देयताओं द्वारा भाग देकर परिकलित

स्रोत : सारणी 29 के अनुसार।

बॉक्स 4: ऑस्ट्रेलिया में उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा ऋण प्रबंधन

ऑस्ट्रेलिया में सरकार का संघात्मक स्वरूप है और राज्य सरकारों के ऋण के प्रबंधन के लिए एक अनोखी प्रणाली का अनुगमन करती है। 1923 में आस्ट्रेलियन ऋण परिषद बनाई गई और 1929 में वित्तीय करार वैधीकरण अधिनियम के माध्यम से इसे विधायी और संवैधानिक अनुसमर्थन प्रदान किया गया। 1984 तक, राज्य राष्ट्रकुल सरकार के माध्यम से ऋण लेते थे लेकिन इसके पश्चात, राज्यों को अनुमति दी गई कि वे ऋण परिषद द्वारा निर्धारित की गई वैश्विक सीमाओं के अंतर्गत अपने वित्त स्वयं जुटाएं। परिषद प्रत्येक राज्य की वैश्विक ऋण सीमा की चर्चा करती है और ऐसी सीमाओं के अंतर्गत अनुपालन की निगरानी रखती है। निगरानी बकाया ऋण के विश्लेषण के पहले और बाद में की जाती है। इन सीमाओं को राज्यों द्वारा वित्तीय न की गई तकनीक के माध्यम से इन्हें प्रतिस्थापित करने के सफल प्रयास के आलोक में 90 के प्रारंभिक दशक में इन सीमाओं को हटा दिया गया। बजटेतर परिचालनों, नवोन्मेषी वित्तपोषण तकनीकों तथा राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों से उधार का सहारा लेने जैसी ऋण सीमाओं से बचने के प्रयास राज्य उधारों की विशेषताएं हैं। इसलिए, ऋण परिषद ने 1993 में पूर्व विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने और बाद में प्रत्येक राज्य की निवल वित्त पोषण की आवश्यकताओं की निगरानी करने का फैसला किया। इसमें राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने वित्तों से संबंधित गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए अपने वार्षिक बजट परिचालनों के विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करें। राज्य उधारों पर बाजार अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए, परिषद इन सूचनाओं के संग्रहण और उन्हें समय पर प्रचारित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में ऋण परिषद व्यवस्था उधार सीमा पर दृढ़ रहने के बजाय, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीयन की पारदर्शिता पर जोर देती है।

राज्य उधारों पर केंद्रीय नियंत्रण कम होने से, अलग-अलग राज्यों ने अपने राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ़ किया है। 1980 के दशक में एक नया निकाय बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया की सरकारों की परिषद ने निम्न प्रकार अनेक उपाय किए हैं:

- राज्य बजट-पत्रों में आय, व्यय, घाटा, वित्तीय आस्तियां, ऋण और अनिधीकृत देयताओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मानक फार्मेट पर सहमति।
- राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति अपनाना जिसके द्वारा राज्य सरकारें अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को शामिल करने वाले सभी विधेयकों की समीक्षा करने पर सहमत हुई जिससे प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध व्यवहारों को समाप्त किया जा सके।
- राष्ट्रीय प्रकाशनों के दो सेटों में सभी राष्ट्रीय उद्यमों और बड़ी सरकारी एजेंसियों के निष्पादक संकेतक प्रकाशित करने में सहयोग करना।

ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन ऋण परिषद कुल सार्वजनिक ऋण और विभिन्न सरकारों के बीच उसका वितरण निर्धारित करती है लेकिन, व्यवहार में बाजार प्रणाली कार्य करती है। ऑस्ट्रेलिया के सात प्रांतीय कोषागार निगमों को, राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराना, नकदी प्रबंधन और राजकोषीय जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी मूल जिम्मेदारी में शामिल हैं :

- राज्यों की दीर्घकालिक निधीयन आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक किफायती तरीके से स्रोत उपलब्ध कराना,
- राज्य और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को वित्तीय जोखिम प्रबंधन सेवाएं और परामर्श देना, और
- राज्यों के अल्पकालिक से मध्यकालिक नकदी अधिशेषों का निवेश करना जिससे रुढ़िवादी जोखिम प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत प्रतिलाभों के उद्देश्य को अधिकतम रुप से बढ़ाया जा सके।

उपर्युक्त के अलावा, कोषागार निगमों ने निम्नलिखित सेवाएं दी है :

- निरंतर आधार पर वित्तीय जोखिमों के पहचानने और प्रबंधन के लिए लागत सुधार आधार पर, पेशेवर कौशल और संसाधनों तक पहुँच सलभ कराना,
- वित्तीय संरचनाओं और लेन-देनों पर ज्ञान और विशेष पता के केंद्रीय संग्रह के रूप में कार्य करना और जोखिमों तथा लाभों के लिए भी।
- वित्तीय और वाणिज्यिक नीति तथा राज्यों और इसके निकायों से संबंधित वित्तीय और वाणिज्यिक जोखिमों के मामले में स्वतंत्र सलाह देना,
- सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना,

स्रोत : ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों के कोषागार निगम

सीमा के अंतर्गत था, जबकि 21 प्रतिशत 0-4 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत और 35 प्रतिशत 8 प्रतिशत की सीमा से ऊपर था (सारणी 41)।

ऋण स्वैप योजना के अंतर्गत 2002-03 से 2004-05 के दौरान उधारों की अधिक लागत के कारण 2012-13 से 2015-16 के दौरान बाजार उधारों के परिपक्वता स्वरूप में चुकौती में वृद्धि दिखी (सारणी 42) (देखें विवरण 35-36 भी)। बकाया बाजार ऋण के राज्यवार और प्रतिभूति-वार ब्यौरे विवरण 33 और 34 में दिए गए हैं।

ऐसे विषय, जिसका राज्य सरकारों की चलनिधि प्रबंध पर प्रभाव पड़ता है, उनके नकदी अधिशेष से संबंधित है राज्य सरकारों के पास नकदी अधिशेष के अत्यधिक होने की स्थिति हाल के वर्षों में 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में उनके निवेश में हुई तेज वृद्धि में परिलक्षित हुई। 2005-06 के दौरान, 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में निवेश का औसत पिछले वर्ष (10,561 करोड़ रुपए) से तीन गुने (35,028 करोड़ रुपए) से अधिक था। मार्च 2005 के अंत में बकाया निवेश 14,314 करोड़ (16 राज्यों द्वारा) से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में (विवरण 41) 38,983 करोड़ रुपए (24 राज्यों द्वारा) और फिर 39,610 करोड़ रुपए (16 नवंबर 2006 को 25 राज्य) हो गए। 2006-07 के दौरान (31 अक्तूबर 2006 तक) 14 दिवसीय खज़ाना बिलों में राज्यों का साप्ताहिक औसत निवेश 41,219 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी

सारणी 41 : बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता का स्वरुप
(मार्च 2006 के अंत में)

राज्य	कुल बकाया राशि का प्रतिशत		
	0 - 4 वर्ष	4 – 8 वर्ष	8 वर्ष से अधिक
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	25.4	47.6	27.0
2. अरुणाचल प्रदेश	10.8	35.6	53.5
3. असम	22.8	40.9	36.2
4. बिहार	22.5	44.3	33.3
5. छत्तीसगढ़	24.3	43.2	32.5
6. गोवा	22.2	43.9	33.8
7. गुजरात	18.2	53.6	28.2
8. हरियाणा	19.6	43.5	36.9
9. हिमाचल प्रदेश	12.7	47.8	39.5
10. जम्मू और कश्मीर	15.3	53.6	31.1
11. झारखंड	23.2	46.3	30.6
12. कर्नाटक	21.6	45.7	32.7
13. केरल	22.8	41.2	36.0
14. मध्य प्रदेश	21.8	39.4	38.7
15. महाराष्ट्र	15.7	42.0	42.3
16. मणिपुर	17.2	27.6	55.2
17. मेघालय	24.1	32.6	43.2
18. मिजोरम	16.6	37.8	45.6
19. नागालैंड	23.2	40.3	36.4
20. उड़ीसा	27.4	42.4	30.2
21. पंजाब	18.5	43.1	38.4
22. राजस्थान	24.9	45.0	30.1
23. सिक्किम	33.1	20.1	46.8
24. तमिलनाडु	19.6	47.1	33.3
25. त्रिपुरा	20.9	31.9	47.1
26. उत्तर प्रदेश	27.4	39.0	33.6
27. उत्तरांचल	10.5	52.1	37.5
28. पश्चिम बंगाल	15.8	43.2	41.0
सभी राज्य (1 से 28)	**21.4**	**44.0**	**34.6**

स्रोत : सारणी 31 के अनुसार ।

अवधि के 30,081 करोड़ रुपए की तुलना में काफी अधिक था (चार्ट 18)।

ऐसा दूसरा विषय, जिसका राज्य सरकारों के चलनिधि प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है, उनके ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष से संबंधित है। एक बड़ी संख्या में राज्य सरकारों (9 विशेष वर्ग और 12 गैर-विशेष वर्ग के) ने 2006-07 के बजट अनुमानों में ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष की स्थिति दिखाई, जिसमें (-) 4 करोड़ (पश्चिम बंगाल) (-) 1,659 करोड़ (जम्मू और कश्मीर) का अंतर था। इनमें से अनेक राज्यों में विगत में ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष दिखा।

सारणी 42 : बकाया राज्य ऋण एवं पावर बांड की परिपक्वता का स्वरुप
(मार्च 2006 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राज्य ऋण	पावर बांड	कुल
1	2	3	4
2006-07	6,551	1,579	8,130
2007-08	11,555	3,158	14,713
2008-09	14,400	3,158	17,558
2009-10	16,511	3,158	19,669
2010-11	15,870	3,158	19,028
2011-12	22,032	3,158	25,190
2012-13	30,628	3,158	33,786
2013-14	32,078	3,158	35,236
2014-15	33,384	3,158	36,542
2015-16	35,191	3,158	38,349
2016-17	10,698	1,579	12,277
जोड़	**228,898**	**31,581**	**260,479**

स्रोत : रिज़र्व बैंक अभिलेख के अनुसार ।

प्रारंभिक नकदी की कमी प्रत्याशित चलनिधि की समस्या की ओर संकेत करती हैं, जो उस सीमा तक बढ़ सकती हैं जिस सीमा तक वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां कुल व्ययों (अर्थात, पारंपरिक बजट घाटा) से कम पड़ती हैं, जब तक कि इन्हें अतिरिक्त संसाधन जुटाकर पूरा नहीं किया जाता। इससे नकदी/निवेश शेषों के आहरण अथवा रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय/ओडी का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ेगी।

चार्ट 18 : राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में निवेश (साप्ताहिक औसत)

VI.5.3 राज्य सरकारों के ऋण और टीएफसी - समेकन और छूट

द्वितीय वित्तीय आयोग प्रथम या जिसने राज्य ऋण के मुद्दे को संबोधित किया जबकि छठे आयोग से आगे राज्य ऋण विचाराधीन विषय रहा है। राज्यों की ऋण स्थिति के आकलन के लिए, टीएफसी ने ऐसे दो संकेतकों अर्थात, आईपी-आरआर और ऋण-जीडीपी अनुपात के लिए लक्ष्यों की सिफारिश की है। 2009-10 तक प्राप्त किया जाने वाला आईपी-आरआर के लिए लक्ष्य 15.0 प्रतिशत और ऋण-जीडीपी का 30.8 प्रतिशत है। टीएफसी ने राज्य सरकारों के लिए एक ऋण राहत पैकेज भी प्रस्तुत किया है जिसके दो घटक है अर्थात, (i)ऋण राहत की एक सामान्य योजना जो सभी राज्यों पर लागू होगी, (ii)राज्यकोषीय निष्पादन से संबंधित बट्टाखाता में डालने वाली योजना जिससे 2008-09 तक राजस्व शेषों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा सके। एनएसएसएसएफ से राज्यों को दिए गए उधार ऋण राहत की सीमा से बाहर रखे गए हैं क्योंकि निधि को सार्वजनिक खाते में रखा जाता है। ऋण राहत की सामान्य योजना के अंतर्गत, राज्यों को दिए गए सभी केंद्रीय ऋण 31 मार्च 2004 तक घट गए और बकाया को 31 मार्च 2005 (1,28,795 करोड़ रुपए की राशि) तक समेकित किया जाएगा तथा ब्याज दर 7.5 प्रतिशत रखी जाएगी जिसकी सीमा अवधि 20 वर्ष होगी। यह राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधायन बनाने के अधीन होना। कार्यावधि के दौरान सभी राज्यों के लिए ऋण राहत ब्याज भुगतानों में 21,276 करोड़ रुपए और चुकौती में 11,929 करोड़ रुपए होगी (सारणी 43)।

सारणी 43 : केंद्र से लिए गए ऋण की बकाया राशि, चुकौती एवं ऋण राहत

(करोड़ रुपए)

राज्य	बकाया शेष 31.03.2004 को	कुल देय भुगतान 2005 से 2010 तक	ऋण राहत (2005-2010)	
			चुकौती भुगतान	ब्याज
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	18,545.00	4,573.93	739.64	2,683.74
2. अरुणाचल प्रदेश	409.40	117.37	19.98	71.73
3. असम	2,939.83	1,032.57	507.62	153.87
4. बिहार	10,181.29	2,546.47	620.45	1,268.27
5. छत्तीसगढ़	2,748.11	716.35	146.03	393.77
6. गोवा	585.56	171.19	39.06	94.66
7. गुजरात	14,037.04	3,465.13	849.15	1,840.02
8. हरियाणा	3,627.74	839.73	258.30	387.67
9. हिमाचल प्रदेश	1,777.37	275.94	69.88	134.79
10. जम्मू और कश्मीर	2,697.73	635.22	161.38	264.02
11. झारखंड	3,052.48	864.43	204.94	454.49
12. कर्नाटक	10,555.40	2,510.86	431.32	1,529.43
13. केरल	5,517.28	1,442.19	379.14	715.03
14. मध्य प्रदेश	8,977.66	2,491.76	616.66	1,310.98
15. महाराष्ट्र	16,166.55	3,086.34	1,133.12	1,217.39
16. मणिपुर	777.11	480.68	292.14	27.26
17. मेघालय	356.65	95.08	14.82	56.49
18. मिजोरम	290.56	75.16	7.31	50.54
19. नागालैंड	341.33	101.50	21.35	56.06
20. उड़ीसा	8,965.24	2,624.14	872.85	1,008.43
21. पंजाब	5,396.83	1,114.90	351.48	523.18
22. राजस्थान	9,605.40	2,446.16	737.77	962.25
23. सिक्किम	208.45	58.76	10.69	33.96
24. तमिलनाडु	9,180.55	2,406.84	688.67	1,195.47
25. त्रिपुरा	555.96	142.29	24.77	123.97
26. उत्तर प्रदेश	27,407.35	6,138.16	1,553.04	3,132.68
27. उत्तरांचल	308.17	61.89	-10.13	37.70
28. पश्चिम बंगाल	19,056.02	3,612.55	1,187.48	1,547.81
जोड़ (1 से 28)	**184,268.06**	**44,127.60**	**11,928.91**	**21,275.65**

स्रोत : बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट।

ऋण बट्टे खाते में डालने की योजना के अंतर्गत, 31 मार्च 2004 तक संविदा आधार पर केंद्र से लिए गए ऋणों पर 2005-06 से 2009-10 तक देय चुकौती जिसे उपर्युक्तानुसार समेकित और पुनर्निधारित किए जाने की सिफारिश की गई है, बट्टा खाता में डालने के लिए पात्र होगी; यह संपूर्ण राशि से संबद्ध चुकौती के बट्टे खाते में डालने की राशि के अधीन होगा, जिसके कारण कार्य-अवधि के दौरान प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष में राजस्व घाटा कम होता जाएगा और राज्य का राजकोषीय घाटा 2004-05 के स्तर पर सीमित किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत भी ऋण राहत का लाभ उठाने के लिए एफआरएल कानून बनाना एक अपरिहार्य आवश्यकता होगी जिसके लाभ भविष्य में उपचित होंगे।

टीएफसी की सिफारिशां के आधार पर 2005-06 के दौरान 19 राज्य सरकारों को दी जाने वाली राहत 5,787 करोड़ रुपए होगी जिसमें ब्याज का हिस्सा 4,459 करोड़ रुपए होगा और शेष मूल धन के लिए राहत होगी[11]। यह कहना होगा कि जुलाई 2006 के अंत तक 9 राज्यों को दी गई ऋण छूट 3,245 करोड़ रुपए थी। (विवरण 47-48)।

VII. सामाजिक क्षेत्र के व्यय[12]

VII.1 सामाजिक क्षेत्र के व्यय का महत्व

सरकारी सामाजिक क्षेत्र के व्ययों के द्वारा आर्थिक वृद्धि के मानवीय विकास में लगाने की महत्वपूर्ण भूमिका इसकी पाठ्यसामग्री में भलीभांति दी गई है (बॉक्स-5)।

बॉक्स 5 : सरकारी सामाजिक क्षेत्र व्यय, आर्थिक वृद्धि और मानवीय विकास सिद्धांत और प्रमाण

आर्थिक वृद्धि और मानवीय विकास के बीच संबंधों का सैद्धांतिक, आधार दस्तावेजों से भली प्रकार समर्थित है (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएडीपी), 1990, आनंद और रैवेलियन, 1993 घोष, 2006)। आर्थिक वृद्धि का तीन विभिन्न चैनलों के माध्यम से मानवीय विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है (i) प्रति व्यक्ति आय के सामान्य स्तर में वृद्धि के द्वारा (ii) निर्धनता घटाकर (iii) शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक सार्वजनिक व्यय के द्वारा। ऐसी आशा है कि प्रति व्यक्ति आय के सामान्य स्तर में वृद्धि से शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल की मांग के बढ़ने की संभावना है और इससे देश के मानवीय विकास में सुधार लाया जा सकता है। दूसरे, निर्धनता निवारण से जुड़ी आर्थिक वृद्धि गरीबों की एक बड़ी संख्या को वृद्धि के फल चखा सकती है और इस प्रकार मानवीय विकास के संकेतकों पर अच्छा प्रभाव डाल सकती है। किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का यह अधिक गरीब तबका है जो मानवीय विकास के तत्वों से अधिक वंचित है। तीसरा माध्यम, जिसके द्वारा वृद्धि मानवीय विकास में सुधार ला सकती है, सामाजिक क्षेत्र पर बढ़े हुए सार्वजनिक व्यय के द्वारा है। अर्थव्यवस्था के राजस्व आधार को बढ़ाने से आर्थिक वृद्धि राज्यों को सामाजिक क्षेत्रों पर अधिक व्यय करने में समर्थ बनाएगी। स्पष्ट रूप से यह राजस्व संग्रह की अधिकता, जिससे राज्य बजट की कठिनाइयां कम हुई और सामाजिक क्षेत्र के लिए आनुपातिक रूप से आबंटित करने के लिए राजनैतिक इच्छा दोनों पर निर्भर होगी। इस प्रकार, यदि आर्थिक वृद्धि का मानव विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इससे ऐसी समुचित नीतियां अपनाने की आवश्यकता होगी जो आय असमानताओं और उच्च सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को कम करने की ओर लक्षित होंगी और इसके विपरीत, यदि लंबे समय तक आर्थिक वृद्धि को वहनीय बनाए रखना है तो इसे बेहतर मानवीय पूंजी के द्वारा समर्थन देना होगा (यूनएडीपी, 1990)।

किसी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक वृद्धि सभी तीन माध्यमों से मानव विकास को प्रभावित कर सकती है। तथापि, ऐसे भी अध्ययन हुए हैं जिसने सार्वजनिक व्यय माध्यमों की महत्ता को दुहराया है, यह मानव विकास को सुधारने में आर्थिक वृद्धि के ट्रिकलिंग डाउन माध्यम के अतिरिक्त है। जीवन आयु को बढ़ाने में वृद्धि माध्यम और सार्वजनिक व्यय माध्यम से सापेक्षिक महत्व पर विचार करते हुए एक देश व्यापी अध्ययन से पता चला है कि स्वास्थ्य की देखभाल में सार्वजनिक व्यय का जीवन-आयु बढ़ाने में दो-तिहाई योगदान था और निर्धनता में कमी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि का केवल एक-तिहाई योगदान था (आनंद और रेवेलियन, 1993)। तथापि, साक्षरता के मामले में, अध्ययन को शिक्षा पर सार्वजनकि व्यय के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। फिर भी, श्रीलंका जैसे देश हैं जिन्होंने विकासशील देश होने के बावजूद सापेक्षिक तौर पर अधिक मानवीय विकास किया है। श्रीलंका में, सामाजिक क्षेत्र पर अधिक सार्वजनिक व्यय के द्वारा अपनाई गई समर्थित नीतियों को इस पुस्तक में व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है (ड्रेज एंड सेन, 1989)। भारत में एक अंतरराज्यीय अध्ययन भी बहलाता है कि जबकि राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय में विषमता बढ़ रही है, सामाजिक विकास में विषमता कम हो रही है, जो मानवीय विकास को प्राप्त करने में सार्वजनिक सामाजिक क्षेत्र के व्यय की महत्ता की ओर संकेत करता है (घोष, 2006)।

संदर्भ :

1. आनंद, एस एंड रेवेलियन, एम (1993), ह्यूमन डेवलपमेंट इन पुअर कंट्रीज : ऑन द रोल ऑफ प्राइवेट इनकम एंड पब्लिक सर्विसेज, जर्नल ऑफ इकनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, वाल्यूम 7 संख्या 1।
2. ड्रेज, जे एंड सेन, ए.के.)1989), 'हंगर एंड पब्लिक एक्शन' आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क।
3. घोष, एम (2006), 'इकनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलमपेंट इन इंडियन स्टेट्स' इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली वाल्यूम 40 सं.30।
4. यूएनडीपी)1990), मानव विकास रिपोर्ट ।

[11] वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार।

[12] सामाजिक क्षेत्र के व्ययों में सामाजिक सेवा, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह तथा राजस्व व्यय के अंतर्गत भंडारण, पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम के व्यय शामिल हैं।

VII.2 सामाजिक क्षेत्र के व्यय - कुल स्थिति

भारत में सामाजिक क्षेत्र के व्ययों की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है। राज्यों के सामाजिक क्षेत्र के व्यय का औसत 1990 के दशक के दौरान जीडीपी का 5.8 प्रतिशत था, लेकिन वर्तमान दशक में इसमें थोड़ी-सी कमी आई है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 1990 के दशक में राज्यों के कुल व्यय का औसत 15.6 प्रतिशत था और इसके पश्चात इसमें वृद्धि हुई। कुल व्यय की तुलना में एसएसई के अनुपात के रूप में परिभाषित सामाजिक क्षेत्र को राजकोषीय प्राथमिकता 1990 के दशक में औसतन लगभग 37 प्रतिशत रही है। इस अनुपात में 1998-99 से गिरने की प्रवृत्ति दिखी है जो 2004-05 में 29.7 प्रतिशत पहुंच गई है (सारणी 44 और चार्ट 19)। तथापि, सामाजिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय 1990-91 से 2000-01 की अवधि के दौरान लगभग तीन गुनी अर्थात 420 रुपए से 1,244 रुपए बढ़ी। किसी अर्थव्यवस्था मे एसएसई के अनुकूलतम आकार से संबंधित विषय में बहुत कम सहमति है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, मानवीय विकास के स्तर, जनसंख्या और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के चरण पर निर्भर होगा। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अपनी मानव विकास (रिपोर्ट 1991) में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित न्यूनतम लक्ष्य व्यय अनुपात (जीडीपी की तुलना में कुलव्यय का न्यूनतम लक्ष्य 0.25 प्रतिशत है, कुल व्यय की तुलना में एसएसई 0.4 प्रतिशत है, एसएसई की तुलना में मूल सामाजिक सेवाओं[13] पर व्यय 0.05 है और जीडीपी की तुलना में मूल सामाजिक सेवाओं पर व्यय 0.05 है) दिए हैं जिससे आशा है कि अर्थव्यवस्था में मानवीय विकास के पहलू को फायदा पहुंचेगा। ऐसे लक्ष्यों की सबलता के बावजूद, इन

चार्ट 19 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां (साक्षेव्य)

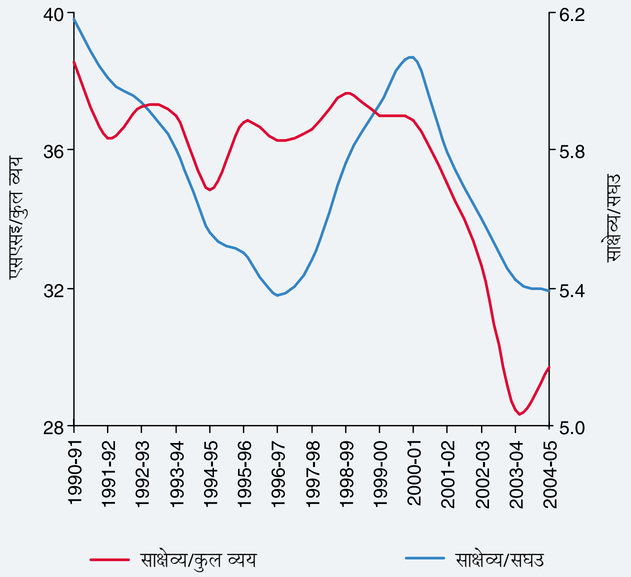

लक्ष्यों की तुलना दर्शाती है कि भारत में एसएसई का स्तर तुलनात्मक रूप से कम है।

VII.3 सामाजिक क्षेत्र के व्यय : संघटन

1990-2005 के दौरान एसएसई की संघटना के अनुसार, राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम क्रमशः 92 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत थे (सारणी 45 और परिशिष्ट सारणी 22.23)। इससे पता चलता है कि कुल एसएसई का केवल 8 प्रतिशत देश के सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश (अर्थात पूंजी व्यय जिसमें पूंजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम शामिल है) के लिए उपलब्ध है । उपर्युक्त अवधि के दौरान, पूंजी

सारणी 44 : राज्य सरकार के कुल सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

मदें	1990-95 (औ.)	1996-00 (औ.)	2001-05 (औ.)	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)
1	2	3	4	5	6
कुल व्यय/सघउ	16.0	15.2	17.5	17.2	16.9
साक्षेव्य/सघउ	5.9	5.6	5.7	6.0	5.9
साक्षेव्य/कुल व्यय	36.8	36.9	32.5	34.9	34.9
पीसीएसएसइ (रुपए)	420	-	1,244	-	-

औ : औसत साक्षेव्य : सामाजिक क्षेत्र के व्यय पीसीएसएसइ : प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय '-' : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : पीसीएसएसइ दो समय बिंदु अर्थात् 1990-91 तथा 2000-01 से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज एवं जनगणना रिपोर्ट, भारत सरकार।

13 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अध्ययन के अनुसार, मूल सामाजिक सेवाओं से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सेवा, कम लागत जल तथा स्वच्छता और पोषण कार्यक्रम से है।

व्यय के अंतर्गत एसएसई को ऋण और अग्रिम (राज्य सरकारों द्वारा अप्रत्यक्ष एसएसई) तथा पूंजी परिव्यय क्रमशः 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत थे। इस प्रकार, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों के प्रत्यक्ष व्यय (अर्थात पूंजी परिव्यय) राज्य सरकारों के एसएसई के एक छोटा अनुपात थे अर्थात 1990 के दशक के दौरान 4 प्रतिशत लेकिन 2000-01 से 2004-05 के दौरान इसमें लगभग 8 प्रतिशत का सुधार हुआ। पूंजी परिव्यय का कम समानुपात और रिहायशी स्थानों के आसपास सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की अपर्याप्त उपलब्धता भी भारत के कई राज्यों में बड़ी चिंता का कारण रही है इसलिए सामाजिक क्षेत्र में, खास तौर से पूंजी परिव्यय में, संसाधनों का अधिक से अधिक आबंटन आवश्यक है।

VII.4. सामाजिक क्षेत्र के व्यय - सामाजिक सेवाएं

बजट शीर्षों के आधार पर, सामाजिक क्षेत्र के व्यय के घटक हैं : सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह तथा भंडारण पर व्यय जबकि सामाजिक सेवाओं के 12 उप शीर्ष हैं। एसएसई के इन तीन घटकों में सामाजिक सुरक्षा पर व्यय बड़ा घटक है इसके पश्चात ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह तथा भंडारण आता है (सारणी 45)।

सामाजिक सेवाओं के घटकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षा पर व्यय बड़ा घटक रहा है इसके पश्चात सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा पर व्यय शामिल है जो लगभग 1990-2005 की अवधि के दौरान लगभग 52 प्रतिशत है (सारणी 46 और चार्ट 20) जिसमें राजस्व व्यय 58 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य पर व्यय जो गिर रहा था, औसतन, सामाजिक सेवाओं पर व्यय का 13.5 प्रतिशत था, जिसमें 94 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इस अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं पर अन्य महत्वपूर्ण व्यय जलापूर्ति और स्वच्छता (7.4 प्रतिशत) तथा अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्गों के (6.4 प्रतिशत) के कल्याण से संबंधित थे। यह उल्लेखनीय है कि राजस्व व्यय का अत्यधिक अनुपात सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के बताने के लिए उपलब्ध स्रोतों को सीमित करता है। यह कहा जा सकता है कि राजस्व व्यय में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूंजीगत आस्तियों के परिचालन और रखरखाव के व्यय भी शामिल हैं।

सारणी 45 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियां

(एसएसइ का प्रतिशत)

मदें	राजस्व व्यय	पूंजी परिव्यय	ऋण तथा अग्रिम	जोड़ (2+3+4)
1	2	3	4	5
1990-91 से 1994-95 (औ.)				
सामाजिक सेवाएं	78.9	3.9	2.5	**85.2**
ग्रामिण विकास	13.5	0.4	0.0	**13.9**
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.7	0.2	0.0	**0.9**
जोड़	**93.2**	**4.4**	**2.5**	**100.0**
1995-96 से 1999-00 (औ.)				
सामाजिक सेवाएं	82.1	4.0	2.3	**88.4**
ग्रामिण विकास	10.0	0.4	0.0	**10.4**
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	1.0	0.1	0.1	**1.3**
जोड़	**93.1**	**4.5**	**2.4**	**100.0**
2000-01 से 2004-05 (औ.)				
सामाजिक सेवाएं	80.6	5.6	2.4	**88.6**
ग्रामिण विकास	8.5	1.5	0.0	**10.0**
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.5	0.1	**1.4**
जोड़	**89.8**	**7.7**	**2.5**	**100.0**
2005-06 (संअ)				
सामाजिक सेवाएं	77.3	7.8	2.2	**87.4**
ग्रामिण विकास	9.4	2.2	0.0	**11.6**
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.1	0.2	**1.0**
जोड़	**87.5**	**10.1**	**2.4**	**100.0**

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

सारणी 46 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय (राजस्व एवं पूंजी लेखे)

(सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत)

मदें	1990-95 (औ.)	1996-00 (औ.)	2001-05 (औ.)	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)
1	2	3	4	5	6
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय (क से ठ)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	52.2	52.1	51.1	46.9	46.7
(ख) चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.7	11.9	11.9	12.4
(ग) परिवार कल्याण	0.0	2.4	2.0	1.8	1.8
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	7.2	7.4	7.6	7.8	7.4
(ड) आवास	2.9	2.9	2.8	2.5	3.0
(च) शहरी विकास	2.3	2.9	4.0	4.9	6.4
(छ) अनुजा, अनुजजा एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.5	6.3	6.3	7.3	6.8
(ज) श्रम एवं श्रम कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.0
(झ) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.5	4.2	5.0	5.9	6.6
(त्र) पोषण	1.7	2.8	2.1	2.3	2.5
(ट) प्राकृतिक आपदा राहत	2.6	2.8	3.7	4.8	2.2
(ठ) अन्य	2.6	2.2	2.5	2.9	3.1

औ : औसत संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान
स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

VII.5 राज्यवार स्थिति

VII.5.1 गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में सामाजिक क्षेत्र के लिए निश्चित की गई राज्यों की आय (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का अनुपात अलग-अलग रहा (सारणी-47 और चार्ट-21)। वर्ष 2002-05 के दौरान सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान सबसे ऊपर है क्योंकि इसने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 12.0 प्रतिशत औसत खर्च किया। उसी अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा ने सामाजिक क्षेत्रों पर क्रमशः 4.6 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत खर्च किया। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों

चार्ट 20 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय के प्रमुख घटक (राजस्व एवं पूजी)

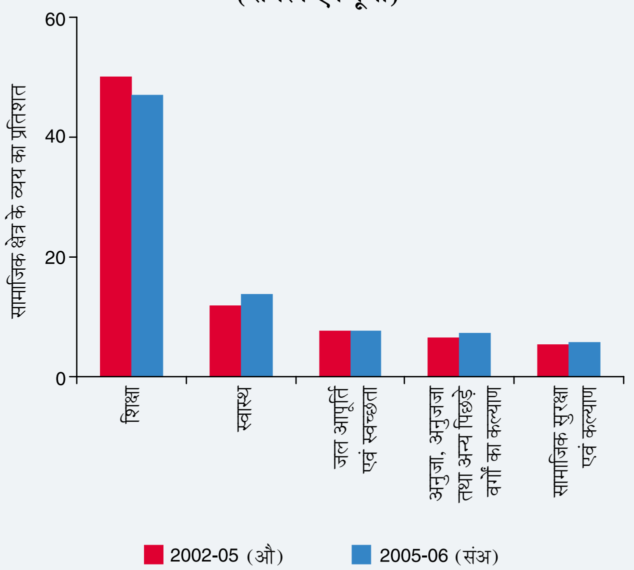

सारणी 47 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
5 से कम	हरियाणा, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पश्चिम बंगाल	पंजाब
5 – 6	महाराष्ट्र, गुजरात	गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
6 – 7	कर्नाटक, **तमिलनाडु,** उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र
7 – 8	गोवा, केरल, **मध्य प्रदेश**	**आंध्र प्रदेश,** कर्नाटक, तमिलनाडु
8 से अधिक	बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़	बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, **मध्य प्रदेश,** उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

चार्ट 21 : साक्षेव्य से सराघउ-गैर विशेष श्रेणी के राज्य

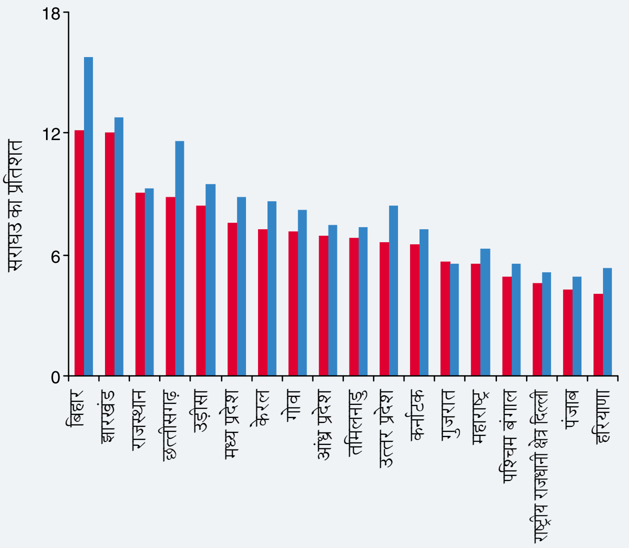

ने, 1990 के दशक के अंतिम भाग की तुलना में 2000-01 से लेकर 2004-05 के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के लिए अपनी आय का अपेक्षाकृत और अधिक भाग विनियोजित करना जारी रखा। इस अवधि में अन्य राज्यों के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में सामाजिक क्षेत्रों पर होने वाले खर्च में या तो कमी आई या इस खर्च का स्तर प्रायः पूर्ववत बना रहा। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान ने इस अवधि में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अपेक्षाकृत अधिक भाग विनियोजित किया (विवरण-49 भी देखें)।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता (अर्थात् कुल खर्च की तुलना में सामाजिक क्षेत्र पर हुए खर्च का अनुपात) का अनुपात 1990-95 की अवधि में लगभग 37.0 प्रतिशत था जो 2000-05 की अवधि में घटकर 33.0 प्रतिशत रह गया। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में 1990 के दशक की तुलना में 2000-05 की अवधि में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता में गिरावट आयी परंतु हरियाणा के मामले में इसमें मामूली वृद्धि हुई (विवरण-49 और 50)।

राज्यों के मामले में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता में भारी अंतर बना रहा तथा समग्र दृष्टि से कमी का रुख दिखाई दिया। 2000-01 से 2004-05 की अवधि में पंजाब ने अपने कुल व्यय का केवल 21.0 प्रतिशत भाग सामाजिक क्षेत्रों के लिए खर्च किया परंतु झारखंड ने इसके लिए 46.0 प्रतिशत खर्च किया। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में परंपरागत रूप से सामाजिक क्षेत्र के लिए उच्च राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की गई है जबकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने राजकोषीय प्राथमिकता को कम महत्व दिया (सारणी 48

सारणी 48 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (संअ)
1	2	3
30 से कम	गोवा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा	पंजाब, पश्चिम बंगाल
30 – 35	आंध्र प्रदेश, **मध्य प्रदेश,** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, बिहार, महाराष्ट्र	**मध्य प्रदेश,** गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, **मध्य प्रदेश,** उड़ीसा, उत्तर प्रदेश
35 – 40	राजस्थान, छत्तीसगढ़	बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
40 से अधिक	झारखंड	छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, राजस्थान

टिप्पणी : सुस्पष्ट अक्षर माध्य राज्य दर्शाते हैं ।

चार्ट 22 : साक्षेव्य से सकल व्यय-गैर विशेष श्रेणी के राज्य

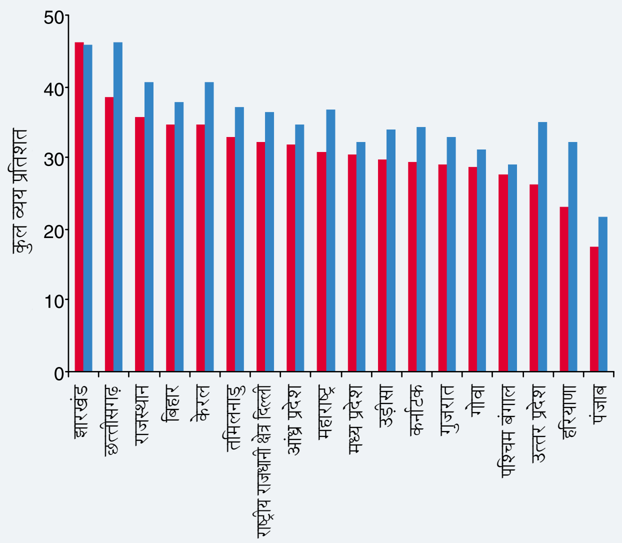

तथा चार्ट-22)। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे राज्यों के मामले में सामाजिक क्षेत्रों के लिए उनकी राजकोषीय प्राथमिकता में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट आयी लेकिन गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में 1990-2005 की अवधि में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता में अपेक्षाकृत कम कमी आई ।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र खर्च में भी अंतर रहा। वर्ष 2000-01 में (जिसके बारे में अंतिमतम आंकड़े उपलब्ध हैं), गोवा का प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र खर्च 3846 रुपए था जबकि उत्तर प्रदेश के मामले में यह खर्च 730 रुपए था (छत्तीसगढ़ में यह खर्च 464 रुपए था लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद वर्ष 2000-01 में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था इसलिए ये आंकड़े सही स्थिति नहीं भी दर्शा सकते हैं) । गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र खर्च 1990-91 से 2000-01 की अवधि में 20.3 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गोवा के मामले में 1990-91 से 2000-01 के दौरान यह राशि बढ़कर दो गुने से ज्यादा हो गयी। बिहार,उड़ीसा,मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, केरल और गुजरात के प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र खर्च में तीन गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई जबकि गुजरात के मामले में उसी अवधि में यह वृद्धि चार गुनी थी।

गैर-विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों (18 में से 17) में, 1990-91 से 2004-05 के अवधि के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च सामाजिक सेवाओं के लिए किये गये कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा था। लेकिन 2000-01 से 2004-05 की अवधि में सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य पर किये गये खर्च में भारी अंतर दिखाई दिया। बिहार के मामले में यह अधिकतम 77.0 प्रतिशत तथा गुजरात के मामले में 52.0 प्रतिशत था (छत्तीसगढ़ के मामले में यह 47.0 प्रतिशत था)। बिहार में केवल शिक्षा पर किया गया खर्च सामाजिक सेवाओं पर किये गये कुल खर्च के 65.0 प्रतिशत से अधिक है जबकि वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का यह खर्च केवल 38.0 प्रतिशत ही रहा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार के मामले में 1990-91 से 2004-05 की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर किये गये कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर किया गया खर्च बढ़ता रहा, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इस खर्च में गिरावट आती रही।

सामाजिक सेवा के कुल व्यय से स्वास्थ्य पर हुए व्यय के अनुपात के संदर्भ में 11 राज्यों[14] ने 1990-91 2004-05 की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई। 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान उक्त अनुपात में भारी अंतर था और यह एनसीटी दिल्ली में 19 प्रतिशत और गुंजरात में 9 प्रतिशत था। सामान्य रूप से, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे मानव विकास के कम स्तर वाले राज्यों ने भी सामाजिक सेवा के कुल व्यय से स्वास्थ्य पर व्यय के अनुपात के संदर्भ में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई।

VII.5.2 विशेष श्रेणी वाले राज्य

विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी वाले अधिकांश राज्यों ने सामाजिक क्षेत्रों पर उनकी जीएसडीपी का उच्च अनुपात व्यय किया। 2000-05 की अवधि के दौरान सामाजिक क्षेत्रों पर सिक्कीम ने जीएसडीपी का लगभग 29 प्रतिशत व्यय किया, जबकि असम ने 10 प्रतिशत व्यय किया (सारणी 49, विवरण 49-50 और चार्ट 23)। उच्च अनुपात के बावजूद, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ने 1990-05 की अवधि के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के लिए व्यय जीएसडीपी अनुपात के बाबत गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई।

सारणी 49 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (संअ)
1	2	3
10 से कम	असम	-
10 - 15	हिमाचल प्रदेश, **जम्मू और कश्मीर,** मेघालय, नागालैंड, उत्तरांचल, त्रिपुरा	असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नागालैंड
15 - 20	मणिपुर	जम्मू और कश्मीर, **मेघालय,** त्रिपुरा
20 से अधिक	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

[14] बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

चार्ट 23 : साक्षेव्य से सराघउ-विशेष श्रेणी के राज्य

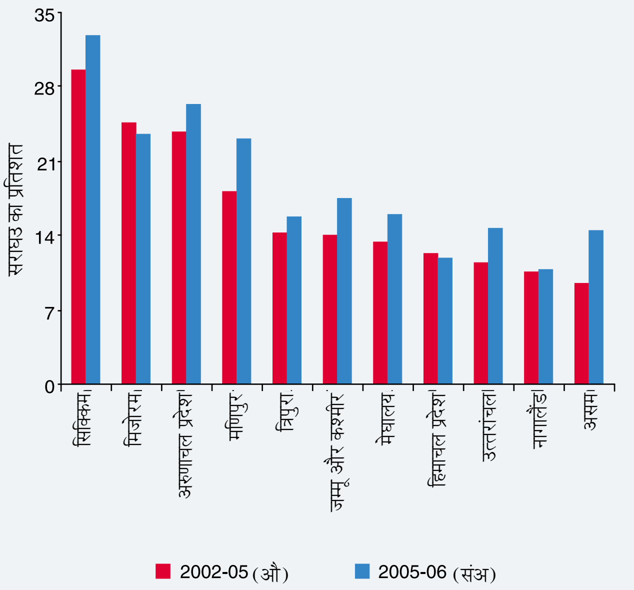

चार्ट 24 : साक्षेव्य से सराघउ-विशेष श्रेणी के राज्य

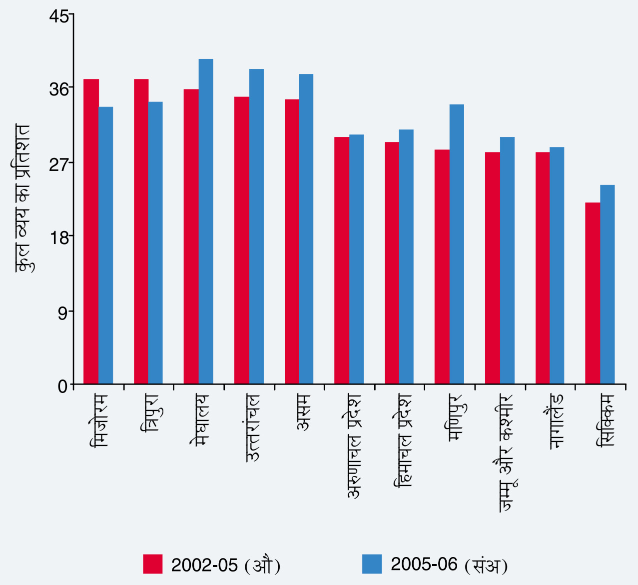

जम्मू और कश्मीर के सिवाय विशेष श्रेणी के अन्य राज्यों में 1990-05 की अवधि के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता में गिरावट नहीं देखी गई। अधिकांश राज्यों में सामाजिक क्षेत्रों के प्रति राजकोषीय प्राथमिकता में दो हजार के दशक के अंतिम समय में वृद्धि हुई, हालांकि बाद में उसमें गिरावट देखी गई। 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान, विशेष श्रेणी के राज्यों की राजकोषीय प्राथमिकता का दायरा 39 प्रतिशत (मिजोरम) से 22 प्रतिशत (सिक्किम) तक था (सारणी 50, विवरण 49-50 और चार्ट 24)।

सारणी 50 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
25 से कम	सिक्किम	सिक्किम
25 – 30	जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर, नागालैंड
30 – 35	**अरुणाचल प्रदेश,** असम	अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, **मिजोरम,** त्रिपुरा
35 से अधिक	मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरांचल	असम, मेघालय, उत्तरांचल

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच, पी सी एस एस इ 5,688 रुपए (मिजोरम) से 1,154 रुपए (असम) तक था (उत्तरांचल में यह 418 रुपए के कम स्तर पर था किंतु 2000-01 उसका पहला बजट होने से स्थिति शायद सही प्रतिबिंबित न हो)। विशेष श्रेणी के राज्यों के पी सी एस एस इ में 1990-91 से 2000-01 के दौरान 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में, नागालैंड छोड़कर, 1991 से 2001 के दौरान पी सी एस एस इ दुगुने से भी अधिक हो गया।

विशेष श्रेणी के राज्यों से भिन्न राज्यों के बीच देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक सेवा के अंतर्गत हुए व्यय के आधे से अधिक व्यय शिक्षा और स्वास्थ्य पर हुआ था। 2000-01 से 2004-05 के दौरान असम में शिक्षा पर व्यय सामाजिक सेवा के व्यय का 65 प्रतिशत था, जबकि मिजोरम में यह 40 प्रतिशत था। 1990-91 से 2004-05 के दौरान अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ने सामाजिक सेवा के कुल व्यय से शिक्षा व्यय के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड ने उसी अवधि के दौरान सामाजिक सेवा के कुल व्यय और शिक्षा व्यय के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई।

2000-01 से 2004-05 के दौरान सामाजिक सेवा के कुल व्यय के प्रति स्वास्थ्य व्यय के अनुपात में राज्यों में भिन्नता थी और वह जम्मू कश्मीर के लिए 20 प्रतिशत था जबकि त्रिपुरा के संदर्भ में 9 प्रतिशत था। विशेष श्रेणी के 11 में से 8 राज्यों[15] ने

[15] अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा।

सामाजिक सेवा व्यय स्वास्थ्य व्यय के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई।

VII.6 सामाजिक क्षेत्र व्यय और मानव विकास

VII.6.1 अखिल भारतीय स्थिति

यूएनडीपी द्वारा 1975 से प्रकाशित मानव विकास सूचकांक[16] (माविसू) के अनुसार भारत ने मानव विकास में निरंतर प्रगति की है। 1975 में, भारत का मानव विकास सूचकांक 0.412 था जो निरंतर सुधार के साथ 2004 में 0.611 हो गया। अद्यतन मानव विकास रिपोर्ट, 2006 के अनुसार, 177 देशों में मानव विकास में भारत का स्थान 126 वां है। सारणी 51 में भारत और अन्य देशों के मानव विकास सूचकांक की तुलनात्मक स्थिति दी गई है।

मानव विकास की अद्यतन रिपोर्ट (2006) के अनुसार 2004 में 0.965 के मानव विकास सूचकांक के साथ मानव विकास में नार्वे सबसे आगे था। यह उल्लेखनीय है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत और नार्वे के बीच का अंतर 1975 के 0.456 से लगतार कम होकर 2004 में 0.354 पर आ गया है (सारणी - 51)।

VII.6.2 राज्यवार स्थिति

भारत यद्यपि मानव विकास के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, फिर भी राज्यों के बीच इसमें स्पष्ट अंतर दिखता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 के अनुसार 0.638 मानव विकास सूचकांक के साथ केरल सबसे आगे था, जबकि बिहार का मानव विकास सूचकांक 0.367 था (सारणी 52)। यद्यपि कुछ अध्ययनों ने यह दिखाया है कि प्रमुख भारतीय राज्यो ने वर्षों में सामाजिक संकेतकों की ओर प्रगति की है, फिर भी इन संकेतकों के स्तर में भारी असमानता है। इस असमानता को दर्शाने के लिए यह देखा जा सकता है कि 1992-96 के दौरान भारत में शिक्षा का स्तर बिहार में 47.53 प्रतिशत और केरल में 90.92 प्रतिशत है, आयुमान मध्यप्रदेश में 55.2 और केरल में 73.1 था। 2001 में लिंग अनुपात हरियाणा में 861 और केरल में 1058 था (राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2001)।

सामाजिक क्षेत्र के विकास में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यू एन डी पी ने राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया है कि वे राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार मरें। अब तक 17 राज्य

सारणी 51 : अन्य देशोंकी तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक

देश	माविस स्थान	मानव विकास सूचकांक (माविसू)							
	2004	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत	126	0.412 (0.456)	0.438 (0.450)	0.476 (0.422)	0.513 (0.399)	0.546 (0.390)	0.577 (0.379)	0.602 (0.361)	0.611 (0.354)
मध्यम मानव विकास देश									
चायना	81	0.525	0.558	0.594	0.627	0.683	-	0.755	0.768
श्रीलंका	93	0.607	0.649	0.681	0.705	0.727	-	0.751	0.755
पाकिस्तान	134	0.363	0.386	0.419	0.462	0.492	-	0.527	0.539
नेपाल	138	0.296	0.333	0.376	0.423	0.466	0.499	0.526	0.527
बांगलादेश	137	0.345	0.364	0.389	0.419	0.452	0.506	0.52	0.53
मलेशिया	61	0.615	0.659	0.695	0.721	0.76	0.79	0.796	0.805
उच्च मानव विकास देश									
नार्वे	1	0.868	0.888	0.898	0.912	0.936	0.956	0.963	0.965
जापान	7	0.857	0.882	0.895	0.911	0.925	0.936	0.943	0.949
सिंगापूर	25	0.725	0.761	0.784	0.822	0.861	-	0.907	0.916
कोरिया रेप ऑफ	26	0.707	0.741	0.78	0.818	0.855	0.884	0.901	0.912
कुवैत	33	0.763	0.777	0.78	-	0.813	0.837	0.844	0.871

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े माविसू के अनूसार भारत से नार्वे (उत्कृष्ट निष्पादक) का अंतर अर्थात् दो देशों के माविसू के बीच का अंतर दर्शाते है।

स्त्रोत : यूएनडीपी (2005 एवं 2006) मानव विकास रिपोर्ट

[16] मानव विकास रिपोर्ट, (2005) 1975 से 2003 की एचडीआइ की देशवार समरूप श्रृंखला उपलब्ध कराती है।

सारणी 52 : राज्यों के मानव विकास सूचकांक

राज्य	1981	स्थान	1991	स्थान	2001	स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	0.298	9	0.377	9	0.416	10
2. असम	0.272	10	0.348	10	0.386	14
3. बिहार	0.237	15	0.308	15	0.367	15
4. गुजरात	0.360	4	0.431	6	0.479	6
5. हरियाणा	0.360	5	0.443	5	0.509	5
6. कर्नाटक	0.346	6	0.412	7	0.478	7
7. केरल	0.500	1	0.591	1	0.638	1
8. मध्य प्रदेश	0.245	14	0.328	13	0.394	12
9. महाराष्ट्र	0.363	3	0.452	4	0.523	4
10. उड़ीसा	0.267	11	0.345	12	0.404	11
11. पंजाब	0.411	2	0.475	2	0.537	2
12. राजस्थान	0.256	12	0.347	11	0.424	9
13. तमिलनाडु	0.343	7	0.466	3	0.531	3
14. उत्तर प्रदेश	0.255	13	0.314	14	0.388	13
15. पश्चिम बंगाल	0.305	8	0.404	8	0.472	8
अखिल भारत	**0.302**		**0.381**		**0.472**	

स्रोत : राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, योजना आयोग, 2001।

सरकारों ने राज्य मानव विकास रिपोर्टें तैयार की हैं और इन रिपोर्टों की मुख्य बातें बॉक्स 6 में दी गई हैं।

15 भारतीय राज्यों के मानव विकास सूचकांक और एस एस इ के बीच संबंधों की एक साधारण जांच से पता चला है कि 1990-91 से

बॉक्स 6 : राज्य मानव विकास रिपोर्ट - मुख्य बातें

यूएनडीपी की पहल से, अब तक 17 राज्य सरकारों ने राज्य मानव विकास रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। इन रिपोर्टों में राज्य सरकारों द्वारा मानव विकास के प्राप्त स्तरों पर चर्चा की गई है और मानव विकास में सुधार के राज्य-विशेष के मामलों पर प्रकाश डाल गया है।

विभिन्न राज्य मानव विकास रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि अनेक राज्यों द्वारा प्राप्त किया गया मानव विकास का स्तर सर्वोत्तम स्तर वाले केरल की तुलना में बहुत नीचे है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पंजाब जैसे संपन्न राज्यों के कुछ भागों में मानव विकास का स्तर बहुत नीचे है। लगभग सभी राज्यों में मानव विकास की प्राप्ति में लिंग और साथ ही ग्रामीण शहरी अंतर है जिसमें शहरी पुरूष उच्चतम स्थिति में और ग्रामीण स्त्री निम्नतम स्थिति में है। सामाजिक समूहों के आधार पर भी अधिकांश राज्यों में भारी असमानता है जिसमें अनुसूचित जनजातियां निम्नतम स्थान पर होती है और उनके पहले अनुसूचित जातियों का स्थान है। इन रिपोर्टों का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि संस्थाओं तक पहुंच की समस्या भी अनेक राज्यों में गंभीर है। अन्य शब्दों में, लोगों के लिए ये संस्थाएं भौतिक आधार पर पहुंच से बाहर होती हैं और आर्थिक रूप से कठिन होती हैं। पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के विकास की कमी इस समस्या को और भी बढ़ा देती है।

केरल जैसे राज्य स्वतंत्रता के समय मानव विकास में सबसे आगे थे और वे अब भी आगे ही हैं। वस्तुतः, स्वतंत्रता तक भारत की मुख्य धारा से अलग रहे अनेक राज्यों में मानव विकास स्वतंत्रता के बाद ही देखा गया। इस प्रकार, मानव विकास का इतिहास भी इन राज्यों में कम अवधि का है। सभी राज्य सरकारों उनके राज्यों में बाधाओं के बावजूद सामाजिक ढांचा सुधारने के प्रयास करती है। राज्यों की राजकोषीय क्षमता एक मुख्य बाधा है। इसके अलावा, नैसर्गिक आपदाएं और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कारकों के कारण भी सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करने की लागत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, गहन जनसंख्या वाले स्थानों में सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करने में कम जनसंख्या वाले क्षेत्र की तुलना में लागत कम आती है।

अनेक राज्य मानव विकास रिपोर्टों में गरीबी को मानव विकास सुधार के मार्ग की मुख्य रुकावट दर्शाया गया है। यह मामला भूख से शुरू होता है और उससे कुपोषण और बीमारियां बढ़ती है। गरीबी के कारण लोग बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी कारण, अनेक राज्यों में पाठशालाओं में विद्यार्थियों का पंजीयन बड़ी संख्या में होने के बावजूद पढ़ाई जारी रखने का स्तर कम होता है। अधिकांश राज्यों में जनसंख्या का बड़ा भाग, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि कार्य करता है। अतः कृषि क्षेत्र में सुधार और साथ ही ग्रामीण रोजगार में विविधता लाने से गरीबी कम करने में सहायता मिलेगी जिससे मानव विकास में सुधार होगा। इसके अलावा, मानव विकास और आर्थिक विकास जो कि एक-दूसरे के संपूरक हैं, में कारण-कार्य संबंध बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। राज्यों के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वे अपने व्यय का बड़ा भाग सामाजिक क्षेत्र के लिए और विशेष रूप से पूंजीगत खाते में, आबंटित करें ताकि सामाजिक बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सके। साथ ही, आर्थिक विकास और मानव विकास के बीच संबंध बढ़ाने के लिए आर्थिक बुनियादी सुविधाओं में निवेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कुछ रिपोर्टों में यह मत दिया गया है कि सरकार द्वारा दी गई सामाजिक सेवाओं का स्तर बनाए रखना मानव विकास की फलनिष्पत्ति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है। सेवाओं का स्तर सुधारने में किसी लोकप्रिय दबाव की कमी उक्त स्तर को सुधारने के रास्ते का मुख्य रोड़ा है। यह सूचना दी गई है कि चूंकि जनता सरकार को कर का भुगतान करती है अतः सरकार से बेहतर स्तर की सुविधाएं पाना उनका अधिकार है। दूसरे, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन के अभाव से भी वे जनता को स्तरीय सेवाएं प्रदान करने में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। कर्मचारियों की सामान्य भावना यह होती है कि यदि वे कठिन परिश्रम करते भी हैं तो उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता। साथ ही, देश के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य के इच्छुक योग्यताप्राप्त लोगों को ढूंढना भी स्तरीय सेवा देने में एक रूकावट है। इसके अतिरिक्त, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, जनसंख्या की उच्च घनता और मौजूदा बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव के अभाव से भी सरकारी सेवाओं का स्तर गिर जाता है।

संदर्भ : 17 राज्य सरकारों की राज्य मानव विकास रिपोर्टें।

1999-00 की अवधि में जीएसडीपी के प्रति (अर्थात् एसएसइ / जीएसडीपी) और 2001 के मानव विकास सूचकांक बीच और साथ ही कुल व्यय के प्रति सामाजिक क्षेत्र के व्यय के औसत अनुपात (अर्थात् एसएसइ / टी इ) और मानव विकास सूचकांक के बीच सहगुणक सहसंबंध ऋणात्मक रहा है[17]। तथापि, पी सी एस एस इ और मानव विकास सूचकांक के बीच के सहगुणक सहसंबंध में सकारात्मकता देखी गई। किंत ये यह आवश्यक नहीं कि सहसंबंध लागू होने में हर बार कोई कारण हो।

यह उल्लेखनीय है कि बिहार 1990-91 से 1999-00 के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर औसतन उसके कुल व्यय का 42 प्रतिशत था जीएसडीपी का 9 प्रतिशत व्यय कर रहा है। तथापि, भारत में बिहार का मानव विकास सूचकांक निम्नतम में से एक (0.367) है। बिहार में, अन्य बातों के साथ-साथ कम पी सी एस एस इ (893 रुपए) कम मानव विकास सूचकांक का कारण हो सकता है (चार्ट 25)। यह महत्वपूर्ण है कि मानव विकास सूचकांक के परिणाम पर सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटित राशि के अनुपात की तुलना में पी सी एस एस इ का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बिहार में सामाजिक क्षेत्र को अधिक राजकोषीय प्राथमिकता देने और साथ ही जीएसडीपी के प्रति एसएसइ के उच्च अनुपात के बावजूद, बिहार में पीसी एस एस इ बढ़ाने

चार्ट 25 : मानव विकास सूचकांक एवं प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र के व्यय (पीसीएसएसइ)

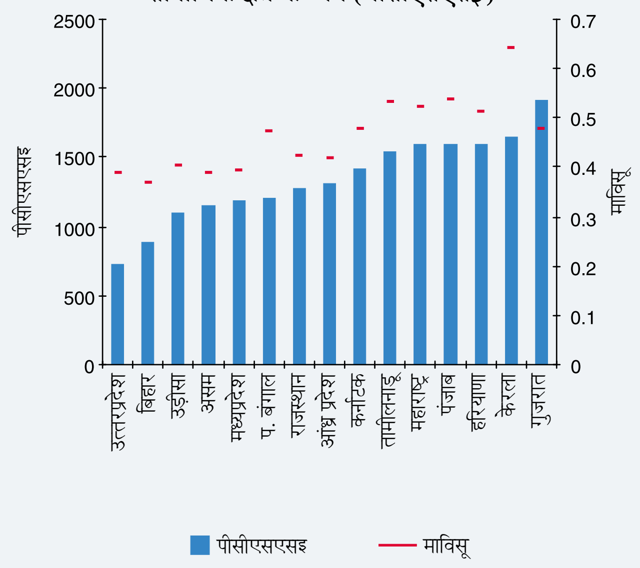

की उसकी निम्न राजकोषीय क्षमता से बाधा उत्पन्न होती है। बारहवें वित्त आयोग के अनुसार, बिहार के अलावा, 7 और ऐसे राज्य हैं (असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) जो राजकोषीय रूप से दुर्बल होने के कारण उनकी राजकोषीय क्षमता कम है जिससे बारहवें वित्त आयोग ने इन राज्यों के सामाजिक क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया है (बॉक्स 7)।

VIII. मामले और परिदृश्य

VIII.1 राजकोषीय सुधार और सशक्तिकरण

राज्य सरकारों द्वारा किए गए राजकोषीय सुधार और सशक्तिकरण के उपायों से हाले के वर्षों में राज्यों के वित्त पर अच्छा प्रभाव पड़ा हैं जैसाकि राजकोषीय असंतुलनों में आई कमी से देखा जा सकता है। 2004-05 के खातों के संदर्भ में मुख्य राजकोषीय संकेतकों ने संशोधित अनुमानों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया। 2005-06 के संशोधित अनुमानों ने बजट अनुमानों की तुलना में बजट घाटे में 30 प्रतिशत से अधिक कमी दर्शाई। तथापि, पंजीगत व्यय में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण जीएफडी 3 प्रतिशत बढ़ गया। राज्य सरकारों ने 2006-07 के उनके बजटों में राजकोषीय सुधार और सशक्तिकरण की प्रक्रिया और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। इस प्रकार, राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। इस संदर्भ में, यह देखना महत्वपूर्ण है कि मध्यावधि में राज्यों की राजकोषीय स्थिति, बड़ी सीमा तक, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से प्रभावित होगी (भारिबैं वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 में 'बारहवां वित्त आयोग और राज्य वित्त' पर बॉक्स 1.4 देखें)। बारहवें वित्त आयोग ने 15 राजकोषीय संकेतकों के संदर्भ में प्रगामी सुधार निर्धारित किए हैं जिनमें प्राप्तियों, व्यय की विभिन्न मदों संबंधी लक्ष्य, घाटे के संकेतकों के लक्ष्यों से अतिरिक्त ऋण, समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाना, राज्य सरकारों की पुनर्गठन की योजनाओं में राजकोषीय सुधार और सशक्तिकरण का मार्ग, राजस्व वृद्धि पर बल देना, व्यय पर नियंत्रण और उसका युक्तिकरण तथा ऋण को वहनीय सीमा के भीतर रखना शामिल है।

अन्य महत्वपूर्ण घटना अधिकांश राज्यों द्वारा एफआरएल के अधिनियमन से संबंधित है। राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को बंधनकारी

[17] सहसंबंध - सहगुणक एसएसइ / जीएसडीपी के और मानव विकास सूचकांक के बीच - 0.44 और एसएसइ / टीइ तथा मानव विकास सूचकांक के बीच - 0.22 है जबकि पी सी एस एस इ और मानव विकास सूचकांक के बीच 0.80 है।

बॉक्स 7 : बारहवां वित्त आयोग और सामाजिक क्षेत्र

बाहरवें वित्त आयोग में समग्र वित्त आयोग के अंतरणों में अनुदानों की अधिक भूमिका दर्शाई गई है और राज्यों की आवश्यकताओं और विकास के मूल्यांकन के आधार पर राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान दर्शाए गए हैं। राज्यों के बीच बांटनेयोग्य करों के समान वितरण हेतु उपयोग में लाए गए सूत्र में उसके स्वरूप के अनुसार किसी राज्य की राजकोषीय आवश्यकताओं के सभी आयामों को ध्यान में नहीं किया जा सकता। बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की कुछ सामान्य और कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करके तदनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य पण्य रखरखाव, भवन-रखरखाव, वन संवर्धन, विरासत संवर्धन, स्थानीय निकाय, आपदा-सहायता और राज्य विशेष की आवश्यकताओं के लिए अनुदानों की सिफारिश की हैं ।

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को योजना पत्र में उल्लेखनीय निधि उपलब्ध कराई गई है, किंतु समस्याओं की तुलना में उक्त निधि कम सिद्ध होती है। इन दो क्षेत्रों में अनेक योजना विचारों में राज्य सरकारों द्वारा प्रति निधीयन की आवश्यकता पूरी करने में असमर्थता भी निधि के पूरे उपयोग में बाधा बनती है। अनेक राज्य इन आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाम रहे हैं अतः बारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय क्षमता की कमी के कारण इन दो क्षेत्रों में पर्याप्त व्यय करने में असमर्थ रहे राज्यों को विशेष अनुदान सहायता दी है।

अनेक राज्यों का प्रति व्यक्ति व्यय राज्यों (विनिर्दिष्ट और अविनिर्दिष्ट) के संबंधित समूह के औसत प्रति व्यक्ति व्यय से बहुत कम है। समकरण दृष्टिकोण पूर्णतः लागू करने के लिए अपेक्षित अंतरण राशि बहुत व्यापक होगी, वहीं बारहवें वित्त आयोग ने कमी के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों, यथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। किंतु संबंधित समूह के औसत और कुछ घटक राज्यों, विशेषतः अधिक जनसंख्या और कम राजकोषीय क्षमता वाले राज्यों के बीच भारी असमानता के कारण आंशिक सुधार किया जा सकता है। अनुदान का अनुमान करते समय उन राज्यों का ध्यान रखा गया है जो योजना और योजनेतर सहित कुल राजस्व व्यय के संबंध में हिसाब लगाए गए शिक्षा और स्वास्थ्य के औसत व्यय के बराबर व्यय के लिए विनिधान नहीं कर सकते । इस प्रयोजन से कुल व्यय की गणना ब्याज भुगतान, पेंशन और कुछ अन्य समायोजन घटाकर की जाती है।

इन दो क्षेत्रों के लिए अनुदान की सीमा का अनुमान लगाने के लिए दो चरणीय सामान्यकारक दृष्टिकोण अपनाया गया। पहले चरण में, इन क्षेत्रों में राज्यों के कम व्यय के अधिमान को सुधारा गया। दूसरे शब्दों में, यह अपेक्षा की गई कि राज्यों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनके कुल राजस्व व्यय (योजना और योजनेतर) का कुछ न्यूनतम प्रतिशत व्यय करना चाहिए। दूसरे चरण में इन राज्यों की पहचान करना शामिल है जो अपेक्षित प्रतिशत व्यय के बाद भी इन दो क्षेत्रों के औसत प्रति व्यक्ति व्यय के सामान्य स्तर से पीछे रह जाते हैं।

ये अनुदान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रूप से दिए जा रहे हैं और ये इन राज्यों द्वारा उक्त क्षेत्रों में किए जा रहे सामान्य व्यय के अतिरिक्त हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन अनुदानों को जारी करने के लिए और कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए । इन अनुदानों से संबंधित व्यय की निगरानी का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होगा।

सारणी : बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ क्षेत्र के लिए अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल (2005-10) (2 से 6)
1	2	3	4	5	6	7
क. शिक्षा क्षेत्र						
1. असम	183.20	200.60	219.66	240.53	263.38	1107.37
2. बिहार	443.99	486.17	532.36	582.93	638.31	2683.76
3. झारखंड	107.82	118.06	129.28	141.56	155.01	651.73
4. मध्य प्रदेश	76.03	83.25	91.16	99.82	109.3	459.56
5. उड़ीसा	53.49	58.57	64.13	70.22	76.89	323.30
6. राजस्थान	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
7. उत्तर प्रदेश	736.87	806.87	883.52	967.45	1059.36	4454.07
8. पश्चिम बंगाल	64.83	70.99	77.73	85.11	93.20	391.86
जोड़ क (1 से 8)	**1686.23**	**1844.51**	**2017.84**	**2207.62**	**2415.45**	**10171.65**
ख. स्वास्थ्य क्षेत्र						
1. असम	153.58	171.24	190.93	212.89	237.38	966.02
2. बिहार	289.30	322.57	359.66	401.02	447.14	1819.69
3. झारखंड	57.39	63.99	71.35	79.55	88.70	360.98
4. मध्य प्रदेश	28.88	32.20	35.90	40.03	44.63	181.64
5. उड़ीसा	31.22	34.81	38.81	43.28	48.25	196.37
6. उत्तर प्रदेश	367.63	409.90	457.04	509.6	568.21	2312.38
7. पश्चिम बंगाल	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
जोड़ ख (1 से 7)	**938.00**	**1044.71**	**1163.69**	**1296.37**	**1444.31**	**5887.08**

संदर्भ : बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2004), भारत सरकार।

बनाने से एफआरएल से यह अपेक्षित है कि इससे राजकोषीय अनुशासन बढ़ेगा और अधिक वास्तविक सुधार पण्य मिलेगा। नियम आधारित नीति राज्य सरकारों की नीति को भी अधिक विश्वसनीय बनाएगी (बॉक्स 8)।

बॉक्स 8: राज्य सरकारों द्वारा नियम-आधारित राजकोषीय नीति अपनाना

भारत में राजकोषीय जबाबदेही विधान के केंद्र और राज्य (अब तक 23 राज्य) दोनों स्तरों पर अधिनियमन से केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त में राजकोषीय स्थिरता प्राप्ति की प्रक्रिया को बल मिला है। किंतु इन संस्थागत गतिविधि के अंतर्निहित लाभ की प्राप्ति संबंधित सरकारों के राजकोषीय जवाबदेही विधान में निर्धारित लक्ष्यों के कड़े अनुपालन पर निर्भर होगी। राजकोषीय स्थिरता के लिए प्रमुख घाटा संकेतकों को कम करना आवश्यक है, विशेष रूप से ऋण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए जो कि इस समय अनेक देशों की तुलना में अधिक (केंद्र के संबंध में जीडीपी के 62 प्रतिशत से अधिक और राज्यो के संबंध में जीडीपी का 32 प्रतिशत) है।

राजकोषीय स्थिरता के अलावा, संभाव्य देशी और विदेशी निवेशकों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि राजकोषीय जबाबदेही विधान में निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएं । कोपित्स द्वारा उल्लेख किए अनुसार (2001), 'इन सभी नियमों में एक बात समान है : उनके अनुसार विवेकाधीन हस्तक्षेप हटाकर समष्टि आर्थिक नीतियों के व्यवहार पर विश्वास किया जाना चाहिए।' यह स्थापित हो चुका है कि राजनैतिक रूप से बुद्धिमान नीतिनिर्माताओं पर बंधन रखने के लिए नियम आवश्यक हैं जो चुनाव के समय घाटे की विवेकाधीन नीति चलाते हैं और वे बजट बाधाओं को समझते नहीं है या उनसे अप्रभावित रहते हैं। संघीय व्यवस्था में, राजकोषीय नियम सरकार के उप राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगीतापूर्वक लागू किए जा सकते हैं। उप राष्ट्रीय स्तर पर इन नियमों को लागू करना आर्थिक निष्पादन की कुंजी है, विशेष रूप से उन अर्थव्यवस्थाओं में जहां उप-राष्ट्रीय सरकारों का राजस्व/व्यय समग्र सरकारी राजस्व/ व्यय का बड़ा भाग होता है। केंद्र सरकार का हिस्सा जितना छोटा होगा, राजकोषीय असंतुलनों के प्रति उप-राष्ट्रीय सरकारेां के बीच उभरने वाली नैतिक समस्या का सामना करने के लिए उप-राष्ट्रीय नियम लागू करने की आवश्यकता उतनी ही ज्यादा होगी जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव शेष संघीय व्यवस्था की उधार लागत पर पड़ेगा ।

उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नियम तैयार करने के दो मूल दृष्टिकोण हो सकते हैं : पहला, बॉटम अप दृष्टिकोण जहां उप-राष्ट्रीय सरकारें स्वयं के लिए स्वैच्छिक रूप से नियम बनाती हैं और दूसरा, टॉप-बॉटम दृष्टिकोण जहां नियम केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। दूसरा दृष्टिकोण मुख्य रूप से उन देशों में संगत है जहां केंद्र सरकार उप राष्ट्रीय सरकारों की बार-बार सहायता करती है। यह दृष्टिकोण एक स्थायी राजकोषीय समायोजन की आवश्यकता दर्शाता है जिसमें देशवार प्रीमियम पर संभाव्य अप्रत्यक्ष प्रभाव के साथ स्थिरता की संभावित समस्या को देखते हुए संपूर्ण सामान्य सरकार या समेकित सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हो। पहले दृष्टिकोण के उदाहरण अमरीका, स्विटजर्लैंड और कनाडा हैं जहां उप-राष्ट्रीय सरकारों ने मुख्य रूप से संभाव्य सहायता के अभाव में वित्तीय बाजारों में अच्छी साख निर्माण करने की आवश्यकता से राजकोषीय नियम अपनाने का चुनाव किया हैं इसके विपरीत, ब्राजील में (या इएमयू के अंतर्गत की इयू सदस्य देशों में) उप-राष्ट्रीय सरकारें नैतिक जोखिम से बचने के लिए केंद्रीय रूप से लागू नियमों के तहत हैं, विशेष रूप से केंद्रीय नियंत्रण के तहत (अधिराष्ट्र) राजकोषीय गतिविधि का तुलनात्मक छोटा हिस्सा होने के कारण। इस मामले में, नियमों के अनुपालन से सामान्यतः एकल सरकार का चूक जोखिम प्रीमियम और साथ ही देश जोखिम प्रीमियम कम होने में मदद मिलती है जिसका सामना संपूर्ण संघ सरकार (या अधिराष्ट्र) द्वारा किया जाता है। भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण का स्तर उन देशों से तुलनीय है जहां विकेंद्रीकरण का स्तर उच्च है जैसे कि स्विडन और डेन्मार्क (कन्नन एट एल 2004) । राज्य सरकारों को संयुक्त राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40 प्रतिशत भाग मिलता है और संयुक्त व्यय में उनका हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत होता है। भारतीय सार्वजनिक वित्त में राज्य सरकारों की तुलनात्मक रूप से महती भूमिका को देखते हुए समग्र समष्टि आर्थिक प्रबंध के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारें नियम आधारित राजकोषीय नीति का पालन करें। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य ने राजकोषीय जबाबदेही विधान को अधिनियमित करना चाहिए। इसे बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई ऋण सहायता प्राप्ति की पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है। बारहवें वित्त आयोग के अनुसार उक्त विधान में न्यूनतम निम्नलिखित बातें होनी चाहिए :

(क) राजस्व घाटे की 2008-09 तक समाप्ति;

(ख) राजकोषीय प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान के रूप में परिभाषित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक या उसके समतुल्य तक कम करना;

(ग) राजस्व और राजकोषीय घाटे के वार्षिक कमी के लक्ष्य प्रकट करना;

(घ) वार्षिक विवरण प्रकाशित करना जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था और संबंधित राजकोषीय कार्यनीति की भावी संभावना दर्शाई जाए;

(ङ) बजट के साथ विशेष विवरण प्रकाशित करना जिसमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या और संबंधित वेतनों का ब्योरा दिया जाए।

राजकोषीय जवाबदेही विधान अधिनियमित करने वाले राज्यों में कर्नाटक प्रथम है जिससे यह कार्य सितंबर 2002 में किया था, जिसके बाद केरल (2003), तमिलनाडु (2003) और पंजाब (2004) का स्थान है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अब तक और 19 राज्यों ने राजकोषीय जबाबदेही विधान का अधिनियमन किया है। राज्यों के राजकोषीय जबाबदेही विधान लगभग मिलते-जुलते ही हैं (अनुबंध 2)। राज्य सरकारों के राजकोषीय जबाबदेही विधान में निर्धारित लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों जैसे ही है, अर्थात राजस्व घाटा 2008-09 तक समाप्त करना और जीएफडी -जीडीपी अनुपात को कम करके 2009-10 तक 3 प्रतिशत पर लाना (राज्य सरकारों के लिए जीएफडी-जीएसडीपी)। यह उल्लेखनीय है कि भारत में राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय जबाबदेही विधान का अधिनियमन उल्लिखित दो दृष्टिकोणों का संमिश्र रूप है। कुछ राज्य सरकारों ने राजकोषीय जबाबदेही विधान को स्वतः अधिनियमित किया है, वहीं दूसरों को उक्त विधान अपनाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि उन्हें बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लाभ मिल सके।

भारी राजकोषीय घाटे की निरंतरता के कारण राज्य सरकारों का बकाया ऋण बढ़ गया है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा चालू व्यय अपेक्षा पूरी करने के लिए उधार लिए गए संसाधनों के उपयोग से दीर्घावधि में आस्ति देयता का बेमेल बढ़ गया है। इससे राजस्व घाटा समाप्त करने और पर्यापत राजस्व अधिशेष निर्माण करने, जोकि देयताएं निर्मित किए बिना आस्ति निर्माण के लिए उपयोग की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय जबाबदेही विधान के तहत निर्धारित लक्ष्यों से हटने से अन्य राज्यों पर शृंखला प्रभाव पड़ेगा जिस पर आगे कार्रवाई आवश्यक हो जाएगी जिससे नीति के स्वरूप की विश्वसनीयता कम होने का बुरा प्रभाव पड़ेगा । इसके अलावा, समष्टि आर्थिक, वित्तीय, विदेशी क्षेत्र और बजटीय वहनीयता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय श्रेणी निर्धारक संस्थाओं द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की निवेश की श्रेणी के निर्धारण में राजकोषीय अनुशासन मुख्य कारक है। अतः, यह अपेक्षित है कि जिन राज्यों ने राजकोषीय जबाबदेही विधान अधिनियमित किया है वे नियमों का पालन करें और शेष राज्य नियम आधारित ढांचे अपनाने की दिशा में प्रयास करें।

संदर्भ :

1. कोपिल्स, जॉर्ज (2001), राजकोषीय नियम : उपयोगी नीति ढांचा या अनावश्यक गहना ? आइएमएफ, वर्किंग पेपर सं. डब्ल्यूपी/01/145
2. कन्नन आर, एस.एम. पिल्लई, आर.कौशल्य और जयचंदर (2004), 'भारत में वित्त आयोग निर्णय और राज्य वित्त में राजकोषीय स्थिरता' आर्थिक और राजनैतिक साप्ताहिक; जनवरी 39(5)।
3. बारहवें वित्त आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट (2004)।

VIII.2 राजकोषीय नियम और लेखांकन व्यवस्था

बारहवें वित्त आयोग ने टिप्पणी की है कि लेखांकन व्यवस्था के माध्यम से ऋण राहत योजना के उद्देश्यों को असफल बनाने वाले किसी भी प्रयास के प्रति राज्यों की निगरानी आवश्यक है। इसलिए, बारहवें वित्त आयोग में छोटे के एकरूप श्रेणीकरण और परिभाषा के मानकीकरण का सुझाव दिया गया है। बारहवें वित्त आयोग में आगे यह कहा गया है कि लेखांकन नीति में अवैध परिवर्तन और व्यय के मनमाना पुनर्क्षेणीकरण पर राहत की निगरानी के लिए गंभीर रुख अपनाया जाए। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश राज्य सरकारों के राजकोषीय जबाबदेही विधान में प्रावधान के रूप में राजकोषीय मदों की स्पष्ट परिभाषा देना और उनमें हुए परिवर्तनों को अधिसूचित करना आवश्यक है। लेखांकन व्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में धारणा और उसके व्यवहार की चर्चा बॉक्स 9 में की गई है।

VIII.3 राज्यों द्वारा अधिशेष नकदी शेषों, चलनिधि और निवेश का प्रबंध

वर्तमान में अधिकतर राज्य सरकारें नकदी अधिशेषों की भारी राशि रखती हैं जैसा कि भारत सरकार के 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में उनके निवेश से स्पष्ट है और इस स्थिति की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2005-06 से हुई है। 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में राज्यों के बकाया निवेश 16 नवंबर 2006 को 39,610 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा, अनेक राज्य सरकारों ने उनके अधिशेष केंद्र सरकार के 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों में निवेश किए हैं और 17 नवंबर 2006 को ऐसे निवेशों का जोड़ 21,118 करोड़ रुपए था (बॉक्स 10)।

राज्य सरकारों के नकदी शेषों में तेज वृद्धि ने उनके नकदी और वित्त प्रबंधन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। इस समय, राज्य सरकारों के सामने 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में निवेश करने के अलावा नीलामीकृत नियमित खजाना बिलों में, गैर प्रतिस्पर्धी बोलीकर्ता के रूप में, निवेश का विकल्प है। किंतु, राज्य सरकारों को भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति नहीं है। राज्यों के नकदी अधिशेषों के निवेश से संबंधित मामले पर रिज़र्व बैंक में 7 अगस्त 2006 को हुई राज्य वित्त सचिवों के 18 वें सम्मेलन में चर्चा की गई। राज्य सरकारों के निवेश के वैकल्पिक अवसरां के मत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के शेषों के निवेश की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्य दल का गठन किया गया जिसमें चुनिंदा राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक से प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस बीच, अधिक ओर स्थायी प्रकार के नकदी शेषों वाले राज्यों को खुले बाजार के उधार और अन्य उधारों के संबंध में विकल्प खुला होगा जहां संग्रहण में राज्यों की सक्रिय भूमिका होती है।

राज्य सरकारों का निवेश संविभाग उनके नकदी अधिशेष बनाए रखने से संबंधित होता है। इस समय, राज्य सरकारों की सीएसएफ और जीआरएफ जैसी सांविधिक निधि के प्रबंध का प्रभारी रिज़र्व बैंक है (बॉक्स 11) । किंतु राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे नकदी और निवेश के प्रबंध के लिए ऋण इकाई स्थापित करें और आवश्यक विशेषज्ञता विकसित करें।

VIII.4 राजकोषीय अधिकार प्रदान करना

राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से आर्थिक बुनियादी सुविधाओं में निवेश और सामाजिक सेवाओं पर व्यय आवश्यक होगा । तदनुसार, राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इन सेवाओं के प्रावधानों पर अधिक व्यय करें। इस पृष्ठभूमि में, राजकोषीय सुधार का अपेक्षित मार्ग राजकोषीय अधिकार देने में है, अर्थात बजट में राजस्व प्रवाह के अवसर और मात्रा बढ़ानी होगी। नए कर लगाने और कर कार्यान्वयन में सुधार, आदि के माध्यम से कर संग्रहन बढ़ाने की राज्य सरकारों की कार्यनीति को अधिक बल देकर जारी रखने की आवश्यकता है। अधिकांश राज्यों द्वारा वह व्यवस्था को अपनाने से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन बिक्री कर व्यवस्था की तुलना में वॅट की प्रारंभिक अवधि में राजस्व में तेजी आई है और वैट से भविष्य में अधिक राजस्व प्राप्ति की संभावना है। लेनदेन लागतों को कम करने और कर संरचना को तर्क संगत बनाने के लिए राज्य सरकारें अपनी कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा कर सकती हैं। जिससे उन्हें अपना कर राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस संदर्भ में सही उपयोक्ता प्रभारों के माध्यम से करेतर राजस्व से राजस्व संग्रहण में वृद्धि करना और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना करना महत्त्वपूर्ण बना रहेगा। तथापि, ऊंचे उपयोक्ता प्रभार केवल तभी संभव होंगे जब राज्यों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में लगातार सुधार होगा। अतः राज्य सरकारों के लिए सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सुधार लाना प्राथमिकता रहेगी। सुधार प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों के

बॉक्स 9 : राजकोषीय नियम एवं लेखांकन व्यवस्थाएं - एक तुलनात्मक दृष्टिकोण

राजकोषीय नियमों ने जनता का ध्यान आकर्षित किया है और अनेक देशों में यह नीतिगत चर्चा का विषय रहा है। बजट घाटों पर गणितीय सूत्रों को लागू करना इस पूर्वग्रह को कम करने या समाप्त करने का एक संभावित कदम हो सकता है, हालांकि इन सूत्रों की महत्त्वपूर्ण कमियां हो सकती हैं। नियम जोकि समष्टि आर्थिक चक्र पर अवलम्बित नहीं हैं, वे चक्रीय अधोगति के दौरान सरकारों को राजकोषीय नीति कठोर बनाने पर मजबूर कर सकते हैं और इस प्रकार समष्टि आर्थिक उतार-चढ़ावों को उत्तेजित कर सकते हैं - यह एक ऐसी चिंता है जो अक्सर यूरोपीय संघ के देशो में व्यक्त की जाती है। राजकोषीय नियम सरकारों के फ़ुज़ूलख़र्ची राजकोषीय व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए लागू किए जाते हैं और वे ज़रूरी तौर पर विशेष बजटीय मदों और आंकड़ों का उल्लेख करते हैं। सरकारें इन विशिष्ट, प्रतिबंधित से गैर-प्रतिबंधित स्थितियों में बजटीय मदों को इधर-उधर करके धोखा देने के उद्देश्य से सृजनात्मक लेखांकन में संलग्न हो सकती हैं। नियम से बंधे रहने की आर्थिक लागत जितनी ज्यादा होगी लेखों के कल्पना आधारित भ्रामक प्रस्तुतिकरण की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। जब भी कोई इष्टतम राजकोषीय नियम बनाया जाए, लेखों के कल्पना आधारित एवं भ्रामक प्रस्तुतिकरण की बात को ध्यान में इस प्रकार रखा जाए कि वह नियम लेखों के कल्पना आधारित एवं भ्रामक प्रस्तुतिकरण के अभाव में इष्टतम नियम से भी कठोर हो।

कोयन और नूर्ड (2005) के अनुसार वह उपाय जिसमें राजकोषीय शेष में सुधार निहित हो, लेखों का कल्पना आधारित और भ्रामक प्रस्तुतिकरण माना जाता है, यदि इसमें अधिकांश सरकारी क्षेत्र की अस्थायी बजटीय स्थिति में सुधार निहित न हो (सरकारों की निवल मालियत में वृद्धि)। व्यवहार में, लेखों के प्रस्तुतीकरण की परंपराओं में सामान्यतः कुछ गुंजाईश रह जाती है। अतएव, जब राजकोषीय नियमों का दंश डराने लगता है या वे दंश देने लगते हैं तो सरकारें स्वतंत्रता की निहित गुंजाईश का लाभ उठाने के लिए आकर्षित हो सकती हैं। वास्तव में, किसी भी प्रकार के औपचारिक राजकोषीय नियमों का लिहाज किए बिना सरकारें बाहरी लोगों को दिखाए जाने वाले लेखों को यथा संभव बढ़िया से बढ़िया चमकाने की कोशिश कर सकती हैं। सरकारों को बोलते हुए राजकोषीय लेखे प्रस्तुत करने और सुधरती हुई राजकोषीय निष्पादन स्थिति रिपोर्ट करने में प्रोत्साहन मिलता है और नई सरकारों के पास इस बात के कारण हैं कि वे अपने भूतपूर्व सरकारों से मिले लेखों का 'लेखा-परीक्षण' करें। उदाहरण के लिए नई फ्रेंच सरकारों ने जिन्होंने 1997 के वसंत में कार्यभार ग्रहण किया, उन्होंने 2002 के वसंत में ऐसे 'लेखा परीक्षण' किए। ठीक इसी प्रकार 2002 वसंत में नई पोर्तुगीज सरकारों और नई ग्रीक तथा स्पेनिश सरकारों ने 2004 के वसंत में ऐसे ही लेखा परीक्षण किए। हर बार की खोज बीन से पता चला कि राजकोषीय स्थिति पहले की तुलना में स्पष्टतः कमजोर थी और सबसे ज्यादा कमजोर यह ग्रीस के मामले मे थी जहाँ घाटे और ऋण से संबंधित आंकड़ों में 1957 तक पीछे जाकर हाल ही में भारी सुधार किया गया। जब राजकोषीय नियम राजकोषीय प्रवाहों और / या स्टॉक के लिए सीमाएं तय करते हैं तब तो यह विशेष रूप से सत्य है।

साहित्य में अनेक उदाहरण मौजूद हैं। ईस्टरली (1999) कहते हैं कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रमों वाले ढेर सारे विकासशील देशों में राजकोषीय समायोजन सरकारी आस्तियों के दस्तावेजीकरण पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा (मुख्यतः सार्वजनिक निवेश में कमी और परिचालन और रखरखाव पर होने वाले व्यय के माध्यम से), जिसका अर्थ यह है कि सरकारी देयताओं में कमी सरकारों की निवल मालियत में वृद्धि के अनुरूप होनी जरूरी नही थी। बंच (1991) यह साक्ष प्रस्तुत करते हैं कि अमरीका में सांवैधानिक उधार सीमाओं वाले राज्य, उधार प्रतिबंधों को छुपाने के लिए सरकारी प्राधिकरणों का उपयोग करते हैं। किवाइट और स्त्राएकले (1996) ने पाया कि गारंटीशुदा ऋण से संबंधित सांवैधानिक बाधाएं अर्थपूर्ण ढंग से राज्य और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए कुल ऋण की राशि को प्रभावित नहीं करतीं जिसके कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं।

(i) फ्रांस में, बजट घाटा 1997 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.5 प्रतिशत तक घटा दिया गया था। भला हो फ्रांस टेलिकॉम का, जो कि एक सार्वजनिक उद्यम है, जिसने राज्य की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए सरकार को एक बारगी भुगतान करके भरपाई कर दी। यह भुगतान एक पूंजी रसीद के रूप में बनाया गया था। अतएव, आस्ति लेनदेन के बजाए घाटे में कमी के लिए गणना, जिससे कर्ज तो कम होगा लेकिन घाटा कम नहीं होगा। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि सार्वजनिक उद्यम मास्ट्रिच्ट ट्रीटी के अर्थ में 'सामान्य सरकार' के अंग नहीं हैं।

(ii) ग्रीस में सार्वजनिक उद्यमों को किये जाने वाले पूंजी अंतरण 'इक्विटी में वृद्धि' के रूप में रिकॉर्ड किए गए और इस प्रकार बजट घाटे की गणना से बाहर रहे (यूरो स्टेट से अनुमोदन सहित)। ज़ीरो कूपन बांडों के निर्गम के कारण ब्याज भुगतानों में कमी के साथ इस उपाय से 1997 के बजट घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से अधिक के बजट घाटे में कमी हुई।

(iii) इटली में सांविधिक न्यायालय के दो दंडों ने सरकार को इस बात पर मजबूर किया कि वह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.2 प्रतिशत की राशि के बराबर पेन्शन परिव्यय अदा करें। ये भुगतान बांड निर्गमों के माध्यम से वित्तपोषित किए गए थे जो 1997 और 2000 के बीच हुए थे लेकिन इन्हें जिन वर्षों में ये देयताएं आईं (1993-95) उन वर्षों के बजटों में इन्हें पूर्व प्रभाव से मढ़ दिया गया और इस प्रकार 1997-2000 वर्ष के लिए ये बजट घाटे अप्रभावित रहे। साथ ही, डाक बचत प्रमाणपत्रों पर लगने वाले ब्याज को पूंजीगत करके लेखों के रूप में प्रस्तुत करने का काम भी उपचित आधार की जगह कर दिया गया था। परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान अब केवल तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वे देय होते हैं ठीक जीरो कूपन बांडों की तरह और इस प्रकार घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत तक कम करना। अतः रेलवे कंपनी के ऋण को सरकारी ऋण के रूप में मान्यता दी गई। इसका आशय यह है कि इस ऋण पर पूंजी का परिशोधन जिसे पहले राज्य उद्यम को अंतरण के रूप में रिकार्ड किया गया था, को अब सरकारी देयता की चुकौती के रूप में माना गया है और इस प्रकार यह बजट को प्रभावित नहीं कर सकता।

(iv) अमरीकी जनरल एकाउंटिंग ऑफिस रिपोर्ट (1993) के अनुसार ''बहुत सी सरकारें केवल पत्र की औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं न कि उसकी भावना, वे अपने प्रयासों को अपने परिचालनों के केवल एक भाग पर ही केंद्रित कर रही हैं और अक्सर यह दिखाने के लिए जादूगरी दिखा रही हैं कि उनके बजट संतुलित हैं।'' सरकार का अनुभव बताता है कि तरह-तरह के लेखांकन परिवर्तनों और संबद्ध तकनीकों का प्रयोग संतुलित बजट नियमों के लिए किया जा सकता है। जनरल एकाउंटिंग ऑफिस (जीएओ) उदाहरण देता है कि केलिफोर्निया ने किस प्रकार एक ट्रस्ट फंड से आयल एक्सट्रैक्शन रॉयल्टी टैक्स के राजस्वों को जनरल फंड में अंतरित किया। न्यूयॉर्क ने राजकोषीय वर्ष 1983 से पिछले पे-रोल भुगतान को अगले राजकोषीय वर्षों में ले जाने के लिए नया पे रोल सिस्टम अधिनियम बनाया। मिनेसोटा ने प्राप्तियों को राजकोषीय वर्षो के दौरान हटाने के लिए कर वसूली तेज की।

सेटेरिस पेरिबस (अन्य बातें/कारकों को समान रखते हुए) एक राजकोषीय नियम लागू किया गया इसके अनुसार जब बजट पारदर्शी न हो तो यह राजकोषीय समयोजन के बजाय भ्रामक लेखांकन की दिशा में जा सकता है।

संदर्भ :

1. बंच, बी. (1991), 'द इफेक्ट ऑफ कांस्टीट्यूशनल डेट लिमिट्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़', पब्लिक चॉइस, वॉल्यूम 68, नं.1.
2. ईस्टरली, डब्ल्यू. (1999), 'व्हेन इज फिस्कल एडजेस्टमेंट एन ईल्यूशन?', इकॉनॉमिक पॉलिसी, नं.28.
3. कोएन, विन्सेंट और पॉल वान डेन नूर्ड (2005), 'फिस्कल गिमिक्रि इन यूरोप : वन-आफ मेजर्स एंड क्रिएटिव एकाउंटिंग', इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंट, ओईसीडी, वर्किंग पेपर 417.
4. पोटेरबा, जेम्स. बी. (1996), ''बजेट इंस्टीट्यूशन एंड फिजिकल पॉलिसी इन दि यू.एस.स्टेट्स,'' एनबीईआर वर्किंग पेपर 5449.
5. यू.एस. जनरल एकाउंटिंग ऑफिस, (1993) 'बजेट इश्यूजः स्टेट एक्सपीरिअन्स एंड इंप्लीकेशन्स फॉर दि फेडरल गवर्नमेंट', वॉशिंग्टन, जीएओ/एएफएमडी-93-58बीआर.
6. वान हेगन, जे. (1999); 'ए नोट ऑन दि एम्पीरिअल अफेक्टिवनेस ऑफ फॉर्मल फिज़कल कंस्ट्रेन्टस', जर्नल ऑफ पब्लिक इकॉनॉमिक्स, 44, 199-210.

साथ राज्य सरकारों द्वारा बिजली सब्सिडियों की समस्याओं को भी दूर करने की आवश्यकता है।

VIII.5 बिजली सब्सिडी

बिजली क्षेत्र के संबंध में लागत वसूली में सुधार का महत्व बढ़ता जा रहा है विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा कतिपय वर्गों को निःशुल्क बिजली देने के संदर्भ में और बिजली सब्सिडियों की दीर्घकाल से चली आ रही समस्या के संदर्भ में। भारत सरकार के 2005-06 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों की प्रतिलाभ दर 2004-05 के -32 प्रतिशत से सुधरकर 2005-06 (संशोधित अनुमान) में -26 प्रतिशत हो गई। इतने खराब प्रतिलाभ के माध्यम से चले गए संसाधनों की मात्रा लगातार काफी बड़ी बनी हुई है। सकल बिजली सब्सिडी 1991-92 के 7,449 करोड़ रुपए से लगभग पांच गुना बढ़कर 2005-06 (सं.अ.) में 35,632 करोड़ रुपए हो गई है (सारणी 53)। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में बिजली सब्सिडी 2002-03 से 2004-05 के दौरान लगभग 1.2 प्रतिशत के स्तर पर रुकी रही और 2005-06 (सं.अ.) में गिरकर 1.0 प्रतिशत पर आ गई।

2005-06 (सं.अ.) में कृषि उपभोक्ताओं को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी जाने वाली सकल सब्सिडी का 70 प्रतिशत से अधिक

बॉक्स 10: अधिक नकद शेष का प्रबंधन

यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि अधिक नकद अधिशेष किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि जैसे कि चलनिधि वातावरण में क्षरण की स्थिति से पार पाने में एक कुशन प्रदान करता है। उन राज्य सरकारों, जिनके पास नकद अधिशेष का स्तर ऊंचा है, के पास यह विकल्प रहता है कि वे कम कूपन वाले नए निर्गमों से ऊंची लागत वाले ऋणों को बदलने के लिए अपने नकद अधिशेष का उपयोग करें अथवा अपने बकाया ऊंचे कूपन वाले बाजार उधारों का समय पूर्व भुगतान कर दें। जहां तक ऋणों को बदलने की बात है, नए निर्गमों पर कम कूपन दरों के कारण संबंधित राज्य सरकारों को होने वाले फायदे उस प्रीमिया से बराबर हो जाएंगे जो उन्हें ऊंचे कूपन वाले बांड धारकों को अदा करने पड़ेंगे और दानों धाराओं के अंतर्गत नकद प्रवाहों का निवल वर्तमान मूल्य एकदम बराबर होगा। ऋण स्वैप के मामले की भांति ही एकमुश्त समयपूर्व भुगतान में समय पूर्व भुगतान वाले वर्ष में प्रीमिया का सामने - सामने भुगतान निहित रहता है जब तक कि वापस खरीदे जाने वाले स्टॉक पर कूपन की दर उस दर की तुलना में ऊंची रहेगी जिस पर इसे वापस खरीदा जाना है। ऋणों की समयपूर्व चुकौती से राज्य सरकार को अपने राजकोषीय और राजस्व शेषों को सुधारने में मदद मिलेगी और उसकी मात्रा ऋण वापस-खरीद नीलामियों में मिलने वाले औसत (ऊंचे) प्रतिलाभ और खजाना बिलों में अधिशेष नकद शेषों के निवेशों पर प्रतिलाभ की दर के अंतर पर निर्भर होगी। दूसरा, ऋणों की समयपूर्व अदायगी के कारण बकाया देयताओं में कमी से आशा की जाती है कि सरकारों की राजकोषीय स्थिति के बारे में बाजार बोध में सुधार आएगा और भावी बाजार उधारों की लागत के लिए इसके सकारात्मक निहितार्थ होंगे। इस प्रकार, उच्च कूपन वाले बकाया ऋण की वापस खरीद कतिपय स्थितियों में संविदा किए गए निम्न कूपन ऋण से उच्च कूपन ऋणों को बदलने की जगह वरीय विकल्प हो सकता है। तथापि, वे राज्य जो ऋण की समयपूर्व चुकौती पर विचार कर रहे हैं उन्हें स्वयं इस बात की संतुष्टि करनी होगी कि उनके अधिक नकद अधिशेष टिकाऊ स्वरूप के हैं। दूसरा, यह देखते हुए कि राज्य सरकार प्रतिभूतियों का व्यापार बहुत कम होता है, वापस खरीदी जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूतियों का सटीक मूल्यन एक मुद्दा हो सकता है। तीसरा, चूंकि निवेशकों में खरीदो और रोके रखो प्रकृति वाले निवेशक हावी रहते हैं इसलिए बाजार सहभागियों की संभावित प्रतिक्रिया में गर्मजोशी कम रहती है। ऋण की वापसी-खरीद और ऋण के बदलने का एक वैकल्पिक तरीका यह भी हो सकता है कि जहां संसाधन संग्रहण में राज्य सरकारें सक्रिय हों वहां खुले बाजार उधारों और अन्य ऋणों से दूर रहा जाए।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2005-06 में रिजर्व बैंक में जमा केंद्र सरकार के नकद अधिशेषों के निर्माण और अस्थिरता का भारत में चलनिधि स्थितयों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सरकारों के नकद शेष जब केंद्रीय बैंक में रखे जाते हैं तो ये बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि का अंग नहीं होते। अतएव, सरकारों के खातों के आधिक्य शेषों में तेज वृद्धि बैंकिंग प्रणाली में नकदी घटाती है और इससे अल्पावधि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। वे व्यवस्थाएं जो सरकार के खाते से अधिशेष निधियों को प्रणाली के घाटे वाले सहभागियों को अंतरित करना सुगम बनाती हैं वे प्रणाली के चलनिधि प्रबंधन में बेहतर ढंग से सहायता कर सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाएं न केवल सरकार को अपने नकद शेषों पर बेहतर लाभ कमाने में सक्षम बनाती हैं बल्कि अल्पावधि ब्याज दरों में होनेवाली अस्थिरता को भी दूर करती हैं और रात भर वाली मुद्रा बाजार दरों को भी स्थिर रखती हैं।

चलनिधि के ऐसे अंतरण को हासिल करने के लक्ष्य वाली व्यवस्थाएं भिन्न-भिन्न देशों में काफी अलग हैं। उदाहरण के लिए कनाडा में सहभागियों के एक चुनिंदा सेट के बीच केंद्र सरकार के नकद शेषों की दिन में दो बार स्पर्धात्मक नीलामी होती है। सहभागियों की बोली लगाने की सीमाएं (जमानती और बेजमानती) उनकी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर तय की जाती हैं। सभी सरकारी प्राप्तियां और भुगतान बैंक आफ कनाडा में रखे गए सरकार के खातों के माध्यम से होते हैं और खातों का प्रबंधन इस प्रकार किया जात है कि केंद्रीय बैंक में अधिशेष अनिवार्यतः मामूली ही रहते हैं। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार अपने सभी नकद शेषों को प्रभावशाली ढंग से दैनिक आधार पर बाजार में निवेश करती है।

इसके ठीक विपरीत, अन्य जी-7 देशों में अपने संबंधित केंद्रीय बैंकों में सामान्यतया काफी नकद शेष रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए जापान और इटली अपने सभी सरकारी शेष अपने-अपने केंद्रीय बैंक में रखते हैं। फ्रांस और अमरीका अपने केंद्रीय बैंकों में काफी कार्यशील शेष रखते हैं और एक तय सीमा से अधिक राशियां बाजार में निवेशित की जाती हैं। जर्मनी अपने नकद अधिशेषों को भूले भटके ही बाजार में निवेश करता है।

जो देश केंद्रीय बैंक में अधिशेष रखते हें वे केंद्रीय बैंक पर इस बात का भरोसा करते हैं कि वह उनकी निधियों का निवेश करेगा। अमरीका अपनी शेष राशियां बाजार सहभागियों को एक स्थिर संदर्भ ब्याज दर पर (इस समय फेड फंड रेट से 25 आधार अंक कम) आनुपातिक आधार पर आबंटित करता है जबकि फ्रांस और इंग्लैंड बाजार सहभागियों से सीधे सौदा करते हैं। अमरीका अपने नकद शेषों के लिए पूरी जमानत लेता है जबकि फ्रांस और इंग्लैंड मुख्यतः रिपो बाजार के माध्यम से निवेश करते हैं।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, भारतीय रिजर्व बैंक ।

बॉक्स 11 : राज्य सरकारों के निवेश संविभाग

1990 के दशक के अंत से रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूति धारिताओं के अपने निवेश संविभाग के माध्यम से 14 राज्य सरकारों की समेकित ऋण शोधन निधियों (सीएसएफ) और पांच राज्य सरकारों की गारंटी मोचन निधियों (जीआरएफ) के निवेशों का प्रबंधन करता आ रहा है। राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई आपदा राहत निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत निवेशों का प्रबंधन सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों द्वारा किया जा रहा है। बारहवें वित्त आयोग ने सभी ऋणों (न कि केवल खुले बाजार उधार, जैसा कि वर्तमान में है) के परिशोधन को शामिल करने के लिए समेकित ऋण शोधन निधियों का दायरा बढ़ाने के पक्ष में सिफारिश की है, जबकि जी आर एफ और सी आर एफ अपने मौजूदा स्वरूप में ही चलती रहेंगी। सी एस एफ का बढ़ा हुआ दायरा सी एस एफ में राज्यों के निवेश बढ़ा सकता है और रिज़र्व बैंक के पास प्रतिभूतियों के सीमित स्टॉक के मद्देनज़र मौद्रिक नीति संचालन के प्रयोजन से किए जानेवाले रिज़र्व बैंक के खुला परिचालनों पर असर डाल सकता है। इस संबंध में, राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उधारों के संबंध में गठित तकनीकी समूह (अध्यक्ष : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) ने दिसंबर 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि रिज़र्व बैंक को बढ़ी हुई सी एस एफ का प्रबंध जारी रखना चाहिए, रिज़र्व बैंक को प्राथमिक व्यापारियों/बैंकों से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां भी हासिल करनी चाहिए और उन्हें तत्काल उसी मूल्य पर अर्थात् बिना कोई प्रभार लगाए तथा इन लेनदेनों के उचित प्रकटीकरण के साथ राज्य सरकारों को आगे पहुंचानी चाहिए ताकि ऐसे लेनदेनों के इरादे के बारे में बाजार सहभागियों के बीच कोई संशय न हो।

इन गतिविधियों के संदर्भ में 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में प्रस्तावित किया गया था कि राज्य सरकारों की समस्त देयताओं को कवर करने के लिए समेकित ऋण शोधन निधि (सी एस एफ) योजना की पुनः समीक्षा की जाए। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के संबंध में परामर्शदात्री समिति (अध्यक्षः श्री एम.पी. बेज़बरुआ) ने सिफारिश की कि यदि राज्य सरकारों की सी एस एफ/जीआरएफ योजनाओं में उक्त प्रावधान जोड़ा जाता है तो सी एस एफ / जी आर एफ में राज्यों के निवल वृद्धिशील (अर्थात् मोचन / परिसमापन घटाकर नए निवेश) वार्षिक निवेश विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने के लिए पात्र बनाए जाने चाहिए। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए रिज़र्व बैंक ने मई 2006 में राज्यों के बीच सीएसएफ/जीआरएफ की एक संशोधित आदर्श योजना परिचालित की। जहां तक सी आर एफ की बात है, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने इस योजना के विवरण सभी राज्य सरकारों के बीच परिचालित किए। इस संदर्भ में और भारत सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने इस निधि में निवेशों के प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक के लिए लागू संशोधित योजना का प्रारूप तैयार किया और उसे भारत सरकार के पास सहमति के लिए भेजा और केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह संशोधित योजना भेजी। इस आपदा राहत निधि योजना में रिज़र्व बैंक ने परिवर्तन अनिवार्यतः इसलिए किए ताकि सी एस एफ और जी आर एफ योजनाओं की भांति ही निवेश और कमीशन के भुगतान की पद्धतियों में एकरूपता लाई जा सके। तथापि, राज्यों के पास रिज़र्व बैंक को निधि प्रबंधक चुनने का अधिकार रहेगा। आपदा राहत निधि के निवेश राज्य सरकारों को मिलने वाले बाजार संबद्ध प्रतिलाभ अधिक कमाने के विचार से संचालित होंगे हालांकि निवेशों की सुरक्षा और चलनिधि सुनिश्चित की जाएगी।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 भारतीय रिज़र्व बैंक।

है। कृषि उपभोक्ताओं और घरेलू उपभोक्ताओं को की जाने वाली सब्सिडी प्राप्त बिजली आपूर्ति के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अब तक मुख्यतः औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए प्रति सहायता (क्रास सब्सिडाइजेशन) प्रदान करने के साथ ही राज्य सरकारों से माफी (सबवेंशन) (वित्तीय सहायता) प्रदान करके दी जाती रही है। हालांकि, माफी के कुल स्तर में हाल ही के वर्षों में गिरावट आई है जबकि प्रति सहायता के कुल स्तरों में वृद्धि दिखाई दी है। कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी से राज्य सरकारों द्वारा दी जानेवाली माफी (सबवेंशन) के स्तरों का अनुपात 2002-03 के लगभग 60 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 (सं.अ.) में लगभग 46 प्रतिशत के आसपास था। कृषि उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी से प्रति

सारणी 53 : राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दी गई सब्सिडी

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कृषि उपभोक्ता के लिए सब्सिडी	घरेलू उपभोक्ता के लिए सब्सिडी	अंतरराज्य बिक्री के लिए सब्सिडी	कुल सब्सिडी (2+3+4)	राज्य से प्राप्त अर्थ सहाय्य	निवल सब्सिडी (5-6)	अन्य क्षेत्रों से अधिशेष	इसमें शामिल न की गई सब्सिड़ी (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1991-92	5,938	1,310	201	7,449 (1.14)	2,045	5,404	2,173	3,231
2000-01 (अ)	24,074	9,968	386	34,428 (1.63)	8,820	25,607	3,435	22,172
2001-02 (अ)	24,013	10,347	227	34,587 (1.52)	8,680	25,907	3,698	22,209
2002-03 (अ)	21,845	8,534	189	30,568 (1.25)	12,996	17,572	4,797	12,775
2003-04 (अ)	23,346	8,885	923	33,154 (1.20)	11,081	22,073	6,133	15,941
2004-05 (अ)	25,240	10,432	516	36,187 (1.16)	10,478	25,709	6,391	19,319
2005-06 (संअ)	25,043	10,179	410	35,632 (1.01)	11,562	24,070	8,083	15,987

अ : अनंतिम संअ : संशोधित अनुमान

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकडे सघउ का संविभाग है।

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, विभिन्न इश्यूज।

सहायता का अनुपात 1991-92 के 37 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 (सं.अ.) में 32 प्रतिशत था जोकि पहले से कम है। यह भी देखा जा सकता है कि माफियों और प्रति सहायताओं के बाद भी राज्य बिजली बोर्डों के पास 1991-92 के 3,231 करोड़ रुपए की तुलना में 2005-06 में अनुमानतः 15,987 करोड़ रुपए की अपूरित सब्सिडियां हैं। यद्यपि, हाल के वर्षों में राज्य सरकारों से मिलने वाली माफी की राशि घटी है और ये 11,000 करोड़ रुपए से भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं जिसका राज्य सरकारों के संसाधन अंतर पर तत्काल गलत प्रभाव पड़ रहा है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, 2005-06 के अनुसार, *'2005-06 में जहां राज्य सरकारों से राज्य बिजली बोर्डों को 11,562 करोड़ रुपए के सीधे अंतरण हुए थे लेकिन 15,987 करोड़ रुपए की अपूरित सब्सिडी फिर भी बाकी थी जो इस बात को दर्शाती है कि सुधारों में ने केवल बिजली क्षेत्र को सुधारने की भारी संभावनाएं हैं बल्कि राज्यों की राजकोषीय स्थिति को भी सुधारने की बहुत संभावनाएं हैं।'*

VIII.6 सामाजिक क्षेत्र व्यय

समाज सेवाओं के संबंध में सार्वजनिक व्यय से संबंधित ढेर सारे उत्तरदायित्व सरकारों के डोमेन पर रखे गए हैं। व्यापक रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक क्षेत्र व्यय के स्तर के मानव विकास के स्तर और अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि संभावनाओं के महत्त्वपूर्ण निहतार्थ हैं (जैसा कि खंड VII में चर्चा की गई है)। इस संबंध में कतिपय मुद्दों पर चर्चा करना लाभकारी है।

सामाजिक क्षेत्र व्यय के परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा पर्याप्तता का प्रश्न है। देश में अधिकांश राज्यों द्वारा हासिल किए गए मानव विकास के निम्न स्तर को देखते हुए तथा आय विभाजन में असमानताओं को देखते हुए मानव विकास संकेतकों को सुधारने के उद्देश्य से राज्य सरकारों पर समाज सेवा व्यय का एक न्यूनतम पर्याप्त स्तर बनाए रखने पर जोर दिया जा सकता है। विशेषकर, राजकोषीय सुधार और समेकन की सतत प्रक्रिया में राज्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र व्यय के स्तर में कमी न की जाए। तथापि, हाल के वर्षों में राज्यों के वित्त में सुधार से उन्हें भविष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने की शक्ति मिलेगी जिससे देश में मानव विकास संवर्धन और समग्र सामाजिक ढांचे की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, राज्यों को अपने व्ययों की प्राथमिकताएं पुनः निश्चित करनी होंगी ताकि सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित किया जा सके। जिस प्रकार कुल स्तर की प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित की जाती हैं उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र व्यय बास्केट की प्राथमिकताएं भी पुनर्निर्धारित करनी भी उतनी ही जरूरी हैं। तदनुसार, सामाजिक क्षेत्र व्यय के भीतर मौलिक समाज सेवाओं पर व्यय और सामाजिक क्षेत्र व्यय के वेतन से इतर घटक ने महत्त्व प्राप्त कर लिया है जिससे कि मानव विकास पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ सके।

दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा जो सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रभावशालिता से जुड़ा हैं अर्थात् सामाजिक संकेतकों पर सामाजिक क्षेत्र व्यय का प्रभाव। भिन्न-भिन्न संदर्भों में यह प्रभाव इस बात पर अलग-अलग निर्भर करेगा कि निधियां कितने प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाई गईं, भ्रष्टाचार का स्तर, लोगों की जागरूकता, समाज सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित विभिन्न संस्थाओं के विकास की स्थिति, आदि। इस प्रकार, विभिन्न अनुकूलन कारकों के आधार पर इसका प्रभाव अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा। इस संदर्भ में, परिव्यय और परिणाम के बीच भेद करना ही होगा। केंद्र सरकार की देखा-देखी अनेक राज्यों ने 2006-07 के अपने बजटों में 'परिणामी बजट' निकालना प्रस्तावित किया है। अन्य राज्य इसका अनुसरण कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ सकेगी और इस प्रक्रिया में सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं में किए गए निवेशों से बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

वास्तव में, नागरिकों को उत्तम सेवाएं देने का आबादी के गरीब तबकों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में, जो अध्ययन हुए हैं वे दर्शाते हैं कि गरीब लोग गुणवत्ता के बजाय दाम के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार, यदि गुणवत्ता ठीक न हो तब भी वे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से जुड़े रहते है क्योंकि निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का भुगतान वहन नहीं कर सकते । इसप्रकार, यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो गरीबों पर उसका बुरा असर होगा क्योंकि सक्षम लोग निजी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, सेवा प्रदानगी में सुधार से लोगों को इन सेवाओं के लिए भुगतान करने का प्रोत्साहन मिलेगा। वस्तुतः सामाजिक सेवाओं को सहायता देने के पीछे यही तर्क है कि गरीब वर्ग की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बन सके जिससे मानव विकास के समग्र स्तर में सुधार आएगा।

IX. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण हाल के वर्षों में मुख्य घाटा संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। 2005-06 में जीएफडी और राजस्व घाटा, जीडीपी के अनुपात के रूप में, कम होकर क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार का सुधार प्राथमिक रूप से राजस्व प्राप्तियों के साथ राजस्व वृद्धि, जीडीपी के अनुपात के रूप में, के माध्यम से हुआ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.0 प्रतिशत अधिक था और राज्यों की अपनी कर प्राप्तियां 0.3 प्रतिशत बढ़ गई थीं। इसके अलावा, 2005-06 के संशोधित अनुमान यह दर्शाते हैं कि राज्य सरकारों के राजकोषीय निष्पादन में बजट अनुमानों की तुलना में सुधार हुआ था, विशेष रूप से राजस्व खाते में और उससे संशोधित अनुमान में राजकोषीय निष्पादन में गिरावट की सामान्य प्रवृत्ति उलट गई थी। बाविआ में उपलब्ध कराया गया प्रोत्साहन और राजवि में निर्धारित बजट नियमों ने राज्य सरकारों को उनकी संभाव्य राजकोषीय स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया है।

राज्य सरकारों ने उनके बजटों में राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और 2006-07 के उनके बजटों में और समेकन की प्रतिबद्धता दी है। तदनुसार, जीएफडी और राजस्व घाटा, जीडीपी के अनुपात के रूप में, पिछले साल के स्तर से क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत पर कम रखे गए हैं। इन सुधारों को मुख्यतः राजस्व वृद्धि के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को पहचानते हुए कि राजकोषीय सुधार की निरंतरता के लिए राजस्व वृद्धि आवश्यक है, राज्य सरकारों ने कर प्रणाली को व्यापक तथा युक्तियुक्त बनाने पर बल दिया है। इसके साथ-साथ, राज्य सरकारों ने कर प्रशासन को सुधारने, वर्तमान कर और करेतर संग्रह को दिशाबद्ध तथा मजबूत करने पर और राजस्व का नुकसान रोकने बल दिया है। बजट प्रस्तावों की जबावदेही सुधारने की दृष्टि से कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की तर्ज पर 'आउटकम बजट' शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उनके बढ़ते पेंशन दायित्वों को सीमित करने के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर नई पेंशन योजनाएं शुरू करने की घोषणा करने वाले राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ राज्यों ने खाली पदों की समाप्ति, व्यय कटौती उपाय और योजनेतर व्यय में कटौती करके गैर विकासीय व्यय कम करने का प्रस्ताव किया है। किंतु राज्यों के सामने राजकोषीय सुधार जारी और सुदृढ़ रखने का चुनौतीपूर्ण कार्य है जिससे अंततः दीर्घावधि का राजकोषीय सर्मकन होगा।

हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में सुधार के बावजूद राज्यों के राजकोषीय निष्पादन में भारी अंतर दिखता है जो कि विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के मूल्यांकन में दिखता है। राजकोषीय रूप से दुर्बल राज्य राजकोषीय रूप से सुदृढ़ राज्यों की बराबरी में आने के लिए उपाय करने पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि बाविआ ने लक्ष्य-उन्मुख राजकोषीय पुनर्गठन पथ उपलब्ध कराया है और उक्त लक्ष्य सभी राज्यों द्वारा 2009-10 की समाप्ति तक पूरा किया जाना है।

अधिकतर राज्यों द्वारा रा.ज.वि. के अधिनियमन के कारण राज्य स्तर पर नियम आधारित राजकोषीय नीति का ढांचे का आरंभ हो गया है। किंतु, रा.ज.वि. के तहत राजकोषीय सुधार का पथ वास्तववादी होना चाहिए। सुधार प्रक्रिया के कारण पूंजी परिव्यय और सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय पर विपरीत परिणाम नहीं होना चाहिए। किंतु राज्यों द्वारा अधिनियमित रा.ज.वि. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों से किसी भी प्रकार के विचलन से विश्वसनीयता का मामला उभरता है। इसलिए, यह वांछनीय होगा कि रा.ज.वि. अधिनियमित करने वाली राज्य सरकारें नियमों का पालन करें और शेष राज्य नियम आधारित ढांचा अपनाने की दिशा में प्रयास करें।

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय से संबंधित दायित्व राज्य सरकारों के डोमेन पर रखे गए हैं, यह माना जाता है कि सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के स्तर का मानव विकास के स्तर और अर्थ व्यवस्था की दीर्घावधि संभावना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के बाबत राज्यों ने पर्याप्तता, समानता और सक्षमता जैसे पहलुओं पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और प्रदानगी में सुधार से इन सेवाओं संबंधी लागत वसूली बढ़ने में मदद मिलेगी।

हाल की अवधि में राज्य सरकारों के अतिरिक्त नकदी शेष तेजी से बढ़े हैं जैसा कि 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में उनके निवेश से प्रकट होता है। राज्य सरकारों के अरिक्त नकदी शेषों में वृद्धि का मुख्य कारण तुलनात्मक रूप से उच्च लागत के एनएसएसएफ संसाधनों के भारी स्वतस्फूर्त अंतर्वाह, बा.वि.आ. के सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय करों और अनुदान में वृद्धि और

साथ ही राज्यों के बजट अनुमानों की तुलना में उनके स्वयं के कर राजस्व में तेजी हैं। नकदी अधिशेष में वृद्धि से राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार भी प्रकट होता है जो मुख्यतः रा.ज.वि. के अधिनियमन और राजकोषीय मजबूती के प्रक्रिया संबंधी राज्यों की प्रतिबद्धता से आसान हो गया। राज्य सरकारों के नकदी शेषों की मात्रा और स्थिरता को प्रभावित करने वाले संभाव्य कारकों में अल्प बचत (एनएसएसएफ) के संबंध में मौजूदा व्यवस्था और तेजी में परिवर्तन के साथ ही अपेक्षित व्यय (चुकौती दायित्व, आस्थगित व्यय और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बढ़े हुए वेतन बिल सहित) और/या अनपेक्षित व्यय शामिल हैं। किंतु राज्य सरकारों के नकदी शेष में वृद्धि ने राज्य सरकारों के नकदी और वित्तीय प्रबंध की चुनौती खड़ी कर दी है।

केंद्र सरकार ने छठा वेतन आयोग पहले ही गठित कर दिया है, अतः राज्यों को चाहिए कि वे उसकी सिफारिशों को उनके कर्मचारियों पर लागू करने की संभावना के चलते राज्य सरकारों पर पड़ने वाले प्रभाव की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। किंतु वेतन स्तरों संबंधी निर्णय के बाबत उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है और उन्हें अपनी राजकोषीय क्षमता, कार्मचारी संख्या, जनसंख्या तथा उत्पादक रोजगार के अपेक्षित संपूरक व्यय में तालमेल बैठाना होगा।

राज्य सरकारें राजस्व वृद्धि के लिए राजकोषीय अधिकार देने पर बल दे सकती है, अर्थात बजट में राजस्व प्रवाहों की गुंजाइश और मात्रा बढ़ाकर। इससे उन्हें व्यय स्वरूप को परिवर्तित करने और उसकी दिशा सामाजिक क्षेत्र तथा पूंजी व्यय की ओर मोड़ने की आवश्यक छूट मिल सकती है। इस संदर्भ में कर सुधार के अलावा, उचित उपयोगकर्ता प्रभार लगाने, सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाने (बिजली क्षेत्र की सब्सिडी सहित) और राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कर प्रशासन और बकाया करों की वसूली के माध्यम से कर संग्रह बढ़ाने की राज्य सरकारों की कार्यनीति को अधिक बल के साथ जारी रखने की आवश्यकता है।